लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 22 जुलाई, 1969/31 आषाढ़, 1891 (शक)

No. 2, Tuesday, July 22, 1969/Asadha 31, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
31. ढोल निर्माण उद्योग	Barrel Fabrication Industry ..	1—6
32. मोरारका सार्थ समूह	Morarka Group of Concerns	7—13
33. सरकारी क्षेत्र में गैस सिलण्डर कारखाने की स्थापना	Setting up of a Gas Cylinder Unit in Public Sector ..	13—17
34. इस्पात के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of Prices of Steel	17—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
35. छोटी कार	Small Car ..	21
36. लक्ष्मी आटोसाइकिल्स लिमिटेड, मद्रास	Lakshmi Auto Cycles Ltd. Madras ..	22—23
37. कलकत्ता में कारखानों में उत्पादन	Production in Factories of Calcutta ..	23
38. रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दौसी	Railway Training Centre, Chandausi	23—24
39. रेलवे में पदोन्नति	Promotion on Railways	24
40. बेगार को हस्तक्षेप्य अपराध बनाना	Treatment of forced Labour as Cognizable Offence	25—28
41. लखनऊ के भार्गव ब्रादर्स से छावनी भूमि का वापस लेना	Taking Back of Cantonment Land from Bhargava Brothers of Lucknow	28—29

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

42. सिलीगुड़ी जाने वाली यात्री रेलगाड़ी में विस्फोट	Explosion in Siliguri Bound Passenger Train ..	29
43. औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति	Industrial Licensing Policy Enquiry Committee	30
44. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता	British Assistance for Durgapur Steel Plant ..	30—31
45. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उपचुनाव	Bye Elections in Jammu and Kashmir	31
46. सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच	Enquiry against CACO	31
47. औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना	Removal of Regional Imbalances in Industrial Development	31—32
48. नियंत्रणों के परिणाम	Consequences of Controls	32—33
49. केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन	Central Small Scale Industries Organisation	33—34
50. दिल्ली में रेलवे फाटकों के बन्द रहने के कारण यातायात में रुकावट	Traffic Bottlenecks in Delhi due to closure of level crossings ..	34—35
51. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955	Untouchability (Offences) Act, 1955	35
52. चलता फिरता मतदान केन्द्र	Mobile Polling Booth	35—36
53. छोटी कार परियोजना	Small Car Project	36
54. पश्चिम रेलवे में विशेष तेल वाहक गाड़ियों के डिब्बों में आग लगना	Fire in Wagons of Oil Special Trains (W. Rly.) ..	36—37
55. इस्पात का निर्यात	Export of Steel	37
56. दिल्ली उत्पादित परिषद्	Delhi Productivity Council	38
57. उत्तर प्रदेश में कागज तैयार करने के कारखाने	Paper Mills in U. P. ..	39
58. मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s. Standard Drum and Barrel Mfg. Co., Bombay ..	39—40

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

विषय	Subject		Pages
59. मई, जून, 1969 में औद्योगिक विकास मंत्री की विदेश यात्रा	Industrial Development Minister's Visit Abroad during May-June, 1969		40
60. सिक्योरिटी एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	Security and Finance Corporation (P) Ltd., New Delhi		41

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject		Pages
201. रेलवे के विश्रामालयों का उपयोग करने का किराया	Rents for occupation of Railway Retiring Rooms		41
202. बाग बाजार यार्ड में रेल के डिब्बों का तोड़ा जाना	Wagon Breaking in Bagbazar Yard		42
203. रेलवे आउट एजेंसियां	Railway Out Agencies		42
204. रेलवे कर्मचारियों का अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण	Classification of Railway Employees as Essential and non-essential		43
205. मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के ईक्विटी शेयर (साम्य अंश) के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय	Arbitrator's Award Regarding Equity Shares of M/s. Joseph and Co. Ltd.		43—44
206. डालमिया जैन एयरवेज	Dalmia Jain Airways		44—46
207. कलकत्ता में भारी इंजीनियरिंग निगम का क्रय कार्यालय	Purchase Office of Heavy Engineering Corporation in Calcutta	..	46—47
208. रेलवे में जंजीर खींचने की वारदातें	Chain Pulling Incidents in Railways	..	47—48
209. इटारसी और भुसावल के बीच अप और डाउन यात्री गाड़ियों का फिर से चलाया जाना	Restoration of Up and Down Passenger Trains between Itarsi and Bhusawal		48
210. इटारसी जबलपुर सैक्शन पर तावा तथा शेर नदियों पर दोहरी लाइनों के पुल	Double Line Bridges on Tawa and Shar Rivers on Itarsi-Jabalpur Section	..	48—49

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

211. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति और फीस माफी के लिये आयु सीमा	Age limit for Scholarships and freeships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students	49—50
213. दिल्ली और भुवनेश्वर (उड़ीसा) के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाना	Running of Direct Train between Delhi and Bhubaneshwar (Orissa)	50
214. पूना तथा नागपुर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियां	Express Trains between Poona and Nagpur	50
215. नागपुर में छोटी कार बनाने की परियोजना	Small Car Project at Nagpur	51
216. तूतीकोरिन पत्तन के आस-पास उद्योगों का विकास	Development of Industries around Tuticorin Port	51—52
217. युगोस्लाविया को इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods to Yugoslavia	52
218. भारतीय रेलवे विशेषज्ञों द्वारा सीरिया का दौरा	Visit by Indian Railway Experts to Syria ..	52—53
219. मोदी मिल्स द्वारा कांग्रेस पार्टी को दान	Donations to Congress Party by Modi Mills	53—54
220. हरिजनों द्वारा सर पर गन्दगी उठाने की प्रथा को समाप्त करना	Eradication of Practice of carrying refuse on heads by Harijans	54
221. भारत के संविधान का संशोधन	Amendments to the Constitution of India ..	54—55
222. नगरों में उद्योगों का केन्द्रीकरण	Concentration of Industries in Towns	55
223. सिलाई की मशीनों के लघु उद्योग	Small Scale Sewing Machines Industry	56
224. स्टेशनों पर शुद्ध घी में बने खाद्य पदार्थों की बिक्री	Sale of Edibles prepared with pure ghee at Stations	56—57
226. मैसर्स कूपर एलन एंड कम्पनी लिमिटेड	M/s Cooper Allen and Company Ltd. ..	57

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
227. लिपिकों को विभागीय आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा	Permission to clerks for appearing in Departmental Stenographer Test ..	57—58
228. वर्जित सूची की वस्तुओं के निर्माण के लिये नये कारखानों को पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का दिया जाना	Registration Certificate to new units for Manufacture of Banned List	58—59
229. रूरकेला स्थित इस्पात संयंत्र में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गतिविधियां	Activities of Pakistani National in Rourkela Steel Plant	59—60
230. रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़	Over Crowding in Trains	60
231. टोंक में चमड़ा बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Tannery at Tonk ..	60—61
232. टैनरीज एंड फूटवीयर कारपो- आफ इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Tanneries Footwear Corporation of India Ltd. ..	61—62
233. मोटर गाड़ी के मूल्यों सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग	Tariff Commission on Prices of Automobiles	62
234. कुली तथा खोमचे वाले	Porters and Vendors ..	63
236. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का विकास	Development of Industrially Backward States ..	63
237. 375 अप इलाहाबाद दिल्ली सवारी गाड़ी में रेलवे कर्मचारी की हत्या	Stabbing of Railway Employees in 375 Up Allahabad Delhi Passenger	63—64
238. कारखानों का पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण	Shifting of Industrial Concerns from West Bengal to U.P. ..	64—65
239. पश्चिम बंगाल से औद्योगिक सार्थों को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Industrial Concerns from West Bengal to other States ..	65
240. इस्पात के सौदे करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against persons involved in Steel Deal ..	65—66
241. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1969	Engineering Service Examination, 1969 ..	66

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
242. रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति	Kunzru Committee on Railway Accidents ..	66—67
243. पांचवें इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Fifth Steel Plant	67
244. चतुर्थ योजना में ग्रामोद्योग	Village Industries in Fourth Plan ..	67—68
245. चतुर्थ योजना में नियंत्रणों का औचित्य	Justification of Controls in Fourth Plan ..	68—69
246. भारी इंजीनियरी निगम से इंजीनियरों का बड़ी संख्या में चले जाना	Exodus of Engineers from Heavy Engineering Corporation ..	69
247. दिल्ली के बाहर से होकर जाने वाली (एवाईडिंग) रेलवे लाइन	Delhi Avoiding Railway Line ..	70
248. पिछड़ापन निश्चित करने का मापदण्ड	Criteria for determining Backwardness ..	70
249. दिल्ली के औद्योगिक एककों में मजदूर	Workers in Industrial Units in Delhi ..	71
250. दिल्ली के लिये समाज कल्याण योजनायें	Social Welfare Schemes for Delhi	72
251. आसनसोल स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों पर हमला	Attack on Railway Staff at Asansol Station	72—73
252. लारी और रेलगाड़ी की टक्कर	Lorry train collision	73—74
253. स्विटजरलैंड की एक फर्म द्वारा घड़ियां बनाने के एक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Watch plant by Swiss Firm ..	74—75
254. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सामान की जांच-पड़ताल	Luggage checking on North-east Frontier Railway ..	75
255. छपाई के लिये रोटरी मशीनों का निर्माण	Manufacture of Rotary Machines for printing ..	75—76
256. टाटा तथा बिड़ला सार्थ-समूहों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंश	Shares of Central and State Governments in Tata and Birla Group of concerns ..	76

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/ PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

257. गुजरात में रेलवे लाइनें	Railway lines in Gujarat	..	76—77
258. उद्योगों के लिये इस्पात के कोटे का नियतन	Allocation of steel quota to Industries		77
259. मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd.	..	78
261. रेलवे के टिकट कलेक्टरों के लिये छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था	Leave Reserve provision of Ticket collectors on the Railways	..	79
262. बोकारो इस्पात नगर में कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Workers at Bokaro Steel City	..	79—80
263. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Sheduled Tribes	..	80
264. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक्सरे फिल्म फैक्टरी	X-Ray film factory in Gorakhpur, U.P.	..	80—81
265. रेलवे के डिब्बों का वार्षिक उत्पादन	Annual Production of Bogies	..	81
266. गोरखपुर - लखनऊ और गोरखपुर - वाराणसी के बीच छोटी लाइनों को परिवर्तित करना	Conversion of M.G. lines between Gorakhpur-Lucknow and Gorakhpur-Varanasi	..	81—82
267. भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजनों का लगाया जाना	Replacing of Steam Engines by Diesel Engines	..	82
268. तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंसशुदा क्षमता	Licensed capacity of Oil Barrel Fabricators	..	82—83
269. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	M/s. Hindustan Motors Ltd.		83—84
270. चौथी योजना में अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धी तकनीकी समिति	Technical committee on advance action during Fourth Plan		84

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
271.	सिक्योरिटी एण्ड फाइनेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	Security and Finance (Private) Limited, New Delhi ..	84—85
272.	धरंगधरा (पश्चिम रेलवे) में रेलगाड़ी के यात्रियों को पीटना	Assault on passenger in train at Dhrangadhra (W. Rly.) ..	85—86
273.	बोकारो इस्पात कारखाने को मशीनों की सप्लाई	Supply of machinery to Bokaro Steel Plant ..	86—87
274.	लखनऊ के भार्गव बन्धुओं के कब्जा वाली छावनी भूमि वापस लेने की फाइल	File regarding resumption of cantonment land held by Bhargava Brothers of Lucknow ..	87
275.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का सुचारु रूप से संचालन	Smooth functioning of Durgapur Steel Plant	87—88
276.	राजस्थान को अनाज तथा चारे के परिवहन के लिये माल डिब्बों का दिया जाना	Supply of wagons for transporting Foodgrains and Fooder to Rajasthan ..	88—89
277.	बोकारो इस्पात संयंत्र के परियोजना क्षेत्रों में कानून, शान्ति की व्यवस्था बनाये रखना	Maintenance of law and order in the project areas of Bokaro Steel Plant	89
278.	वैस्टिंग हाउस सैक्सबाई फारमर (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता	Westing House Saxby Farmer (P) Ltd, Calcutta	90—91
279.	बोकारो इस्पात संयंत्र का कार्यक्रम के अनुसार चालू होना	Commissioning of Bokaro steel plant according to scheduled	91
280.	प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची का पुनरीक्षण	Revision of list of priority Industries ..	92
281.	पुर्जे आदि जोड़ कर मोटर कार तैयार करने के लिये लाइसेंस	Licence for Assemblies of a Motor Car ..	92—93
282.	राष्ट्रपति का चुनाव	Election of the President	93—94
283.	चण्डीगढ़ के निकट औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates near Chandigarh ..	94

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
284. पंजाब में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in Punjab	95
285. चन्डीगढ़ रेलवे स्टेशन	Chandigarh Railway Station	95—96
286. चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट स्कूल	School near Chandigarh Railway Station ..	96
287. अस्पृश्यता	Untouchability	96—97
288. संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सरकार की बागडोर अपने हाथ में ली जाना	Take over of Central Administration by the President in the event of Constitutional Break down	97
289. मई 1969 में बाढ़ के कारण आन्ध्र प्रदेश में रेलगाड़ियों के आने-जाने में अव्यवस्था	Disruption of running of trains in Andhra Pradesh due to Floods in May, 1969 ..	97—98
290. बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और इंडिया लिनोलियम लिमिटेड के विरुद्ध जांच	Inquiry against Birla Jute Manufacturing Co. Ltd. and India Linoleum Ltd. ..	98—99
291. पूर्वी क्षेत्र के लिये स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of scotters in East Zone ..	99
292. नई दिल्ली में उपरिपुल/उपरिगामी पुल	Flyover/Overbridges in New Delhi ..	99—100
293. लद्दाख का अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना	Declaration of Ladakh as Scheduled Tribe Area ..	100
294. वाराणसी और छपरा के बीच रेल की पटरी चौड़ी करना	Broadening of track between Varanasi and Chupra ..	101
295. दिल्ली में भिखारी	Beggars in Delhi ..	101—102
296. पिछड़े क्षेत्रों को निश्चिय करने के सम्बन्ध में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of working group on Identification of Backward Areas ..	102
297. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा परमाणु शक्ति एककों के लिये टरबाइनों का उत्पादन	Production of turbines for Atomic Power Units by BHEL ..	102—103

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
298. बेलाडिला लौह अयस्क परि-योजना की उत्पादन क्षमता का विस्तार	Expansion of production capacity of Bailadila Iron Ore Project ..	103—104
299. यूरोपीय देशों/जापान के सह-योग से संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना	Setting up of joint Industrial Ventures with European countries/Japan ..	104
300. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गार्डों का वेतन-क्रम	Pay scale of guards of North Frontier Railway	105
301. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर को अपने अधिकार में लेना	Take over of British India Corporation, Kanpur ..	105—106
302. केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो	Central Engineering and Design Bureau ..	106
303. जवानवाला शहर स्टेशन	Jawanwala Shahr Station	106
304. फरक्का बांध पर बड़ी रेलवे लाइन	Broad gauge Railway line over Farakka Barrage ..	107
305. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कर्मचारी नियुक्ति स्थिति के बारे में प्रतिवेदन	Report on staff manning position in Durgapur Steel Plant ..	107
306. इंजीनियरिंग उद्योग को इस्पात के नियतन में देरी	Delay in allocation of steel to Engineering Industry ..	107—108
307. अस्पृश्यता का उन्मूलन	Eradication of Untouchability ..	108
308. रेलवे दुर्घटनाओं के परिणाम-स्वरूप जान और माल की हानि	Loss of Life and Property due to Railway accidents ..	108—109
309. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, कलकत्ता	Indian Iron and Steel Co. Calcutta ..	109
310. कम्पनियों, बैंकों और वाणि-ज्यिक संस्थाओं द्वारा राज-नीतिक दलों को दान	Donations to Political Parties by Companies, Banks and Commercial Institutions ..	109—110
311. सामान्य निर्वाचनों में मतपत्रों की गलत गणना	Wrong counting of ballot papers in General Elections ..	110

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

312.	रेलवे स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अध्यापक	S.C. and S.T. Teachers in Railway Schools ..	110—111
313.	पूर्वोत्तर रेलवे अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारी कल्याण संस्था द्वारा प्रतिवेदन	Representation by North Eastern Railway Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees Welfare Association ..	111
314.	रेलवे मंत्रालय में कर्मचारी	Employees in Railway Ministry	111
315.	रेलवे में हिन्दी शिक्षक	Hindi Instructors in Railways ..	111—112
316.	पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of working group on Industrialisation of Backward Areas ..	112—113
317.	तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बे	III Class Coaches	113
318.	बिहार के महाधिवक्ता का त्याग-पत्र	Resignation of Bihar Advocate General ..	113—114
319.	इंजीनियरी की वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य नियंत्रण	Price control on Engineering Products	114
320.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि द्वारा भारत में नगरीय परियोजनाएं	Urban projects in India by UNICEF	115
321.	आयात स्थानापन्न	Import substitution ..	115
322.	दक्षिण-पूर्व रेलवे के संगचल कर्मचारियों का सम्मेलन	Conference of Running Staff of SE. Railway ..	116
323.	सिलाई मशीन उद्योग	Sewing Machine Industry ..	116—117
324.	हिन्दुस्तान व्हीकल्स कम्पनी लिमिटेड, पटना	Hindustan Vehicles Co. Ltd., Patna ..	117
325.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों का निर्यात	Export of HMT Watches ..	118
326.	स्वचालित घड़ियां	Automatic Watches ..	119
327.	स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की लागत	Cost of stainless steel wares ..	119

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

328.	अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस	Licences for importing the machinery under US Aid Programme ..	120
329.	आयातित इस्पात का भण्डार	Stock of Imported Steel	120
330.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के उपाध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Deputy Chairman of Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi	121
331.	नेप्था परिष्करण संयंत्र रूरकेला	Naphtha Reforming Plant, Rourkela ..	121—122
332.	गुजरात की फर्म द्वारा छोटी कार का निर्माण	Manufacture of small car by Gujarat firm ..	122
333.	एस्कोर्ट्स तथा फोर्ड मोटर कार कम्पनी के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of tractor in collaboration with Excorts and Ford Motor Car Co. ..	123
334.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का अग्रेतर विभाजन	Sub-division of scheduled castes/scheduled tribes and other backward classes ..	123—124
335.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd.	124—125
336.	रेलवे की विज्ञापन सम्बन्धी नीति	Advertisement policy of Railways	125
337.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड के कार्य के परिणाम	Working Results of Heavy Electricals (I) Ltd. ..	126—127
338.	हिन्दुस्तान कैबल्स लिमिटेड के कार्य के परिणाम	Working Results of Hindustan Cables Ltd.	127—129
339.	भिक्षावृत्ति की रोक-थाम	Prevention of Beggary	129
340.	रेलवे अधिकारियों पर आक्रमण	Attack on Railway Officials ..	129—130
341.	बनासकांठा से लोक सभा के लिए उपचुनाव स्थगित किया जाना	Postponement of Lok Sabha Bye-Election from Banaskantha ..	130

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

342. बिहार में टायरों व ट्यूबों की कमी	Shortage of Tyres and Tubes in Bihar ..	130—131
343. संयुक्त उपक्रम	Joint ventures	131
344. भतनाहा भीमनगर छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदलना	Conversion of Bhatnaha Bhimnagar Narrow Gauge into Metre Gauge	131—132
345. मानसी, सहरसा तथा पूर्णिया स्टेशनों के बीच एक्सप्रैस गाड़ी	Express Train between Mansi, Saharsa and Purnea Stations	132
346. थुरमिटा और भापतियाही के बीच रेलवे खण्ड	Railway Zone between Thurbhita and Bhaptiahi	133
347. मुकदमों के विवरणों का प्रकाशन	Reporting of Law cases ..	133
348. भारत सोवियत वैज्ञानिकों की बैठक	Meeting of Indo Russian Scientists ..	133—134
349. साइकिलों के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Bicycles ..	134—135
350. नेपा मिल्स के कार्य संचालन में सुधार	Improvement in the working of Nepa Mills	135
351. मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास	Industrial development of Madhya Pradesh ..	135—136
352. मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव	Bye election from Midnapore Parliamentary Constituency	136
353. मध्य प्रदेश के लघु उद्योग धन्धों में संकट	Crisis in small scale Industries, Madhya Pradesh ..	136
354. बनासकांठा के संसदीय उप-चुनाव का परिणाम	Result of Banaskantha Parliamentary Bye-election	137
355. विदेशियों के लिये मद्य निषेध दिन सम्बन्धी प्रतिबन्धों में छूट	Relaxation of Dry day Restrictions for Foreigners ..	137
356. सवाई माधोपुर स्टेशन पर माल लादने की पद्धति	Loading system at Sawai Madhopur station	137

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

357.	कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के स्टेशनों से माल का लादा जाना	Loading of goods from stations in Kota Division (W. Rly.)	138
358.	मूल्यों में कमी के कारण माल डिब्बे निर्माताओं को हानि	Loss to Wagon Builders due to reduction in prices ..	138—139
359.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजोर	H. M. T., Pinjore	139
360.	इलाहाबाद पम्प और कम्प्रैसर बनाने का कारखाना	Pump and compressor plant at Allahabad ..	140
361.	रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं	Level crossing Railway Accidents ..	140—141
362.	साइकल के टायरों की चोर-बाजारी	Black Marketing in Bicycle Tyres ..	141—142
363.	छोटी कार बनाने के लिये निजाम का प्रस्ताव	Proposal by the Nizam to manufacture small car ..	142
364.	बान्दा जंक्शन के निकट ट्रक और रेल गाड़ी की टक्कर	Truck train collision near Banda Junction ..	142—143
365.	केरल में औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Industrial licences in Kerala	143
366.	केरल में बीड़ी उद्योग में पुनर्गठन	Reorganisation of Beedi Industry in Kerala ..	143—144
367.	भारत में माल डिब्बों का निर्माण	Wagon building in India	144
368.	रेलवे सम्पत्ति को कुर्की का आदेश	Attachment order of Railway Property ..	144—145
369.	रेलवे प्लेटफार्मों पर सोवियत संघ के लिये प्रचार स्थल	Publicity forum for USSR at Railway Platforms ..	145
370.	कलकत्ता स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over Khadi Gramodyog Bhavan, Calcutta ..	146
371.	मनीपुर में उद्योग	Industries in Manipur ..	146

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

372.	भारी इंजीनियरी निगम, रांची द्वारा छिद्रण रिगों का निर्माण	Production of Drilling Rigs by Heavy Engineering Corporation, Ranchi	147
373.	लखनऊ से मुजफ्फरपुर के रास्ते कटिहार तक बड़ी रेल लाइन	Broad Gauge line from Lucknow to Katihar Via Muzaffarpur	147
374.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर कारखाने की बिलेट मिल की मोरगन शाप में हड़ताल	Strike in Morgan shop of Billet Mill of Hindustan Steel Plant at Durgapur	148
375.	राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण	Economic Survey of Rajasthan ..	148—149
376.	औद्योगिक क्षेत्रों में आई मंदी से उबरना	Recovery from Recessionary Trends in Industrial Sectors	149
377.	दशरथपुर स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर रेलगाड़ी का रुकना	Halt of train at Dasrathpur (Railway) ..	149—150
378.	मध्य रेलवे के कर्मचारियों को ऊनी वर्दियों का सम्भरण	Supply of woollen Uniforms to Railway Employees of Central Railway	151
379.	अछल्दा से मथुरा को चावल के वैगन भेजना	Despatch of rice wagon from Achalda to Mathura ..	151
380.	हरयाणा में स्कूटर परियोजना	Scooter Project in Haryana ..	151—152
381.	भिवानी और रोहतक के बीच बड़ी लाइन	B. G. Line between Bhiwani and Rohtak ..	152
332.	मैसर्स ज्योति स्विचगीयर लिमिटेड	M/s. Jyoti Switchgear Ltd. ..	152—153
383.	जवानवाला शहर स्टेशन को अपने स्थान से हटाना	Shifting of Jawanwala Shahr Station ..	153—154
384.	प्रशिक्षित मैट्रिकुलेट फायरमैनों को भाप से चलने वाले इंजनों से डीजल से चलने वाले इंजनों पर लगाया जाना	Shifting of trained Matriculate firemen from steam to diesel locomotives	154
385.	मुरादाबाद डिवीजन के प्रशिक्षण प्राप्त मैट्रिक उत्तीर्ण डीजल फायरमैनों का अभ्यावेदन	Representation from trained Matriculate diesel firemen of Moradabad Division ..	154—155

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

386. मैट्रिकुलेट फायरमैनों को भाप से चलने वाले इंजनों से डीजल से चलने वाले इंजनों पर लगाया जाना	Shifting of Matriculate Firemen from Steam to diesel locomotives	155
387. हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य का निर्यात	Export to UAR by Heavy Electricals Ltd. Bhopal ..	155—156
388. सियागंज, इन्दौर में उपरिपुल	Overbridge at Siaganj in Indore	156
389. पश्चिम रेलवे में 872 डाउन मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of 872 Dn. Goods Train on the Western Railway ..	156
390. विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति	Abolition of Legislative Council in various States	157
391. शायिकाओं तथा बैठने के स्थानों का आरक्षण	Reservation of sleeping and sitting seats ..	157
392. यात्री गाड़ियों में भीड़-भाड़ तथा यात्रियों को सुविधाएं	Rush in passenger trains and Passenger Amenities ..	157—158
393. मद्रास में अखिल भारतीय फायरमैन सम्मेलन	All India Firemen's Conference at Madras ..	158
394. इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in the prices of steel ..	158—159
395. सीमेंट के मूल्य में वृद्धि	Increase in cement price	159
397. बोकारो स्टील नगर को पुलिस जिला घोषित करना	Declaring Bokaro steel city as Police District ..	160
398. बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आदिम जातीय किसानों के कब्जे वाली भूमि का साहूकारों के हाथों में चले जाना	Alienation of land possessed by Tribal peasants in Bihar, Orissa and and West Bengal ..	160—161
399. रेलवे वाणिज्यिक लिपिक	Railway Commercial clerks ..	161
400. वाणिज्यिक लिपिकों से ट्रैफिक डैबिट के रूप में प्राप्त धनराशि	Recovery of amount from commercial clerks at Traffic Debts ..	161—162
अतारांकित प्रश्न संख्या 7288 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ No. 7288 ..	162—163

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
चीनियों द्वारा काश्मीर के भारतीय राज्य क्षेत्र में नई सड़क का कथित निर्माण	Reported building of new road by the Chinese inside Indian territory in Kashmir ..	163—167
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta ..	163—164
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	163, 164, 165, 166, 167
बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश के बारे में	Re : Ordinance on Nationalisation of Banks ..	167—168
संसद-सदस्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आह्वान पत्र के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege re : Delhi High Court summons to M.Ps. ..	168—174
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	174—175
संसदीय समितियां-कार्य का सारांश	Parliamentary Committees Summary of work ..	175
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	176
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	Assent to Bills ..	176
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
91वां तथा 92 वां प्रतिवेदन	Ninety-first and ninety-second Reports ..	176
भिलाई इस्पात कारखाना द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 787 re. Foreign exchange earned by Bhilai Steel Plant ..	177
लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी की सराहना	Tribute to Shri N. Sanjiva Reddy, Ex. Speaker, Lok Sabha ..	177—178
भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संकल्प—अस्वीकृत और भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक	Resolution re. Indian Railways (Amendment) Ordinance—Negatived and Indian Railways (Second Amendment) Bill ..	178—186, 197—198
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	182
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	178—179
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma ..	179

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ..	179
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapur ..	179—180
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	180—181
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari ..	181—182
खण्ड 2 और 3	Clauses 2 and 3 ..	182—186
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion for adjournment—Negatived— ..	
रेलगाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता	Failure of Government to ensure security to public travelling on Railways	167,186—197
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua ..	186—187, 196—197
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ..	187—188
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo ..	188—189
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	189—190
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	190
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida ..	190—191
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi ..	191
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ..	192
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ..	192
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav ..	192—193
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	193
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	193—194
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwari	194
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	194—196
बैंकिंग कम्पनियों सम्बन्धी अध्यादेश के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश सम्बन्धी वक्तव्य	Statement on Supreme Court's order re. Banking Companies Ordinance ..	198—199
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	198—199

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 जुलाई, 1969/31 आषाढ़, 1891 (शक)
Tuesday, July 22, 1969/Asadha 31, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ढोल निर्माण उद्योग

+
*31. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री के० रमानी :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढोल निर्माण उद्योग पर इस समय केवल कुछ फर्मों का ही एकाधिपत्य है ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम का अपने मद्रास तेल शोधक कारखाने में ड्रम और ढोल बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ढोल निर्माताओं की वर्तमान क्षमता में से काफी बड़ी क्षमता अनधिकृत तरीके से और औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का स्पष्ट उल्लंघन करके, स्थापित की गई ;

(ङ) क्या इस मामले में जांच करने का सरकार का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). वर्तमान में ढोल निर्माण करने वाले वृहद पैमाने के क्षेत्र में कुछ ही फर्म हैं । वे 40,45 गैलन के तेल के ढोल बनाने के लिये अनुमति प्राप्त हैं । उनके नाम ये हैं :

1. मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि० बम्बई और कलकत्ता
2. मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कं० बम्बई ।
3. मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० प्रा० लि० कलकत्ता ।
4. मैसर्स स्टील कंटेनर्स लि० बम्बई ।
5. मैसर्स इंडस्ट्रियल कंटेनर्स लि० कलकत्ता ।
6. मैसर्स आसाम आयल कं०, आसाम ।

(ग) मैसर्स भारतीय तेल निगम से एक प्रार्थना पत्र औद्योगिक (विकास और विनियमन,) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मद्रास तेल शोधक कारखाने में ड्रम और ढोल की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये अक्तूबर, 1967 में प्राप्त हुआ था । उनका प्रार्थना पत्र नवम्बर, 1968 में अस्वीकृत कर दिया गया । फिर भी पेट्रोलियम और रसायनिक और खनिज और धातु मंत्रालय के कहने पर मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

(घ) से (च). प्राक्कलन समिति ने जो कि लोक सभा में 30 अप्रैल, 1969 को अपनी (85 वीं) रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है । ढोल उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के स्थापित करने के समूचे प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया है । प्राक्कलन समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । सरकार के विचार समिति को बता दिये जायेंगे और सरकारी जानकारी में लाई गई समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार कर लेने के पश्चात् अंतिम रूप से निर्णय किया जा सकेगा ।

श्री सी० के० चक्रपाणि : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह पता चलता है कि मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर भ्रामक है । तथ्य यह है कि ढोल निर्माताओं की क्षमता का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण अनियमित ढंग से किया गया है । इसके लिये सामान्य मार्ग नहीं अपनाया गया है ।

विवरण में मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी का वर्णन है, इस कम्पनी को प्रतिवर्ष 4200 टन अस्थाई क्षमता के लिये लाइसेंस मंजूर किया गया था। लाइसेंस मंजूर करते समय इस कम्पनी को प्रतिबन्धित सूची में रखा गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि इस कम्पनी को लाइसेंस क्यों मंजूर किया गया जबकि इसे प्रतिबन्धित सूची में रखा गया था, क्या सरकार इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : उन फर्मों के सम्पूर्ण मामले की जांच की जा रही है, जिन्होंने बिना उचित प्राधिकार के अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में अनियमितता की है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पश्चात्, इस मामले के बारे में विधि मंत्रालय से बातचीत की जा रही है कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सी० के० चक्रपाणि : भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 1962 में सरकार की अनुमति के बिना अपने कारखाने तथा मशीनरी का एक भाग बम्बई से कलकत्ता ले गई थी। सरकार ने फर्म को इस कार्य के लिये क्षमा कर दिया है। यह कम्पनी औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करती रही है। क्या सरकार इस कम्पनी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी और विशेषकर इस बात की जांच करेगी कि यह कंपनी अपने कारखाने तथा मशीनरी का एक भाग बम्बई से कलकत्ता क्यों ले गई ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा मैं कह चुका हूं कि सम्पूर्ण मामले के बारे में विधि मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री के० रमानी : जैसा कि प्राक्कलन समिति ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इन पांच कम्पनियों ने सम्पूर्ण ढोल निर्माण उद्योग पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है। अतः एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय तेल निगम को, जिसने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया था, लाइसेंस नहीं दिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी ? इन पांच कम्पनियों ने अपनी क्षमता अनियमित रूप से 37000 टन से बढ़ा कर 69,000 टन कर दी है। प्रतिबन्धित सूची में दर्ज होने के बावजूद भी उनको लाइसेंस दिये गये, क्या मंत्री महोदय ढोल निर्माण उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ?

श्री पीलु मोडी : सभी ढोलों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये।

एक माननीय सदस्य : तब शेष क्या रह जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक मद्रास स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को लाइसेंस देने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है सरकार ने निदेश दिया है कि आवेदन पत्र उनको दिये जाने पर वे इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे। लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया और बताया कि इसने मामले का पूरा अध्ययन किया गया है तथा प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख विचारार्थ निलंम्बित है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में ही इनमें से एक फर्म को मद्रास में एक ढोल कारखाना चालू करने के लिये लघु उद्योग के नाम पर फिर से लाइसेंस दिया जा रहा है जबकि भारतीय तेल निगम को दिये जानेवाले लाइसेंस का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। यह दुबारा कैसे हो सकता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग का सम्बन्ध है इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय विचार करेंगे और मुझे उत्तर देंगे न कि श्री भानु प्रकाश सिंह। प्रश्न यह है कि हिन्द गैलवेनाइजिंग कम्पनी औद्योगिक नियमों का लाभ उठाते हुये छोटे पैमाने के क्षेत्र के नाम पर कुछ मशीनों का स्थानान्तरण कर रही है और मद्रास में दूसरा कारखाना बनाना चाहती है। यह मद्रास सरकारी क्षेत्र शोधन-शाला के साथ परामर्श किया जा रहा है ताकि यह ढोलों की सप्लाई ऊंचे मूल्य पर कर सके। भारतीय तेल निगम प्रति ढोल का 5 रुपया दे रही है। सरकार इसकी अनुमति क्यों दे रही है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जहां तक भारतीय तेल निगम के आवेदन पत्र का सम्बन्ध है इस पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और जब वह आवेदन पत्र देते हैं तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि उनको कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया जा सके।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस बीच ही छोटे पैमाने के उद्योग को अनुमति क्यों दी जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग का सम्बन्ध है उसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात को भी मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वे कलकत्ता से लघु क्षेत्र के नाम पर मशीनरी का स्थानान्तरण कर रहे हैं जो कि औद्योगिक नियमों के विरुद्ध है। क्या इसकी अनुमति है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : हमारी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारें अपने उद्योगों को अपने राज्य से बाहर भेजने में खुश नहीं है। इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोबो प्रभु : इस सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि प्राक्कलन समिति

ने, जिसका मैं सदस्य था और जिसमें श्री पाणिग्रही भी थे, इस प्रश्न की पूरी जांच की है लेकिन ऐसा टालमटोल पूर्ण उत्तर देना सरकार के लिये न्यायसंगत नहीं है। जो प्रश्न उठाये गये थे वे इस प्रकार हैं।

पहला, क्या भारतीय तेल निगम ने आवेदन पत्र भेजा था और यदि हां, तो किस आधार पर आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया ?

दूसरा, किस आधार पर भारतीय तेल निगम अपने आवेदन पत्र पर पुनर्विचार के लिये कह रहा है ?

तीसरा, वर्तमान क्षमता क्या है और क्या यह पहले ही अनुचित प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने की स्थिति में नहीं है। आप किसी दूसरी पार्टी को भी यह काम देना चाहते हैं। यदि आप भारतीय तेल निगम को लाइसेंस मन्जूर कर दें तो क्या आप अधिक क्षमता में और वृद्धि नहीं कर रहे हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारतीय तेल कम्पनी के आवेदन पत्र को अस्वीकार क्यों किया गया। इसे इसलिये किया गया क्योंकि अपेक्षित क्षमता उपलब्ध की ओर हम क्षमता में और वृद्धि करने के लिये लाइसेंस नहीं देना चाहते थे क्योंकि उस बढ़ाई गई क्षमता का उपयोग देश में नहीं हो सकता था। लेकिन यह बात विचाराधीन थी कि बंगाल और महाराष्ट्र से कुछ एकक जाकर मद्रास में एक एकक स्थापित करेंगे। यह कुछ एकक इन वस्तुओं का स्थानान्तरण चाहते थे लेकिन महाराष्ट्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया है और इन एककों को इन स्थानों से मद्रास को स्थानान्तरण की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये इस एकक के लिये वे चाहते हैं कि उनको ढोल निर्माण की अनुमति दी जाए। एक सरकारी उपक्रम के लिये यह आवश्यक है कि हम उन्हें ढोल निर्माण के लिये अवसर प्रदान करें जो उनके एकक के लिये अपेक्षित हैं। इसलिये हमने कहा है कि यदि वे आवेदन-पत्र भेजते हैं तो लाइसेंसिंग समिति उनकी अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मामले पर पुनर्विचार करेगी।

Shri K. N. Tiwary: Just the Hon. Minister has stated that the existing capacity is enough to meet the demand of the Government and the country. May I know whether it is a fact that they cannot manufacture barrels according to their capacity due to the shortage of raw-material and they will meet the requirement if they are supplied the required quantity of raw-material?

The second question is that whether it is a fact that the thing which the Indian Oil Corporation wants to set-up in the Public Sector are already there in the Private Sector and fulfil the needs of the country, so there is no necessity to start this industry in the Public Sector and if that is allowed there will be an expenditure of about Fifty or Sixty lakhs of rupees from the public exchequer in which about rupees Sixteen lakhs of foreign exchange is involved?

Shri Bhanu Prakash Singh: Sir, so far as the capacity is concerned, the Government

made efforts to utilise the capacity of the already existing units but just as the Hon. Minister has stated the Governments of Maharashtra and West Bengal did not agree to it. Therefore, the Government of India have to reconsider it and this is the reason that the application of the Commission will be reconsidered.

So far as the question of raw-material is concerned, it is true that there is shortage of it and they can manufacture only according to the raw material available.

Shri K. N. Tiwary : My question was that whether it is a fact that they cannot work according to their capacity because they do not get the required quantity of raw-material and if they are given the required quantity of raw-material, they will be able to meet the full requirements of the country ?

My second question is that in the public sector there will be an expenditure of 50 or 60 lakhs of rupees in opening the industry in which 16 or 18 lacs of foreign exchange is also involved. The industry already existing in the private sector has the required capacity but they are not able to work to capacity due to the shortage of raw-material and their labour also remain idle. May I know the reason for opening industry in the public sector by investing Rs. 60 lacs in which Rs. 16 lacs of foreign exchange is also involved instead of utilising the industry in private sector ?

Shri Bhanu Prakash Singh : As I have requested there is shortage of raw-material, if this shortage is removed, as the Hon. Member thinks the private sector will meet the demand. But there factories are in Bombay and Calcutta and their Governments do not want to transfer them. If the drums, barrels made in these places are sent to Madras, these will be costly. If in Madras, the industry is opened in the private sector, even in that case there will be an expenditure of 16 or 18 lacs of rupees. If there is any proposal to give sanction to open industry in the private sector, it can also be considered.

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 और वर्ष 1967-68 में बर्मा शैल और एस्सो को बम्बई तथा अन्य स्थानों में टीन के कारखानों के लिए विदेशों से टीन की चादरें आयात करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे और इन कम्पनियों ने उन टीन की चादरों, जस्ती चादर और काली चादरों को कलकत्ता, बम्बई और अन्य स्थानों में पीपे बनाने के स्थान पर आयात लाइसेंसों को तथा आयातित किए हुए माल को यहां उल्लिखित कुछ फर्मों को हस्तान्तरण कर दिया था और सरकार को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है कि बर्मा शैल, एस्सो और अन्य कम्पनियों ने सरकार को हस्तान्तरण के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी और यदि हां, तो सरकार ने उन काले हस्तान्तरण, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, के बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य विशिष्ट सूचना देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हम निश्चय ही कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

मोरारका सार्थ समूह

+

*32. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मोरारका सार्थ-समूह की कौन-कौन सी फर्म हैं;

(ख) इस समय इन सार्थों में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है और 1 अप्रैल, 1966 को उनमें कितनी पूंजी लगी हुई थी;

(ग) उनमें कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार ने इस सार्थ-समूह को कितना धन ऋण के रूप में दिया है; और

(ङ) किन-किन अभिकरणों ने इन्हें ऋण दिया है और किस ब्याज दर पर ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). संभवतः यह निर्देश गोकुलचन्द डी० मोरारका, समूह को कम्पनियों की ओर है । इस समूह से संबंधित कम्पनियों की सूचना संग्रह की जा रही है, व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, कंपनियों द्वारा इसे भेजना उपेक्षित नहीं है ।

(घ) और (ङ). सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

श्री क० लकप्पा : यह पहला अवसर नहीं है जबकि हमेशा इस प्रकार का उत्तर दिया गया है और सरकार अपने आपको कठिन स्थिति में पा रही है । मोरारका उद्योग समूहों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं । सरकार जानती है कि ये लोग चोरबाजारी करने में तथा झूठे लेखे बनाने और मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं । जब इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार यह कहती है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मंत्रालय में तीन मंत्री हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं । मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है । मंत्री महोदयों की सूचना एकत्रित करने में असमर्थता को देखते हुए मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सूचना एकत्रित करने के साथ-साथ यह आश्वासन देगी कि वह उन अभिकरणों के बारे में सूचना एकत्रित करेगी जिनको कि मोरारका उद्योग समूह वित्तीय सहायता देता है । इसमें मैसूर राज्य के अभिकरण भी

शामिल हैं जहां कि श्री निजलिंगप्पा और उनके मंत्री मोरारका उद्योग समूह को सहायता दे रहे हैं। उन्होंने बंगलौर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के हुए जोरदार अधिवेशन के लिए धन लिया है और जहां कि श्री निजलिंगप्पा कांग्रेस को उखाड़ने की अध्यक्षता कर रहे हैं तथा कांग्रेस का अन्तिम संस्कार कर रहे हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना मुख्य प्रश्न पूछें।

श्री क० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार सभा से यह तथ्य क्यों छिपा रही है।

मैं इस पृष्ठभूमि में दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार को मालूम है कि चीनी कारखाने के प्रबन्धाभिकर्ता मोरारका की एक कम्पनी बेलेरी में है और नवम्बर 1968 में उसने 467 रुपये के दर पर 10,000 बोरी चीनी का मांग-पत्र लिया और उसने इसे 467 रुपये दर के हिसाब से बेच दिया परन्तु उसने इसका दाम बताया था और 310 के दर से बिल जारी कर दिया था, इस प्रकार, प्रत्येक महीने, 10,000 बोरी चीनी ली गई और बेच दी गई थी और उसने इस प्रकार इसका अन्तर लाखों रुपयों में लिया और धन को बेईमानी से कमाया।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा अपना ही दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : You state what you are doing?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने सरकार से मोरारका समूह के बारे में कुछ सूचना मांगी है परन्तु वे स्वयं इस बात से निश्चित नहीं है कि मोरारका समूह क्या है।

श्री क० लकप्पा : मैं मोरारका को भली भांति जानता हूं। मैं जानता हूं कि मोरारका का तात्पर्य किससे है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अगर माननीय सदस्य जानते होते कि उनका मोरारका समूह से क्या तात्पर्य है तब वे विशिष्ट प्रश्न पूछते। परन्तु तब हमारे लिये उत्तर देना संभव होता।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Member has asked a direct question. The Hon. Minister should reply to that instead of going in details.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव इस प्रकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं

माननीय सदस्य क० लकप्पा ने प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदय इसका उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने अभी उत्तर पूरा नहीं दिया है।

श्री एस० एम० कृष्ण : इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा । मंत्री महोदय ने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है ।

Shri Ram Sewak Yadav: I am not asking any question. I want to raise point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अतएव हमारा भाग (क) और (ख) . के उत्तर के सम्बन्ध में यह है कि मैं वह सूचना, जो हमारे पास नहीं हैं, सदस्यों को देकर गुमराह नहीं करना चाहता हूं । निश्चय ही हमारे पास उनके द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों के बारे में सूचना है परन्तु विशिष्ट उत्तर देने के लिये मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास जो सूचना है, वह सही है या नहीं । जब वह उपलब्ध हो जायेगी तो हम इसे सभा से नहीं छुपायेंगे अपितु इसे सभा-पटल पर रखेंगे । तभी हमारे लिये यह बताना सम्भव होगा कि मोरारका समूह द्वारा नियंत्रित कौन-सी कम्पनियां हैं और उन्होंने कितना धन लगाया हुआ है ।

जो तीसरा प्रश्न है कि उन्होंने कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ है, मेरे लिये यह सूचना देना नितांत असम्भव है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : उनका वार्षिक प्रतिवेदन श्रम मंत्रालय के पास जाता है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह हमारे मंत्रालय में नहीं आता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह सरकार का सयुक्त उत्तरदायित्व है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, जब उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों की सूचनएं उपलब्ध हो जाएंगी तो हम वित्त मंत्रालय से यह सूचना प्राप्त करेंगे कि इन विभिन्न कम्पनियों को वित्तीय संस्थाओं ने कितना धन दिया है और तभी हमारे लिये वह सूचना देना सम्भव हो सकेगा ।

माननीय सदस्य कहते हैं कि इस सूचना को प्राप्त करने के लिये गत सप्ताह उपलब्ध था । एक ही सप्ताह में सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं है । यह मेरे सहयोगियों अथवा मेरा यह कार्य नहीं है कि अधिकारियों के पास जाकर सूचना एकत्रित की जाय । हमें यह सूचना सामान्य माध्यम से प्राप्त करनी होती है और तब यह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के विरुद्ध आक्षेप लगाने का प्रश्न है, मेरे विचार में यह दुर्भाग्य पूर्ण है । ऐसा वक्तव्य उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं देना चाहिये जो यहां उसका खण्डन करने के लिये उपस्थित नहीं है ।

Shri Rabi Ray: A member of your party Shri Hanumanthaiya has said this.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह तरीका नहीं है । मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा पर इस प्रश्नकाल में नहीं, मार्गदर्शन के नाम पर वे व्यवधान उपस्थित करना चाहते हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री क० लकप्पा : मंत्रालय ने सब तथ्यों को छुपाया है । वे इन दोषी तथा कपटी मोरारका बंधुओं से सम्बन्धित स्थिति का पूर्ण तथा सुस्पष्ट चित्र देने में असफल रहे हैं । मैं उनके पिता के पूर्व इतिहास तक को बताना चाहता हूं । बम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें दण्ड दिया था तथा साढ़े तीन वर्ष का कारावास दिया था । जब श्री छागला न्यायाधीश थे तो उन्होंने यह निर्णय लिखा था कि केवल जांच अथवा कुछ इस प्रकार का अन्य करना ही पर्याप्त नहीं होगा और तीन वर्ष का कठोर कारावास ही ऐसा दण्ड है जो कि धोखा-देही के लिये न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री क० लकप्पा : उन्होंने जेलरों पर भी धोखादेही की । उन्होंने कहा था कि वे रक्तदान कर रहे हैं यद्यपि उनमें रक्त नहीं था **(व्यवधान)** कांग्रेस से षडयन्त्र के कारण उनकी कारावास की सजा घटा दी गई थी । यह मोरारका उद्योग समूह की तस्वीर है जो कि देश में चल रही है ।

आप जानते ही हैं कि बंगलौर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन गरमा-गरमी में हुआ । वहां उन्होंने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा । उन्होंने यह भी कहा कि निष्क्रियता को हटा दिया जायेगा और सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण पर रोक लगाया जायेगा अथवा इसे समाप्त कर दिया जायेगा । अतः हमें देखना है कि वे क्या करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक वे अपने प्रश्न पर नहीं आ जाते, मूझे उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्होंने पहले ही पांच मिनट ले लिये हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अशिष्टता की भी कुछ सीमा होनी चाहिये ।

श्री क० लकप्पा : प्रश्न यह है कि जब शिकायतें आई हैं तो क्या सरकार मोरारका तथा जोल्ली ब्रादर्स जिन्हें कपटी भी कहा जा सकता है के कार्यों की जांच कराने के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त करेगी तथा क्या उसके प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखेगी .... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री नरेन्द्र कुमार शाल्वे : क्या इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के आरम्भिक टिप्पण या प्राक्कथन को छोड़ कर प्रश्न केवल इतना है कि क्या सरकार जांच कराने को तैयार है ।

श्री नरेन्द्र कुमार शाल्वे : क्या यह प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्र में आता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मंत्री महोदय के पूरे उत्तर को देखते हुये माननीय सदस्य को यह पूछने का अधिकार है कि क्या सरकार इन कार्यों की जांच करायेगी ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक माननीय सदस्य के रक्त के बारे में कहे गये कथन का सम्बन्ध है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मोरारका ब्रादर्श के पिता ने कितना रक्तदान किया है तथा कितना उसमें है इसका पता माननीय सदस्य ही लगाएं। अन्य बातों के बारे में मैंने निवेदन किया है कि जब हमें उनकी सूचना मिल जायेगी हम उसे सभा पटल पर रख देंगें। दूसरी बात का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार को जब तक किसी बात की सूचना ही न मिले उसके बारे में जांच समिति नियुक्त करने की आवश्यकता पर विचार ही नहीं किया जा सकता। इस बारे में तभी विचार किया जाएगा जब सरकार को उसकी सूचना मिलेगी।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि कांग्रेस दल को धन की आवश्यकता होती तो उसे मोरारका के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। हमें सहायता देने वाले अन्य गरीब लोग बहुत हैं। किन्तु क्या यह सच है कि श्री लकप्पा तथा अन्य मोरारका ब्रादर्स के पास सहायता लेने गये थे ......(**अन्तर्बाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्य पारस्परिक आरोपण में न फसें .... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री चेंगलराया नायडू : मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। क्या यह भी सच है कि जब उन्हें अंशदान देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और सारा दोष कांग्रेस के ऊपर डाल दिया ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वह प्रश्न मुझसे नहीं पूछा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे ..... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री क० लकप्पा : एक व्यवस्था के प्रश्न पर।

श्री हेम बरुआ : नियमों के अनुसार प्रश्नोत्तर काल में केवल सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस काल में परस्पर आक्षेप लगाना अनुचित है। किन्तु यहां एक माननीय सदस्य श्री लकप्पा के विरुद्ध आक्षेप लगा रहे हैं...... (**अन्तर्बाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा है मैं पहले ही उस पर ध्यान दे चुका हूं तथा मैंने माननीय सदस्य को इस बारे में पहले ही सचेत कर दिया है कि प्रश्नोत्तर काल में परस्पर आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। यह अवधि केवल सूचनाएं प्राप्त करने के लिये रखी गई है। मैं उन्हें भी सचेत करना चाहता हूं। इस सदन के आप सभी माननीय सदस्य हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, कुछ संसदीय प्रणालियां सर्वविदित हैं। जब श्री नायडू जैसे वरिष्ट माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हैं .... (**व्यवधान**)

श्री मनुभाई पटेल : महोदय, क्या यही आप व्यवस्था का प्रश्न सुन रहे हैं ? माननीय सदस्य यदि चाहें तो प्रश्न ही पूछ सकते हैं ।

श्री क० लकप्पा : मैंने कभी ऐसी कांग्रेस नहीं देखी **

कई माननीय सदस्य खड़े हुए ।

श्री स० कुण्डू : देखिये किस प्रकार से सभा की प्रतिष्ठा घटाई जा रही है। आपको इसे सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए था । केवल माननीय सदस्य को सचेत करने से कार्य नहीं चलेगा ।

श्री एस० एम० कृष्ण : श्री लकप्पा और श्री नायडू ने जो कुछ कहा है उसे सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए अन्यथा यदि ऐसे ही चलता रहा तो इसका कभी अन्त ही नहीं होगा ।

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । जो व्यक्ति यहां अपनी सफाई पेश करने के लिये वर्तमान नहीं है उस पर अनावश्यकरूप से यहां आक्षेप नहीं लगाने चाहिए ।

श्री अब्दुल गनी दार : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री क० न० तिवारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा की कार्यवाही में वह भाग जिसमें आरोप लगाए गये हैं अवश्य ही निकाल देने चाहिए । या तो माननीय सदस्य को प्रमाणित काना चाहिए कि उन्होंने धन लिया है अथवा उस भाग को वृत्तांत से निकाल देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में कुछ नियम निर्धारित हैं ।

श्री क० न० तिवारी : आप ऐसी निराधार बातों को सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने की अनुमति दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों को सचेत कर दिया है कि वे उन व्यक्तियों के नामों को यहां न घसीटें जो अपनी सफाई देने को यहां वर्तमान नहीं हैं । परस्पर आरोप लगाना भी यहां व्यर्थ है । इसके अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकता हूं ।

श्री क० न० तिवारी : मेरी प्रार्थना है कि इसको सभा के वृत्तांत से निकाल देना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य ने कुछ टिप्पणी की हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण आप यदि चाहें तो अपना प्रश्न रखिये अन्यथा आप बैठ जाइये ।

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया । देखिये पृष्ठ संख्या** 7 और 8

Expunged as ordered by the Chair, vide page No. 7 and 8

श्री स० कुण्डू : क्या आपने उनसे अपने शब्द वापस लेने को कहा है ? क्या आपने श्री नायडू से वह टिप्पणी वापस लेने को कहा है ? अन्यथा इसे सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब इसी प्रकार की बातों में उलझे रहे तो मैं अगले प्रश्न पर चला जाऊंगा ।

श्री रणधीर सिंह : महोदय, इस बारे में मेरा विरोध है । मुझे खेद है कि आप इस बारे में गम्भीरता से नहीं सोच रहे हैं । कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में कुछ टिप्पणी की गई है । हम इसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होने देंगे । इसे अवश्य ही रिकार्ड से निकाल देना चाहिए ।

कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार की बात कोई नहीं कह सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तुरन्त ही उन माननीय सदस्य को सचेत कर दिया था तथा उन्हें चेतावनी दे दी थी । उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहिए जो यहां अपनी सुरक्षा के लिये वर्तमान नहीं हैं ।

श्री रणधीर सिंह : केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं रहेगा । हमें यह बात स्वीकार नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही से निकालिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही से निकालने के बारे में कुछ निश्चित नियम हैं और यदि ऐसा आवश्यक समझा गया तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

सरकारी क्षेत्र में गैस सिलन्डर कारखाने की स्थापना

*33. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक गैस सिलन्डर स्थापित करने सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) देश में गैस की कुल कितनी मांग है और इस मांग को अब तक किस तरह पूरा किया जाता रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

(ख) गैसों की मांग का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है किन्तु देश में गैस की मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान एककों का उत्पादन पर्याप्त है तथा इनका बहुत कम आयात किया जाता है। चूंकि एच० पी० गैस सिलैण्डरों का निर्माण देश में नहीं किया जाता है अतः आयात के द्वारा इसकी मांग को पूरा किया जाता है जिसकी संख्या प्रतिवर्ष 40,000 नग है।

श्री सु० कु० तापड़िया : महोदय, लगभग 6 माह पूर्व सरकार की ओर से कहा गया था कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया है किन्तु अब माननीय मंत्री कहते हैं कि प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है। हमें यह पता नहीं है कि सरकार इस बारे में कितने समय बाद कोई निर्णय देगी। किन्तु हमें अधिक आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब सरकार ने गैस की मांग का अनुमान ही नहीं लगाया है तो वह इस बात का निर्णय कैसे कर सकती है कि उसे गैस सिलेण्डर बनाने वाली एक और यूनिट की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। यदि वर्तमान क्षमता पर्याप्त है और जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिन नई फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से केवल एक फर्म ने उत्पादन करना प्रारम्भ किया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाइसेंस दिये गये हैं क्या उनको कार्यान्वित कराया जाएगा अथवा उन्हें रद्द कर दिया जाएगा? बिना अनुमानित मांग को जाने या बिना अनुमानित उत्पादन को जाने सरकार यह कैसे निर्णय कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र में अभी एक और यूनिट खोलने की आवश्यकता है?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): महोदय, इस मामले के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से कहा गया था। सरकार को उनका प्रतिवेदन मार्च के अन्त में या अप्रैल के आरम्भ में ही प्राप्त हुआ है। इस बारे में मुझे निश्चित समय ज्ञात नहीं है। उस प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। इस मामले के बारे में हम जैसे इस प्रतिवेदन की परीक्षा हो जाएगी कोई निर्णय लेंगे। इन गैस सिलेण्डरों की मांग के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे कि मूल प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है कि देश में हाई प्रैसर सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हैं। उनका आयात करना पड़ रहा है। उक्त मामले की हाई प्रैसर सिलेण्डरों के निर्माण के ध्येय से ही परीक्षा की जा रही है और हम इसी कारण इनके निर्माण को आरम्भ करना चाहते हैं। यह सच है कि इसके लिये भी दो फर्मों ने लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में आवेदन-पत्र भेजें हैं। पहले लाइसेंस दे भी दिया गया था किन्तु चूंकि उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां थीं तथा चूंकि उनके साम्य अंशों की संख्या नगण्य प्राय: थी अतः सरकार ने यही उत्तम समझा कि जब उन्हें सम्पूर्ण वित्तीय सहायता वित्तीय संस्थाओं से ही देनी हैं तो क्यों न इस कार्य को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ही प्रारम्भ किया जाय।

श्री सु० कु० तापड़िया : महोदय, जहां तक बड़े नगरों में गैस सिलेण्डरों की उपलब्धि का सम्बन्ध है वहां तक तो माना जा सकता है किन्तु सिलेंडरों की कमी तथा अन्य विपणन

सुविधाओं की कमी के कारण छोटे नगरों तथा दूर के क्षेत्रों में गैस की उपलब्धि नगण्य ही है। चूंकि अन्य ईंधन भारी महंगा पड़ता है अत: यदि छोटे नगरों तथा दूर क्षेत्रों में भी इस गैस को उपलब्ध कराये जा सकें तो वहां के लोगों को भी इससे पर्याप्त लाभ हो सकेगा।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में इन उत्पादनों के विपणन एवं विक्रय के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि इस मामले में कोई कठिनाई है तो हम वास्तव में उस पर ध्यान देगें। अभी तक हमारे पास किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है। क्योंकि अब माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है तो हम यह देखेंगे कि इस स्थिति में कहां तक सुधार किया जा सकता है।

श्री रा० बरुआ : माननीय मंत्री जी के उत्तर से हमें पता चलता है कि गैस की सम्पूर्ण मांग के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। जो गैस असम में तैयार की जाती है उसका प्रयोग घरेलू कार्यो के लिए सिलेण्डरों की कमी के कारण नहीं हो सका। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में मुझे स्पष्ट उत्तर देंगे कि इसका मूल्यांकन किया जायेगा और सिलेण्डरों के प्राप्त होने की व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसे दूर किया जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं सदन को इस स्थिति से अवगत करता हूं, कि ये सिलेण्डर अनेक प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे बोतल भरना, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली गैस व पैट्रोल को वहन करना। इन आवश्यकताओं को पूरी करने की हमारे पास यथेष्ट क्षमता है। जहां तक उच्चदाब सिलण्डरों का सम्बन्ध है हमारे पास इनकी कमी है और इसी कारण-वश हम इन सिलेण्डरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक यूनिट की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यदि किसी क्षेत्र में कोई कठिनाई होगी तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे और इस बात पर भी विचार करेंगे कि अपने ही देश में तैयार किए गए इन सिलेण्डरों को देश के प्रत्येक भाग में भेजा जाए।

Shri Hukam Chand Kachwai: There is great demand of gas cylinders in the country at present and the agencies in public sector as well as in private sector are heavily booked and people have to wait for their turn. What particular measures have you taken for manufacturing the gas cylinders in heavy quantity in all the states so that their supply could be made and whether you have collected any information in so far as its demand in the country is concerned at present? Whether Government have collected such datas? If not, will you collect them now?

Shri F. A. Ahmed : I said that we have not made any assessment so far. But the manufactured gas cylinders are sufficient to meet the demand. Apart from high pressure gas cylinders there is no necessity of importing these gas cylinders. As regards the assessment we shall certainly see that assessment is made in every state and after this we shall try to meet the requirement where there is shortage of the gas cylinders.

श्री अनन्तराव पाटिल : गैस सिलेण्डरों तथा आधानपात्रों की कमी के कारण भारतीय तेल निगम इण्डेन कम्पनी को देश के कुछ भागों में, विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में वितरण एजेंसी देने की स्थित में नहीं है, और यही कारण है कि उस क्षेत्र के व्यक्तियों को 'बरशेन' अथवा 'एसो' गैस लेनी पड़ती है, और इसके लिये भी वे महीनों प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि यह गैस भी उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। भारतीय तेल निगम से जांच करने से पता चला है कि यह निगम इस सम्पूर्ण क्षेत्र को इण्डेन गैस की पूर्ति करने में समर्थ है परन्तु गैस सिलेण्डरों की कमी के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि उच्चदाब सिलेण्डरों के निर्माण करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के उस भाग में जहां इण्डेन गैस उपलब्ध है क्या गैस सिलेण्डर तैयार करने की एक फैक्ट्री की स्थापना करने की कोई सम्भावना है ?

श्री फख़रुद्दीन अली अहमद : यह प्रश्न फैक्ट्री के स्थान के निर्धारण से सम्बन्धित है। इसका विचार देश की मांग को ध्यान में रखकर किया जायेगा

श्री नन्द कुमार सोमानी : माननीय मंत्री ने जो कहा है यदि मैं उसे ठीक समझा हूं तो वह यह है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिये उच्चदाब सिलेण्डरों का निर्माण करने का सरकार का विचार है, और आपके लिये यह अच्छा होगा यदि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के आधार आप अपनी अवश्यकता का मूल्यांकन करें। परन्तु तरल क्लोरिन के वहन करने की भी इस देश में आवश्यकता बढ़ रही है जिसके लिये उच्च दाब सिलेण्डरों की आवश्यकता है जो इस देश में बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। विशेषकर छोटे नगरों और ग्रामों में स्वच्छ एवं पीने योग्य जल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुये उच्चदाब एवं परिशुद्धतापूर्ण निर्मित क्लोरीन सिलिण्डरों की मांग का महत्व और अधिक हो गया है। उच्चदाब सिलेण्डरों की क्षमता को अन्तिम रूप देने से पूर्व क्या सरकार ने इस आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है ?

श्री फख़रुद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन के ब्योरे को अच्छी तरह से नहीं देखा है परन्तु मैं इस मामले को ध्यान में रखूंगा।

श्री मनुभाई पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि बड़ौदा के निकट कोयली तेल शोधक कारखाने की उपजात गैस इन सिलिन्डरों के उपलब्ध न होने के कारण जल कर समाप्त हो जाती है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्माण किये जा रहे इन सिलेण्डरों के आभाव में क्या किसी गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी ने सिलेण्डर-निर्माण का कारखाना स्थापित करने का सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा है, यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखानें आरम्भ करेगी जिससे यह गैस, जोकि हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है, नष्ट न होने पाये ?

श्री फख़रुद्दीन अली अहमद : इस बात पर विचार किया जायेगा। उच्चदाबी गैस के प्रयोग के लिये हम गैस सिलेण्डरों का आयात कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि पार्टियों को दो

लाइसेंस दिये थे परन्तु किन्हीं कठिनाइयों के कारणवश उन्होंने उन्हें कार्यान्वित नहीं किया। सरकार ने निर्णय लिया है कि हमें सरकारी क्षेत्र में इन उच्च दाब सिलिण्डरों का निर्माण करना चाहिये। चौथी योजना में इसकी व्यवस्था करदी है तथा इस वर्ष के लिये खर्चे की भी व्यवस्था करदी है। हम शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

Shri Abdul Ghani Dar: Will the hon. Minister be pleased to state that he is aware of the fact that Indian Oil Corporation has got ample volume of gas but because of shortage of cylinders they are not in a position to supply this in the Northern India and as such the Indian Oil Corporation or in other words the country is suffering a loss of lakhs of rupees every month and the Esso and the Burmah Shell are taking undue advantage of this because they have sufficient quantity of cylinders.

Shri F. A. Ahmed: That is why we have decided to manufacture them in public sector undertaking.

इस्पात के मूल्यों का पुनरीक्षण

*34. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री रवि राय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सीताराम केसरी :
डा० रानेन सेन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री ई० के० नायनार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा कम्पनी ने सरकार को एक टिप्पण भेज कर इस्पात के मूल्यों को बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों के विचार क्या हैं ; और

(घ) इस्पात के मूल्यों की इस वृद्धि का अन्य उद्योगों, रेलवे तथा सामान्यतः अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). इस्पात के मूल्यों को बढ़ाने के लिए सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों के इस्पात कारखानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस्पात के मूल्यों की वृद्धि से अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर सम्भाव्य प्रभाव सहित सभी संगत बातों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इस्पात बुनियादी कच्ची सामग्री है और इसके मूल्य की वृद्धि से इस्पात को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाले इंजीनियरिंग जैसे अन्य उद्योगों के उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि की रुकावट भी दूर हो जायेगी। अतः इस श्रंखलित क्रिया को दूर

करने के लिये क्या मंत्री महोदय इस्पात के मूल्य की वृद्धि की सीमा निर्धारित करेंगे ? इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस्पात पर से नियंत्रण हटाने के उपरान्त इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है ? एक समय था जब टैरिफ आयोग की जांच के आधार पर इस्पात के मूल्यों का निर्धारण किया जाता था और उस पर लगी पूंजी पर लाभ की उपयुक्त दर ही स्वीकृत थी । इसको ध्यान में रख कर ही क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की जांच करेगी और यह देखेगी कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि न हो जिससे कि उस श्रंखलित क्रिया का अवरोध समाप्त न होने पाए जिसका मैंने उल्लेख किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस बात का विश्वास दिलाना तो बहुत कठिन है कि यदि इस मामले को टैरिफ आयोग को सौंपा जाए तो मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी । अतः मैं यह नहीं जानता कि क्या मेरे माननीय मित्र अपने सुझाव का स्वयं ही प्रतिवाद करना चाहते हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैंने कहा, कि क्या टैरिफ आयोग ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आपने दो परस्पर विपरीत सुझाव दिए हैं । आप इस मामले को टैरिफ आयोग को सौंपना चाहते हैं तथा मूल्यों में वृद्धि भी नहीं चाहते हैं । फिर भी मेरे कहने का आधारभूत आशय है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इस्पात के मूल्य में वृद्धि से इस्पात को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाले अन्य आर्थिक क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव होने जा रहा है । इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं माननीय मंत्री की इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने की उत्सुकता को समझता हूं क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील ने पिछले वर्ष 38 करोड़ रुपये का घाटा उठाया, और उसने सम्भवतः गुप्त रूप में यह अभिवेदित किया है कि यदि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की जाए तो घाटा कम हो जायेगा । अतः प्लैटों, जस्ती चादरों तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यह सब चोरबाजारी हो रही है । क्या सरकार इसकी जांच कराएगी कि क्या वास्तव में इस प्रकार की चोरबाजारी हो रही है, और यदि हां तो इस सम्बन्ध में यह देखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उत्पादकों अथवा मध्यवर्ग के लोगों के द्वारा उपभोक्ताओं के बाल न उतारे जाएं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस्पात पर से नियंत्रण अभी हटाया गया है । यह सच है कि दुर्लभ इस्पात की कुछेक श्रेणियों के मूल्य में विविधता हो तो हम यही कर सकते हैं कि यथासम्भव उसके उत्पादन को बढ़ाकर और आयात बढ़ाकर उसको सुप्राप्य बना दें । हम यह दोनों ही करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु आयात के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा, विशेषकर निर्बाध विदेशी मुद्रा की उपलब्धि भी एक कारण है जिससे सदन अवगत है । इस्पात की उपलब्धि को बढ़ाने में सदा इसके निर्णय और वास्तविक क्रियान्विति में समय का अन्तराल पड़ जाता है, परन्तु हम बोकारो

को ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस सन्दर्भ में बोकारो की आवश्यकता का अब अनुभव करेंगे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : परन्तु चोरबाजारी के सम्बन्ध में क्या किया है? क्या चोरबाजारी के लिए भी आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर दे दिया है। श्री रवी राय।

Shri Rabi Ray : I want to know from the hon. Minister whether he has explored this fact that despite Coal and Iron Ore Mines are very close still the prices of steel are very high in our country as compared with those of Japan. In Japan the coal and iron ore mines are at longer distance say at a distance of one thousand miles. Perhaps it is the extravagant expenditure on the establishment etc. which has resulted in spirraling prices of steel?

Secondly what are the important recommendations of the Mehta Committee on the prices of steel, and the action taken by the Government so far?

Shri K. C. Pant: The hon. Member has compared the prices of steel in India with the prices abroad. Ordinarily in comparing these prices the difficulty is this that there is some difference between the prices of steel which we fix for consumption in the country and those which is meant for exporting to foreign countries for the export prices have some subsidy. Even in our country some contribution is also included in P. C. Prices so that there may be parity in the prices of steel through out; and to help export to foreign countries. If we compare ex-factory prices and domestic prices of the steel goods we mostly manufacture here with those of foreign countries we will find that our prices have not been increased.

Shri Rabi Ray: What were the important recommendations of Mehta Committee, and what action is being taken by you thereon?

Shri K. C. Pant: The recommendations of the Metha Committee have become very old and even then we are implementing those recommendations which are now practicable and can be implemented.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मंत्री ने बताया था कि टाटा सरीखी गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने भी निवेदन किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनी हिन्दुस्तान स्टील द्वारा अभिवेदन दिये जाने से पूर्व ही इस्पात मंत्रालय में इस विशिष्ट बात पर विचार कर लिया गया था और हिन्दुस्तान स्टील द्वारा मूल्य की वृद्धि करने के लिए अभिवेदन देने से पूर्व ही मंत्रालय की अनुमति ले ली थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धों में मूल्य बढ़ाने के लिए आपस में मंत्रणा हो गई थी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि मेरे माननीय मित्र ने इस बारे में शंका नहीं की होती तो वे अपने आपको निरर्थक कठिनाई से बचा लेते। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई मामला पहले सरकार को भेजे। इस्पात के मूल्यों के निर्धारण के लिए अनेक कारणों को देखते हुए सरकार को निर्णय लेना पड़ता है और वह निर्णय लेती है। इस्पात मंत्रालय के सचिव तथा सरकार के उपभोक्ता मंत्रालयों के सचिवों की एक सचिव-समिति ने

इस मामले पर विचार किया है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि सरकार इस्पात की मुख्य उपभोक्ता है, अतः औद्योगिक विकास, वित्त, वैदेशिक व्यापार, प्रतिरक्षा उत्पादन, रेलवे मंत्रालयों के सचिवों एवं योजना आयोग को आमंत्रित करके एक बैठक बुलाई गई। इस मामले के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया जायेगा। परन्तु, मैं यहां यह भी बता दूं कि यदि मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक उपयुक्त झांकी प्रस्तुत करें तो इनके हानि अथवा लाभ में मूल्य ही एक ऐसा कारण है जिसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रस्तुत करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस कारण किसी को इन सरकारी उपक्रमों की लाभदायकता के निर्धारण में कारण बना लेना ठीक कहा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरे माननीय मित्र श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी ने अभी सुझाव दिया था कि क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील को हानि होती रही है, अतः वह भी कीमतों के बढ़ाये जाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। यह हो सकता है परन्तु मुझे जानकारी नहीं। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि जहां तक मुझे ज्ञात है इस बारे में श्री टाटा ने पहल की है। उन्होंने सरकार को एक टिप्पण अथवा ज्ञापन-पत्र दिया है। जहां तक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का सन्बन्ध है उन्हें हानि नहीं हो रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कम से कम इस अवधि में जब से इस्पात पर से नियंत्रण हटाया गया, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को कितना वार्षिक लाभ हुआ। किन विशष्ट आधारों पर श्री टाटा ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के लिए पुनरीक्षण की मांग की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्होंने जो कारण प्रस्तुत किए हैं, उनमें एक उस खण्डक के सन्दर्भ में है जिसके आधार पर एक निश्चित अवधि के पश्चात् टैरिफ आयोग ने कीमतों का निर्धारण किया। मैं समझता हूं उस समय 1962 में 1176 रुपये प्रति टन मानक खण्डक माना था। यह कहा जाता है कि उस समय से यह बढ़कर 2500 रुपये प्रति टन तक हो गया है। पूंजी पर मूल्यह्रास, तथा ब्याज जैसे पूंजीगत खण्डक से सम्बन्धित लागत स्वभावतः ही बढ़ गई है। यह भी एक कारण है। जहां तक विनियोज्य लाभों का सम्बन्ध है, वे 1965-66 में 9.6 करोड़ रुपये; 1966-67 में 7.57 करोड़ रुपये; और 1967-68 में 2.5 करोड़ रुपये थे तथा लाभांशों की दर को बनाए रखने के लिए कम्पनी ने अपने आरक्षित धन में से पिछले वर्ष 2.73 करोड़ रुपये निकाले। ये आंकड़े मेरे पास हैं।

Shri Sitaram Kesri : So far as the question of prices is concerned I want to know from the Hon. Minister that Japan takes away Iron Ore from here, turns it into steel and then sell us at much cheaper rates as in Calcutta the price of Japan Steel is much cheaper than that of the steel of our country. Why this is so ?

Secondly I want to know that if we will not keep our prices competitive in international market, how it could be possible to compete Japan there ? As I am told that in South East Asian Countries like Taiwan, Philippines, Thailand, and Indonesia there is increasing demand of our steel finished goods. Japan is our competitor there. I want to know how will you be in a position to export steel to those countries while keeping the prices non-competitive ?

I have also informed you of this fact that when Japan, after purchasing iron Ores from us, sell its finished steel goods in Calcutta markets at prices competitive to ours, how can, we then, be in a position to export our steel products in South East Asian Countries?

Shri K. C. Pant: In order to have our prices most competitive as compared to those of other countries we try to keep cost of production at the barest minimum level. As I have already said if we compare our prices with those of Japan we will find that our ex-factory prices of some products have gone up and in some cases this has come down. I shall give you a few examples. The price of bars and rods of Indian Standard quality is Rs. 570 whereas that of Japan comes to Rs 708.33. Similarly the prices of Indian Angles medium is Rs. 639 as against that of Rs. 885.42 of Japanese Angle. But in some cases our prices are higher. I do not know the elements of cost included in Japanese price and as such I do not want to compare this, but the figures available with me do not show that our prices are higher.

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी कार

***35. श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० वें० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री जुलफिकार अली खां :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री न० कु० सोंधी :
श्री कृ० गु० देशमुख :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी कारें बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो पाया है।

लक्ष्मी आटोसाइकिल्स लिमिटेड, मद्रास

*36. **मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटोसाइकिल्स बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये लक्ष्मी आटोसाइकिल्स लिमिटेड, मद्रास को औद्योगिक लाइसेंस दिया है;

(ख) प्रस्तावित आटोसाइकिल्स का नाम क्या होगा और करों आदि सहित उसका कुल मूल्य कितना होगा;

(ग) कौन से स्थान पर कारखाना स्थापित किया जायेगा और वह कब तक चालू हो जायेगा तथा उसका वार्षिक उत्पादन लगभग कितना होगा;

(घ) क्या आटोसाइकिल्स बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कुछ अन्य फर्मों ने भी आवेदन-पत्र भेजा था और यदि हां, तो उन फर्मों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) क्या उक्त कारखाना किसी विदेशी सहयोग से चलाया जायेगा और यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) बनाई जाने वाली प्रस्तावित आटो-साइकिल पोलिश माडल एम आर 232 (2320) 49/8 सी० सी० है। कम्पनी ने इस आशय का लिखित आश्वासन दिया है कि उनकी साइकिल की कमानी का मूल्य 600 रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ग) नयी प्रायोजना दण्डकारण्य (उड़ीसा) में स्थापित होगी। लाइसेंस की एक शर्त के अनुसार कम्पनी को इस लाइसेन्स के जारी होने (10-3-69) के 12 महीनों के अन्दर नई प्रायोजना स्थापित हो जानी चाहिये। लाइसेन्स प्राप्त क्षमता 50,000 नग प्रति वर्ष है।

(घ) 1965 में जारी की गयी एक सरकारी सूचना के सन्दर्भ में आटो साइकिल्स, मोपेड्स, तथा आटो अटैचमेन्ट्स आदि के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये 96 आवेदन प्राप्त हुये थे। इन सभी आवेदनों पर विचार किया गया तथा पांच योजनाओं के आटोसाइकिल/आटो अटैचमेन्टस के उत्पादन के लिये आशय-पत्र प्रदान किये जाने के लिये चुना गया था। शेष योजनायें रद्द कर दी गई थीं। बाद में मेसर्स लक्ष्मी आटो-साइकिल्स सहित पांच चुने हुये प्रत्याशियों को आशय-पत्र प्रदान किये गये। आशय-पत्र की सभी शर्तों को पार्टियों द्वारा पूरा किये जाने पर इन आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेन्स के रूप में बदला जायेगा। मेसर्स लक्ष्मी आटो साइकिल्स ने इन सभी शर्तों को पूरा कर लिया था। अतः इसे औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान कर दिया गया। अन्य चार प्रत्याशियों ने जिन्हें इस कम्पनी के साथ आशय-पत्र दिये गये थे अभी

तक सभी शर्तें पूरी नहीं की हैं। शर्तों के पूरा करते ही उन्हें भी औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान कर दिये जायेंगे।

(ङ) भारतीय कम्पनी पोलैन्ड की मेसर्स चेकप के साथ सहयोग करेगी।

कलकत्ता में कारखानों में उत्पादन

*37. **श्री ओंकार सिंह :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री राम सिंह अग्रवाल :**
श्री शारदानन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में कारखानों में गत छः महीनों में उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के उन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से उद्योगपति अपने कारखाने पश्चिम बंगाल से हटाकर उनके राज्यों में स्थापित करना चाहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (ङ). उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के बारे में सरकार को जानकारी है। फिर भी, इस बात की जांच की जा रही है।

Railway Training Centre, Chandausi

*38. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Railway Training Centre of Chandausi (Muradabad), training is imparted and examinations are taken only in English medium and there is no provision for Hindi medium ;

(b) whether it is also a fact that many persons could not get through the examinations because they did not possess sufficient knowledge of English despite the fact that they knew their subject thoroughly well ;

(c) if so, whether Government would introduce Hindi and regional languages in addition to English as medium of training and examinations ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, except in the case of illiterate trainees for whom the medium is Hindi.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

रेलवे में पदोन्नति

*39. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ श्रेणियों में पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण सभी रेलों के कर्मचारियों की पदोन्नति पूर्णतः रुक गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पदोन्नति के अवसर बनाने अथवा वेतनमानों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सरणियां पहिले से ही मौजूद हैं। ऊंचे ग्रेडों में कर्मचारियों की पदोन्नति उन ग्रेडों में खाली जगहों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बहुत सी कोटियों में प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों द्वारा वहन की जाने वाली जिम्मेदारियों की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर ऊंचे ग्रेडों के पद बनाये जाते हैं। अन्य कोटियों में जहां ऐसी प्रतिशतताएं निर्धारित नहीं की गयीं, वहां ऊंचे ग्रेडों के कार्यभार की मात्रा के आधार पर पद बनाये जाते हैं। स्थिति को जहां संतोषजनक समझा जाता है वहां सरकार को यह भी ज्ञात है कि कर्मचारियों की कुछ कोटियों में कुछ कर्मचारी सम्बन्धित वेतनमानों के अधिकतम पर रुके पड़े हैं।

(ख) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ताकि जहां उचित हो वहां कर्मचारियों को राहत दी जा सके।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई समिति नहीं बनायी गयी है।

बेगार को हस्तक्षेप अपराध मानना

*40. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री अदिचन :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री जे० एम० बिस्वास :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने 1967-68 के अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि बेगार को हस्तक्षेप अपराध मानने के लिए कानून बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) हां ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन मानव का पण्य और वेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध है और विधि के अनुसार दंडनीय है। अलबत्ता, बंधित श्रम की प्रथा कुछ राज्यों में विद्यमान है। राज्य सरकारें इस समस्या पर पूरी तरह से विचार कर रही हैं और उन्होंने इस बुराई को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यकारी और विधायी उपाय किए हैं। इन विभिन्न उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विधान सभाओं द्वारा पास किये गये अधिनियमों की सूची

(क) **ऋण दासता**

आन्ध्र प्रदेश

(1) अभिकरण ऋण दासता उन्मूलन विनियम,1946

(2) मद्रास ऋण दासता विनियम, 1940

उड़ीसा

उड़ीसा ऋण दासता विनियम, 1948

राजस्थान

राजस्थान सागरी पद्धति उन्मूलन अधिनियम, 1961

(ख) **साहूकारी और ऋण मुक्ति**

आन्ध्र प्रदेश

(1) आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र) अनुसूचित क्षेत्र साहूकारी विनियम, 1960 (अब इसका विस्तार तेलंगाना पर भी कर दिया गया है।)

(2) आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र अनुसूचित आदिम जाति) ऋण मुक्ति विनियम, 1960 (इसका विस्तार तेलंगाना पर भी कर दिया गया है)।

(3) मद्रास कृषि ऋण मुक्ति (आंशिक रूप से निकाले गये क्षेत्र) संशोधन विनियम, 1944

हैदराबाद साहूकार अधिनियम, 1938

आसाम

(1) लुशाई हिल्स जिला (गैर-जनजातियों द्वारा साहूकारी) विनियम, 1953।

(2) मिकिर हिल्स जिला (गैर जनजातियों द्वारा साहूकारी) विनियम, 1953।

(3) आसाम साहूकार अधिनियम, 1934

(4) आसाम ऋण समाधान अधिनियम, 1936।

बिहार

(1) बिहार साहूकार अधिनियम, 1938

(2) बिहार साहूकार (सौदों का विनियमन) अधिनियम, 1939

बिहार अनुसूचित आदिम जाति विनियम, 1969

गुजरात

(1) बम्बई साहूकार अधिनियम, 1946

(2) बम्बई कृषि ऋणदाता सहायता अधिनियम, 1947

केरल

(1) केरल कृषक ऋण मुक्ति अधिनियम, 1958

(2) केरल साहूकारी अधिनियम, 1958

मध्य प्रदेश

(1) मध्य प्रदेश अनुसूचित आदिम जाति ऋण मुक्ति (संशोधन) विनियम, 1962।

(2) मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम।

(3) मध्य प्रदेश काजावांर ऋण अधिनियम, 1938

(4) मध्य प्रदेश ऋणदाता संरक्षण अधिनियम।

(5) मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण सहायता अध्यादेश, 1966

महाराष्ट्र

(1) मद्रास साहूकार अधिनियम, 1961

(2) मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम

(3) मध्य प्रदेश काजावांर ऋण अधिनियम, 1938

(4) हैदराबाद साहूकार अधिनियम, 1938

(5) बम्बई कृषि ऋणदाता मुक्ति अधिनियम, 1947

मैसूर

(1) मैसूर साहूकार अधिनियम, 1961
(2) मैसूर साहूकार अधिनियम, 1961
(3) बम्बई साहूकार अधिनियम, 1946
(4) कुर्ग साहूकार अधिनियम,1939
(5) मद्रास साहूकार अधिनियम, 1943
(6) हैदराबाद साहूकार अधिनियम, 1939
(7) मैसूर कृषक सहायता अधिनियम, 1928
(8) मैसूर ऋण समाधान अधिनियम, 1928

उड़ीसा

(1) उड़ीसा साहूकार अधिनियम, 1939
(2) उड़ीसा साहूकार (संशोधन) विनियम, 1949
(3) उड़ीसा साहूकार (कतिपय उपबन्धों का लागू होना) विनियम, 1950
(4) उड़ीसा कृषक ऋण अधिनियम
(5) उड़ीसा साहूकार अधिनियम, 1939

राजस्थान

(1) कृषि ऋण ग्रस्तता अधिनियम, 1958
(2) राजस्थान कृषि ऋण ग्रस्तता से छूट (संशोधन) अधिनियम, 1962
(3) राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963
(4) राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 1965

तमिलनाडु

(1) मद्रास साहूकारी अधिनियम, 1957
(2) मद्रास साहूकार अधिनियम, 1943
(3) मद्रास ऋण समाधान अधिनियम, 1936
(4) मद्रास ऋणग्रस्त कृषक (ऋणों की अदायगी) अधिनियम, 1955

पश्चिमी बंगाल

(1) बंगाल कृषि ऋणदाता अधिनियम, 1936
(2) बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

(1) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह साहूकार विनियम, 1956
(2) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नियम, 1957

हिमाचल प्रदेश

(1) पंजाब बंधकमोचन अधिनियम, 1913
(2) भूमि रेहन निरोध अधिनियम, 1938
(3) सपीती और नाहोल (ऋण-ग्रस्तता विधियों से छूट, लागू होना तथा संशोधन) विनियम।

मनीपुर

(1) बम्बई साहूकार अधिनियम, 1946, संघ राज्यक्षेत्र पर लागू किए गए रूप में।
(2) पंजाब पिछड़ी जातियां (ऋणों का दिया जाना) अधिनियम, 1957, संघ राज क्षेत्र में लागू किए गए रूप में।

त्रिपुरा

बम्बई साहूकार अधिनियम, 1946, संघ राज्य क्षेत्र में लागू किए गए रूप में।

लक्कादीव

लक्कादीव, मीनीकोय और अमीनदीव द्वीपसमूह (ऋण समाधान और ऋणों का दिया जाना) विनियम, 1964

Taking back of Cantonment Land from Bhargava Brothers of Lucknow

*41 **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Ranjeet Singh:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Suraj Bhan:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a difference of opinion between the Deputy Law Minister and Law Secretary in regard to taking back of Cantonment land from Bhargava Brothers of Lucknow;

(b) if so, the nature thereof;

(c) whether the case was referred to the Attorney-General; and

(d) if so, his views on the subject?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) Yes, Sir.

(b) The difference of opinion was on the question as to whether certain premises in the Lucknow Cantonment held by Bhargava Brothers could be resumed by the Government of India on payment of compensation only for superstructures constructed thereon.

(c) Yes, Sir.

(d) Attorney-General in his opinion has upheld the views of the Law Secretary that the premises in question could be duly resumed by the Government on payment of compen-

sation only for superstructures constructed thereon and without paying any compensation for the value of the land itself. (The value of superstructure would be about Rs. 12,500 and the value of land itself would be about Rs. 10 lakhs.)

सिलीगुड़ी जाने वाली यात्री रेलगाड़ी में बिस्फोट

*42. **श्री प० मु० सईद :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मीठालाल मीना :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री राम चरण :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 मई, 1969 को धर्मतल और औजूरी रेलवे स्टेशनों के बीच 20 डाउन तिनसुखिया-सिलीगुड़ी यात्री रेलगाड़ी के गार्ड के डिब्बे सहित तीसरे दर्जे के पिछले डिब्बे में हुए विस्फोट के कारणों की जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) जान और माल की कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या इस दुर्घटना में मरने अथवा घायल होने वालों के परिवारों को सरकार ने कोई मुआवजा दिया है अथवा देने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, रेल संरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जांच की गई थी।

(ख) रेल संरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार विस्फोट होने का कारण यह था कि गाड़ी में अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ किसी व्यक्ति या अनजान व्यक्तियों द्वारा ले जाया जा रहा था।

(ग) चार व्यक्ति मारे गये और लगभग 8,000 रुपये की सम्पति की क्षति हुई।

(घ) अभी तक न तो क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा प्राप्त हुआ है और न कोई भुगतान किया गया है।

Industrial Licensing Policy Enquiry Committee

*43 **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Bhogendra Jha :
Shri Deven Sen :
Shri Chintamani Panigarhi :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5002 on the 1st April, 1969 and state :

(a) whether the Industrial Licensing Policy Enquiry Committee has since submitted its report to Government ;

(b) if so, the main findings and recommendations contained in the report and the decisions taken thereon ;

(c) whether Government have taken a decision to exempt those industries which need small amount of foreign exchange and those which do not need any foreign exchange from the necessity of getting industrial licence ; and

(d) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The main findings and recommendations are contained in the report, a copy of which has already been placed on the Table of the House. The recommendations made in the report have still to be examined and no decisions have been taken thereon.

(c) and (d). The question of exemption of certain categories of industries from licensing requirements, alongwith other aspects licensing of industries will be examined in the light of the findings and recommendations of the Licensing Policy Inquiry Committee and decisions taken only thereafter.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता

*44. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने को सीमित अवधि के लिये सहायता जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी तथा यह सहायता कब दी जाएगी ; और

(ग) ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बीच लंदन में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). जैसा कि 6 मई, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8586 के उत्तर में बताया गया था, साज-सज्जा

फालतू पुर्जों आदि तथा अंग्रेज तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था के लिये करार के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस ज्ञापन को दोनों सरकारों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिये। अनुसमर्थन किये जाने से पूर्व ब्रिटेन से एक छोटा सा दल दुर्गापुर का दौरा करेगा। इस दौरे के शीघ्र ही किये जाने की संभावना है।

जम्मू और काश्मीर राज्य में उप-निर्वाचन

*45. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1969 के "दि स्टेट्समेन" में प्रकाशित आचार्य जी० भा० कृपालानी, संसद-सदस्य, के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य में उप-निर्वाचनों की तिथियों में परिवर्तन के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मिर्जा अफजल बेग के बीच हुये पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इसमें कोई दोष नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के किसी वक्तव्य की अलोचना की गई। परन्तु इस मामले में उन परिस्थितियों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया जिनमें यह वक्तव्य दिया गया था।

सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच

*46. **श्री जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार ताथ समवाय-कार्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध की गई जांच का सविस्तार परिणाम क्या रहा है जिस पर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : विधि मंत्रालय का अन्तिम परामर्श प्राप्त हो गया है व इसकी परीक्षा की जा रही है।

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना

*47. **श्री हेम बरुआ** :

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) क्या ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर लिये गये हैं ; यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये यदि कोई ठोस कार्यवाही की गई है तो क्या और उससे क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण और ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के प्रारम्भ करने के लिये प्रोत्साहन देने संबंधी मापदंड में संपूर्ण प्रश्न पर, इस दृष्टि से कि औद्योगिकरण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके, दोनों कार्यकारी समूहों के योजना आयोग द्वारा गठित दो कार्यकारी समूहों के द्वारा किया गया प्रतिवेदनों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थाई समिति के विचार कर लेने के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

नियंत्रणों के परिणाम

*48. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह कहा गया है कि नियंत्रण प्रणाली का परिणाम यह हुआ है कि गैर-सरकारी उपक्रम सरकार पर अधिकाधिक निर्भर हो रहे हैं, उनमें उपक्रमी कार्य समाप्त हो गये हैं । वे लागत के बारे में सतर्क नहीं रहे हैं और बाजार की मांग का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है क्या सरकार विभिन्न मदों पर नियंत्रण जारी रखना उचित समझती है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय वर्तमान नियंत्रणों को समाप्त करने के लिये प्रगतिवादी कार्यक्रम तैयार करेगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केवल उस सीमा तक आयात नियंत्रण रखना पर्याप्त नहीं होगा जिससे कि यह निर्यात के बराबर आयात करने का स्वतः नियंत्रण हो ; और

(घ) यदि विकास के लिये यह आवश्यक समझा जाता है तो क्या कारण हैं कि सांकेतिक योजना द्वारा यह नहीं किया जाता, जिसके लिये सरकार से सीधे या पुनर्वित द्वारा ऋण उपलब्ध होगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विभिन्न वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण केवल उस सीमा तक ही रखा जाता है जो कि योजना के वर्णित सामाजिक तथा आर्थिक नीति की पूर्ति के लिये आवश्यक होता है । जहां यह समझा जाता है कि नियंत्रण रखना अब आवश्यक नहीं रहा, सरकार उन नियंत्रणों को

उत्तरोत्तर ढीला कर देती जैसे उदाहरणतः 25 लाख रुपये से कम पूंजी वाले एककों के उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट, पूंजी जारी किये जाने पर नियंत्रण, कुछ वस्तुओं के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण जैसे कागज ।

(ख) तथा (ग). विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों की समस्या की निरंतर समीक्षा की जाती है और जैसा भी आवश्यक समझा जाता है उन्हें लागू अथवा ढीला किया जाता है ।

(घ) 'निर्देशक योजना' की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई विस्तृत लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं बल्कि विभिन्न वस्तुओं की भावी मांग के चालू अनुमानों का निर्देश किया गया है । आर्थिक ढांचे की सभी दिशाओं पर अधिक से अधिक बल दिया जाता रहा है जैसे बैंकों पर नियंत्रण और ऋण व्यवस्था को योजना की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं की ओर मोड़ना इत्यादि । फिर भी कुछ मूल क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विनियोजन, लाइसेंसीकरण मूल्यों तथा वितरण पर सीमित नियंत्रण इन सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये जिनकी व्याख्या सरकार समय-समय पर करती रही है और जिन्हें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्जित किया गया आवश्यक होंगे ।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन

*49. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के नियंत्रणाधीन विभिन्न केन्द्रों में (संस्थानवार) मशीनों के उपयोग की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ;

(ख) कितने-कितने मूल्य की मशीनें संस्थानवार और कितने-कितने समय से अप्रयुक्त पड़ी हैं तथा उनके अप्रयुक्त रहने के कारण क्या हैं ;

(ग) उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन ने क्या क्या कार्यवाही की है या करने का विचार किया है और कितने समय में उनका पूर्ण और उचित उपयोग होने लग जायेगा ;

(घ) क्या इस वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे कुछ और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ; किस प्रकार की मशीनें और उपकरणों का सुझाव दिया गया है और क्या केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन सुनिश्चित करेगा कि उनका पूर्ण और समुचित उपयोग किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा इस मामले की स्थिति पर निरन्तर विचार हो रहा है।

(घ) इस समय एक भी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में रेलवे फाटकों के बन्द रहने के कारण यातायात में रुकावट

*50. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

श्री बलराज मधोक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाहर ही बाहर होकर जाने वाली लाइन के आरम्भ किये जाने तथा और अधिक रेलगाड़ियों के चलाये जाने से दिल्ली की कुछ ट्रंक सड़कों पर रेलवे फाटकों के कारण यातायात रुकावट की समस्या और भी अधिक जटिल हो गई है ;

(ख) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि पटेल नगर, रोहतक रोड, लिंक रोड, जेल रोड और महरौली रोड के रेलवे फाटकों के बार-बार बन्द किये जाने के कारण जन घण्टों की कितनी हानि होती है और अन्य कठिनाई कितनी होती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पटेल रोड पर उपरि रेलवे पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हो या है ; और

(घ) यदि हां, तो यह उपरि पुल कब तक तैयार हो जायगा और अन्य रेलवे फाटकों पर उपरि पुल का निर्माण कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अतिरिक्त रेलगाड़ियों के चलाये जाने के फलस्वरूप रेलवे फाटक अब अधिक अवधि के लिये बन्द रहते हैं ;

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) पटेलनगर सड़क के उपरि पुल के दिसम्बर, 1970 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। अन्य पुलों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

(1) **रोहतक रोड, लिंक रोड और जेल रोड के उपरि पुल**

सड़क प्राधिकारियों से इन पुलों के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) **महरोली रोड पर उपरि-पुल**

1969-70 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में इस प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया है। योजना और प्राक्कलन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिये नई दिल्ली नगरपालिका को भेज दिये गये हैं। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

*51. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिक कारगर बनाने के लिये उसके उपयुक्त परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुथ्याल राव) : (क) तथा (ख). अस्पृश्यता (अपराध अधिनियम, 1955 के संशोधन के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। आशा है कि अन्तिम निर्णय बहुत शीघ्र किए जाएंगे।

चल मतदान केन्द्र

*52. **श्रीमती सावित्री श्याम :** **श्री जे० सुन्दर लाल :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के हाल के उप निर्वाचन में मत डालने के लिये चल मतदान केन्द्र का उपयोग प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग से क्या-क्या निष्कर्ष निकाले गये और उन पर सरकार ने क्या विनिश्चय किया ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) परिणाम यह हुआ कि 18-5-69 को सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में हुए उप-निर्वाचन क्षेत्र में हुए उप-निर्वाचन में मतदाताओं की औसत उपस्थिति जहां लगभग 18 प्रतिशत थी, वहां चल मतदान केन्द्रों पर उपस्थिति 45 प्रतिशत से अधिक थी। चल मतदान केन्द्र में उपस्थिति यदि इतनी अधिक न होती तो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में औसत उपस्थिति 18 प्रतिशत से

कहीं कम होती । अन्तिम विनिश्चय करने के पहले ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिनमें बड़े पैमाने पर मतदाताओं को अभित्रस्त किये जाने की आशंका है ।

Small Car Project

*53. **Shri Nihal Singh:** **Dr. Sushila Nayar:**
Shri Himatsingka: **Shri Abdul Ghani Dar:**
Shri G. C. Naik: **Shri Vikram Chand Mahajan:**
Shri J. K. Choudhary: **Shri Yamuna Prasad Mandal:**
Shri Ramchandra Veerappa: **Shri Gadilingana Gowd:**
Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in respect of the project for manufacturing small car in view of increasing prices of cars ;

(b) the place where small car factory will be set up and whether it should be in the public sector or in the private sector ; and

(c) the reasons for delay in taking a decision ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Discussions have been held with the Ministry of Finance and the Planning Commission about the small car project, but no decision has so far been reached.

(b) These issues will be taken for consideration after a decision is taken to go ahead with the project.

(c) A decision on the project involves allocation of resources therefor within the overall Plan resources and priorities. All the relevant aspects have to be given careful consideration before a final decision is reached and this process is taking time.

पश्चिम रेलवे के विशेष तेल वाहक गाड़ियों के डिब्बों में आग लगना

*54. **श्री द० रा० परमार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत तथा बम्बई के मध्य चलने वाली विशेष तेल वाहक गाड़ियों के डिब्बों में क्रमशः 23 अप्रैल, 1969 तथा 19 मई, 1969 को आग लग गई थी ;

(ख) क्या दुर्घटनाओं की अधिकता के बारे में कोई जांच कराई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) इन घटनाओं से मानव जीवन, रेलवे तथा जनता की सम्पत्ति को कितनी हानि होने की आशंका है ; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (ङ). इन दुर्घटनाओं की जांच करने वाली जांच समितियों के जांच निष्कर्ष के अनुसार पहली दुर्घटना भाप इंजनों द्वारा लाइन पर गिरायी गयी जलती हुई राख पर रिस रहे टंकी माल डिब्बे से पेट्रोल गिरने के कारण हुई थी और दूसरी दुर्घटना एक टंकी माल डिब्बे से पेट्रोल टपकने के कारण हुई जिसमें या तो इंजन से गिरी हुई राख से अथवा टंकी माल डिब्बे के ब्रेक ब्लाक से निकलने वाली चिनगारी से आग लग गयी ।

ऐसी दुर्घटना रोकने के लिये (i) सभी लदान स्टेशनों पर गाड़ी परीक्षकों द्वारा पर्यवेक्षकीय नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है (ii) रास्ते के गाड़ी परीक्षण स्टेशनों पर गाड़ी परीक्षकों को सावधान किया जा रहा है कि वे सभी टंकियों के टपकने की जांच करें और यदि कोई खराबी हो तो उसे ठीक करें (iii) खाली फ्लेज को 2 बोल्टों के बजाय 4 बोल्टों से कसने का आदेश दिया गया है और (iv) यह बात बार-बार दुहरायी गयी है कि निचला निस्सरण वाल्व और खाली फ्लेंज तब तक न बन्द किये जाएं जब तक कि लदान पूरी तरह समाप्त न हो जाय और ऊपर मैनहोल बन्द न हो जाये ।

(घ) इन दुर्घटनाओं में जान की कोई हानि नहीं हुई । रेलवे और सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान लगभग 1,95,387 रुपये है ।

इस्पात का निर्यात

*55. **श्री सीताराम केसरी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कुल कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) उक्त अवधि में निर्यात करने के लिये सरकारी क्षेत्र में कितनी मात्रा में इस्पात का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) उसी वर्ष में निर्यात करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी मात्रा में इस्पात का निर्माण किया जायेगा ;

(घ) इस्पात का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ; और

(ङ) इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) किसी वर्ष के लिये लोहे और इस्पात के निर्यात के लक्ष्य इस्पात निर्यात समिति निश्चित करती है, जिसकी बैठक इस काम के लिए वर्ष में एक बार होती है । वर्ष 1970-71 के लक्ष्य वर्षारम्भ होने से पूर्व निश्चित किये जायेंगे ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

Delhi Productivity Council

*56. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the 9th Conference of the Delhi Productivity Council held in Delhi, he stated that there was need to stress among the people the necessity of increasing productivity so as to achieve economic progress in the country;

(b) if so, the details of the measures being adopted by Government to create this sense; and

(c) in case no action is being taken the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) In my inaugural address at the 9th Annual General Meeting and the 10th Anniversary celebrations of the Delhi Productivity Council held on 30th April, 1969, among other things I had emphasised the importance of creating productivity consciousness and adoption of productivity techniques in all spheres of national economy with a view to achieving accelerated economic growth.

(b) The National Productivity Council (NPC) which had been established by the Government in 1958 has been making all efforts to promote productivity consciousness among the people engaged in industry and allied sectors, with a view to heightening the levels of economic prosperity in the country. The activities of the NPC in this regard have been intensified through work studies and other courses, inplant training programmes and seminars conducted on productivity techniques and methods as also through deputation of production level operatives from industrial undertakings for training overseas in produtivity techniques and methods. To-date, 3150 inplant training programmes and 1189 seminars besides several courses like those for Indian Airlines, Hindustan Steel, State Bank of India, Atlas Cycle Company, Pure Drinks Ltd. etc., have been conducted and 580 persons representing various industries have been given training abroad in productivity techniques. Latterly, more and more emphasis is being laid on enterprise level training programme which cater for supervisory development as also training of managers and workers in industry. NPC has also developed the Productivity Survey and Implementation Service which demonstrate the application of productivity techniques in practical terms. Realising that no productivity movement can be effective unless full utilisation is made of the local initiative and talent, the NPC has been encouraging the development of Local Productivity Councils in important industrial centres. As a result, there are already 47 Local Productivity Councils operating in all the important industrial towns of the country. The NPC and the Local Productivity Councils continually create productivity consciousness among a major cross-section of the people engaged in industry and allied services. It may also be observed that these efforts have a definite multiplier effect which spreads productivity consciousness to a continually widening circle of people.

NPC has recently instituted measures to foster productivity in the field of agriculture as well, realising the importance of agriculture in the country's economy. This new dimension is calculated to spread productivity consciousness among yet another cross-section of the people.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में कागज तैयार करने के कारखाने

*57. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कागज तैयार करने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) ये कारखाने कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ;

(घ) इन कारखानों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होगा ; और

(ङ) क्या ये कारखाने विदेशी सहयोग से स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम ऐंड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

*58. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को 1958 में पुन-निर्धारण की शर्त पर कारोबार चलाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने के कारण क्या थे जबकि अगस्त, 1954 में एक निरीक्षण में उनके संयंत्र में निर्धारण की गति का अध्ययन करने के पश्चात् और समय लेने के पश्चात् तेल के ढोलों के निर्माण के लिये उनकी क्षमता 3200 टन वार्षिक निर्धारित की गई थी ; और

(ख) क्या 1958 में अधिक मशीनें लगाकर उनकी अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रार्थना सरकार ने अस्वीकार कर दी थी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 31 अगस्त, 1954 को मे० स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई का निरीक्षण किया गया था और समय तथा प्रावेदन अध्ययन के आधार पर उसकी क्षमता प्रतिवर्ष 3,200 मी० टन निर्धारित की गई थी । अगस्त, 1955 में उन्होंने दावा किया कि प्रति तिमाही उनकी क्षमता 1170 मी० टन थी तथा प्रति तिमाही 1200 मी० टन तक का कोटा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है जिससे कि वे अपने स्थायी ग्राहकों की बैरल की मांग को पूरा करने के लिये सक्षम हो सकें । सरकार ने अनुरोध को नहीं माना था । 1957 में फर्म ने

अभ्यर्थनाकी कि पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों के लगाये जाने से उनकी क्षमता प्रति तिमाही 800 टन से 1400 टन तक बढ़ गई थी। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पार्टी को इस प्रयोजन के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। फर्म ने 450 मी० टन प्रतिमास, अर्थात् 5400 टन वार्षिक के आधार पर क्षमता के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया, जो उनके श्रेष्ठतम उत्पादन से भी कहीं अधिक था। अतः उनके एक तिमाही अर्थात् जनवरी से मार्च 1957 तक के श्रेष्ठतम उत्पादन के आधार पर बैरल, ड्रम तथा कन्टेनरों के निर्माता को व्यापार चलाते रहने के लिये 4200 टन की अस्थायी क्षमता की व्यवस्था हेतु लाइसेंस स्वीकृत करने का निश्चय किया। श्रेष्ठतम उत्पादन द्वारा आंकी गई क्षमता से बताई गई क्षमता भिन्न थी इसके कारण लाइसेंस में स्वीकृत की गई क्षमता की अस्थायी व्यवस्था की गई थी।

मई-जून, 1969 में औद्योगिक विकास मंत्री की विदेशी यात्रा

*59. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई और जून, 1969 के महीनों में उन्होंने ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जहां उन्होंने यात्रा की ;

(ग) उन देशों के नेताओं के साथ उन्होंने किस प्रकार की बातचीत की ; और

(घ) इस बात के क्या परिणाम हुये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फरुरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . जी हां, ब्रिटेन, हंगरी और रूस की यात्रा की।

(ग) सरकार तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श आर्थिक मामलों पर हुआ जिसका वृहत क्षेत्र है। विशेषतः विचार-विमर्श इन देशों और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग के बढ़ाने की संभावनाओं के क्षेत्र से संबंधित थी।

(घ) यह यात्रा इस दृष्टि से बहुत सफल हुई कि इसमें बड़े नीति सम्बन्धी विषयों पर ही चर्चा नहीं हुई अपितु औद्योगिक सहयोग की अनेक विशिष्ट कार्यक्रम और योजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। सम्मिलित रूप से निर्यात के विकास करने में सहयोग का क्षेत्र, सम्मिलित उद्योग और उत्पादन कार्यक्रमों पर विचार किया गया। विदेशी निवेश और सहयोग के सम्बन्ध में हमारी नीतियां ही विशेष प्रकार से नहीं समझाई गईं अपितु इस यात्रा द्वारा वे दिशाएं भी निर्दिष्ट की गईं जिनमें उन देशों के उपक्रमों और संगठनों से सहयोग किया जा सकता है तथा वे प्रकार भी सामने आये जिनसे हमारे देश तथा उन देशों के लाभार्थ घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध विकसित किये जा सकते हैं।

सिक्योरिटी एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली

*60. **श्री अ० दीपा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योरिटी एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली को कुल आस्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्पनी के निदेशक कम्पनी की आस्तियों का उपयोग इसके ऋणदाताओं के विरुद्ध कर रहे हैं ; और

(ग) सरकार ने उक्त कम्पनी में ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) संभवतः यह निर्देश सिक्योरिटी एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर है। इसकी परिसम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने 31 मार्च, 1965 की वर्ष समाप्ति से संबंधित, अपना अन्तिम तुलन-पत्र प्रस्तुत किया था। चूंकि कम्पनी को लेखे की किताबे, अपूर्ण तथा लेखा-परीक्षा रहित पाई गई, अतः सरकारी समापक ने, दिल्ली उच्च न्यायालय की, लेखे को लेखा-परीक्षा पूर्ण करने के लिये, एक शासन प्राप्त लेखाकार की नियुक्ति के लिये, प्रार्थना-पत्र दिया है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) यह कम्पनी, उच्च न्यायालय, दिल्ली के एक आदेश द्वारा परिसमाप्त की जा चुकी है, तथा सरकारी समापक को, 17-7-69 से कम्पनी का समापक नियुक्त कर दिया गया है।

रेलवे के विश्रामालयों का उपयोग करने का किराया

201. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के विश्रामालयों का उपयोग करने के लिये किराये की कोई समान दरें नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किराया वसूल करने के लिये कोई आधार निर्धारित करने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रेलवे विश्रामालयों के प्रभारों में पूर्ण एकरूपता व्यवहारिक नहीं है क्योंकि दरें स्थानीय परिस्थितियों और विश्रामालयों में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही नियत की जाती हैं।

बाग बाजार यार्ड में रेल के डिब्बों का तोड़ा जाना

202. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अप्रैल, 1969 को सबेरे बागबाजार यार्ड पूर्व रेलवे में रेल के डिब्बों को तोड़ने की वारदात हुई थी और पुलिस ने 6 गोलियां चलाई थीं ;

(ख) क्या इससे कोई हताहत हुआ था ; और

(ग) हथियारों से लैस संगठित तरीके से रेल के डिब्बों को लूटने तथा रेलवे द्वारा भारी क्षतिपूर्ति देने को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार प्रत्येक बड़े मालयार्ड पर सैनिक कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) माल डिब्बों को लूटने की घटनायें पूर्ण नियंत्रण में हैं और सैनिक कर्मचारियों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं है ।

रेलवे आउट एजेंसियां

203. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गग्रेट भरवाई प्रागपुर, नादौन, ज्वालामुखी रोड में बन्द रेलवे आउट एजेंसियों को पुनः खोलने और कांगड़ा में सिटी बुकिंग एजेंसी तथा डेरी गोपीपुर में एक नई आउट एजेंसी खोलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी और क्या कोई दूसरी परिवहन कम्पनी इस काम को आरम्भ करने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम किन शर्तों पर किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . चूंकि मण्डी-कुल्लु सड़क परिवहन निगम ने इन एजेंसियों को चलाने से इंकार कर दिया है इसलिये हिमाचल प्रदेश सरकार गग्रेट, भरवाई, परागपुर, ज्वालामुखी रोड और नादौन आउट एजेंसियों और कांगड़ा में नगर बुकिंग एजेंसी को चलाने का काम हिमाचल सरकार परिवहन को सौंपने की व्यावहारिकता की जांच कर रही है । इस सम्बन्ध में उनका उत्तर मिलने पर आगे कार्रवाई की जायेगी । किसी और परिवहन कम्पनी ने यह काम करने के लिये अपना प्रस्ताव नहीं भेजा है । इसलिये इस काम के लिये शर्तों का सवाल पैदा नहीं होता ।

जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 3032 के उत्तर में 3-12-1968 को बताया गया था, डेरी गोपीपुर में एक आउट एजेंसी खोलने के प्रस्ताव को उचित नहीं समझा गया ।

रेलवे कर्मचारियों का अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण

204. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे में अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में 6 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें कितना और समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि 26-3-1968 को पूछे गये तारांकित प्रश्न 855 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, कर्मचारियों का लाजमी और गैर-लाजमी रूप में वर्गीकरण करने के लिये रेलों में कोई एक दृढ़ सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है अथवा नहीं किया जा सकता क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों पर परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं। मोटे तौर पर लाजमी कर्मचारी वे होते हैं, जिन्हें दिन अथवा रात में किसी समय भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। नियमों के अन्तर्गत हर रेल कर्मचारी को दिन रात में किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है लेकिन उनके मामले में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों के काम के घण्टे निश्चित हैं। इसी तरह कार्य घण्टा विनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्लर्क ड्यूटी के रोस्टर घण्टों के अनुसार काम करते हैं और उन्हें सामान्यत: अपने काम के घण्टों के अलावा ड्यूटी पर बुलाना अपेक्षित नहीं होता। इसलिये भारतीय रेलों पर इस प्रयोजन के लिये लागू मान दण्ड के अनुसार इस कोटि के कर्मचारियों को लाजमी कर्मचारी नहीं माना जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के ईक्विटी शेयर (साम्य अंश) के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय

205. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता के 11,23,300 साम्य अंशों का मूल मूल्य क्या है जिन्हें मैसर्स साहू जैन लिमिटेड से खरीदने के लिये सरकार सहमत हो गई ;

(ख) इन शेयरों का मूल्य निर्धारित करने के लिये श्री एस० के० दास को किस तिथि से मध्यस्थ नियुक्त किया गया था ;

(ग) सरकार ने अब तक उनको कुल कितना पारिश्रमिक दिया है ; और

(घ) मध्यस्थ द्वारा दिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और यदि निर्णय नहीं दिया गया है तो कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 10 रुपये प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य की दर से 1,12,33,000 आंका गया है ।

(ख) 27 अगस्त, 1965 ।

(ग) सरकार ने विवाचकों के पारिश्रमिक, कर्मचारियों का वेतन, यात्रा कार्यालय का किराया, कार्यालय की वस्तुओं और फर्नीचर की खरीद और किराया तथा विविध खर्चों पर 2,51,000 व्यय किये हैं ।

(घ) विवाचक ने अपना निर्णय 21-4-69 को दे दिया है और प्रति शेयर मूल्य 50 रु० निश्चित किया है ।

डालमिया जैन एयरवेज

206. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 24 व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर विवयन बोस आयोग के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप डालमिया जैन एयरवेज को 3 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया है ;

(ख) उन पर मुकदमा किन आरोपों के आधार पर तथा किन धाराओं के अन्तर्गत चलाया जा रहा है और किस तारीख को यह मुकदमा दायर किया गया था ;

(ग) यह मुकदमा किस न्यायालय तथा किस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और इस मामले पर निर्णय होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस मामले में देरी होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): डालमिया जैन एयरवेज के मामले में निम्नलिखित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था :—

1. श्री रामकिशन डालमिया
2. श्री जय दयाल डालमिया
3. श्री शान्ति प्रसाद जैन
4. श्री विष्णु हरी डालमिया

5. श्री ब्रजेन्द्र कुमार जैन
6. श्री जौहरीमल गुप्ता (अब स्वर्गवासी)
7. श्री शिवलाल वर्मा
8. श्री बाल मुकुन्द गुप्ता
9. श्री रामेश्वर प्रसाद बाजोरिया
10. श्री शीतल प्रसाद जैन
11. श्री रायजादा बृजमोहन लाल
12. श्री प्रेमसिंह सोधबंस
13. श्री प्रताप कुमार रे
14. श्री मंगतराम जैन
15. श्रीनिवास दूदाणी
16. श्री रघुवीर प्रसाद गुरहा
17. श्री लंकेश राम शर्मा
18. श्री सुशील कुमार संघी
19. श्री गोपाल अय्यर रामचन्द्रन
20. श्री लाभ चन्द्र गोदी
21. श्री पुरुषोत्तम शंकर पटके
22. श्री रोशन लाल चोरडिया
23. श्री मदन लाल सोधानी
24. श्रीचन्द्र प्रकाश लाल

2. डालमिया जैन एअरवेज परिसम्पतियों तथा निधियों में विश्वासघात का अपराध करने के उद्देश्य से किये गये आरोपित आपराधिक षड़यन्त्रों के आरोपों तथा लेखाओं में कूटकरण तथा झूठ के अपराधों, को दिल्ली में 1946 के लगभग किये गये और जो 1953 तक चलते रहे वह इस अवधि के मध्य, इसकी शाखायें सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो गईं, के लिये, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 409, 467, 471 तथा 477-क के अन्तर्गत, 5 मई, 1964 को जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में, आरोप-पत्र मिसिल किया गया था, तथा इसमें कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा निधियों में से लगभग 3.5 करोड़ रुपयों की राशि के अपहरण के आरोप थे।

3. यह मामला श्री आर० के० आनन्द अतिरिक्त जिला दंडाधीश, दिल्ली के न्यायालय में अनिर्णीत है। इसके बारे में लगभग कुछ मासों में, जांच दंडाधीश के न्यायालय में, निष्कर्ष निकालने की सम्भावना है। यदि यह मामला अन्वीक्षा के योग्य समझा जायेगा, तो सेशन्स न्यायालय को इस अन्वीक्षा को, अन्तिम रूप में देने में, कुछ और अधिक मास लग जाने की सम्भावना है।

4. इन मामलों के निपटाने में देरी हो जाने के कारण नीचे दिये गये हैं :

यह मामला अभियुक्तों के अनुरोध पर कई बार स्थगित किया गया था ; तथा इसमें पकड़े गये अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये अभियुक्तों को एक वर्ष से अधिक लग गया। वह 21 मार्च, 1966 को दिये गये आरोप पत्रों का अभिखंडन कराने के लिये उच्चतर न्यायालयों को गये, इसके परिणामस्वरूप, इस मामले की कार्यवाही 23 जुलाई, 1966 तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी। अभियोग परामर्शदाता ने 17 अगस्त, 1966 को अपनी बहस समाप्त की, और जबकि यह मामला समाप्त होने को था तभी सम्बन्धित दंडाधीश (श्री एस० सी० वैश), 1 अक्तूबर, 1966 से छुट्टी पर चले गये, तथा इसके पश्चात् पदोन्नति पर स्थानान्तरित हो गये। 24 अप्रैल, 1967 से उसके उत्तराधिकारी दंडाधीश के कार्यालय में इस मामले की नये सिरे से सुनवाई प्रारम्भ हुई तथा अभियोग बहस 24 अक्तूबर, 1967 को समाप्त हुई। अभियुक्तों ने जांच दंडाधीश के न्यायालय की किसी भी साक्षी के अभिलेखों के बिना इस मामले को सेशन को सौंपने की प्रार्थना की है, जैसा कि दंड संहिता की धारा 207-क के अन्तर्गत संशोधित प्रक्रिया में दिया गया है।

अभियुक्त सं० 1, श्री आर० डालमिया ने, 17-1-68 को, सेशन न्यायालय में, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के दिनांक 16-12-67 के आदेश के विरुद्ध, जिसमें, अभियुक्तों की यह प्रार्थना खारिज कर दी थी, जिसके द्वारा अभियुक्तों की सभी मूल अभिलेखों को न्यायालय में दाखिल करने के आदेश थे, एक पुनः जांच याचिका प्रस्तुत कर दी, जो प्रायः खारिज कर दी गई, परन्तु इसके फलस्वरूप, यह मामला 7-6-68 तक आगे न बढ़ सका।

मुख्य अभियुक्त श्री आर० डालमिया की ओर से उसके वकील ने इस मामले में $6\frac{1}{2}$ मास तक बहस की। अन्य अभियुक्तों की ओर से बहस अभी जारी है।

कलकत्ता में भारी इंजीनियरिंग निगम का क्रय कार्यालय

207. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम ने कलकत्ता में एक क्रय कार्यालय स्थापित किया हुआ है जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं और उसके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक रुपया व्यय किया जा रहा है ;

(ख) इस कार्यालय के 6 बड़े अधिकारियों के नाम, पदनाम और वार्षिक वेतन क्या हैं ;

(ग) गत वर्ष उक्त कार्यालय के माध्यम से कुल कितने मूल्य की (रुपयों में) खरीदारी की गई ; और

(घ) इस कार्यालय द्वारा गत वर्ष आयातित माल को उठाने पर कितना धन व्यय किया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) जी, हां। माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० भी इस कार्यालय की सेवाओं का उपयोग करता है और सेवाओं के अनुपात में उनका खर्च देता है।

(ख) **क्रम संख्या**	**नाम**	**पदनाम**	**वार्षिक कुल परिलब्धियां** रुपये
1.	श्री जे० एन० किकन	मुख्य नियंत्रक भण्डार तथा क्रय	15,300
2.	श्री जे० एन० हजरा	जहाजरानी उप-नियंत्रक	14,458
3.	श्री एस० राय	लेखा अधिकारी	10,133
4.	श्री पी० एन० नायर	सहायक प्रशासन अधिकारी	9,324
5.	श्री एस० दास	सहायक क्रय-अधिकारी	8,049
6.	श्री ए० एन० चौधरी	सहायक निरीक्षण अधिकारी	7,278

(ग) वर्ष 1968-69 में इस कार्यालय ने 1,38,49,825 रुपये का माल खरीदा।

(घ) वर्ष 1968-69 में कार्यालय ने आयतित माल को उठाने पर 3,42,534 रुपये खर्च किये। सीमा-शुल्क और पत्तन खर्च के रूप में 1,76,74,184 रुपये खर्च किये गये।

रेलवे में जंजीर खींचने की वारदातें

208. **श्री अदिचन :** **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री हेमराज : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में जंजीर खींचने की वारदातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) 1967- 68 और 1969 में अब तक कितनी ऐसी वारदातें हुई हैं ;

(ग) इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कारण रेलवे को कितनी हानि हुई और ऐसी वारदातों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं जिसमें रेलवे में जंजीरों के दुरुपयोग के लिये कड़ी सजा भी देना शामिल है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख)	1967	..	1,64,223
	1968	..	1,99,693
	1969 (मई तक)	..	1,05,633

(ग) नुकसान का, जो मुख्यत: गाड़ियों के संचलन में विलम्ब होने के रूप में है, सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इन घटनाओं में वृद्धि का कारण यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का तथा अनुशासन की भावना में आम गिरावट आयी है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

इटारसी और भुसावल के बीच अप और डाउन गाड़ियों का फिर से चलाया जाना

209. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी और भुसावल के बीच अप और डाउन यात्री गाड़ियां जो बन्द कर दी गई थीं ; फिर से चलाई जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सैक्शन पर रहने वाले लोगों को होने वाली अत्यधिक देरी तथा असुविधा को देखते हुए ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) नवम्बर, 1968 में की गई जनगणना के अनुसार इस खण्ड पर उपलब्ध दो जोड़ी सवारी गाड़ियों में यात्रियों की संख्या इतनी नहीं होती कि पहले चलने वाली 349 डाउन/350 अप भुसावल-इटारसी सवारी गाड़ियों को फिर से चालू करने का औचित्य बन सके।

इटारसी-जबलपुर सैक्शन पर तवा तथा शेर नदियों पर दोहरी रेल लाइन के पुल

210. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी-जबलपुर सैक्शन पर तवा और शेर नदियों पर दोहरी रेल लाइन के पुल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या यह सच है कि तवा पुल का एक स्तम्भ कमजोर था और उसे मजबूत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसका पुनर्निर्माण किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) पाये नं० 2 की चिनाई में हल्की सी दरार पड़ गयी थी । जैकेट लगाकर गये को मजबूत कर दिया गया है ।

(घ) और (ङ). चूंकि पाये को मजबूत करने का जो काम किया गया है वह पर्याप्त समझा जाता है इसलिए पाये को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति और फीस माफी के लिये आयु सीमा

211. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने, उनकी फीस माफ करने और स्नातकोत्तर अध्ययन में प्रवेश के लिए उनकी आयु-सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में नवीनतम परिवर्तन क्या किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नये नियम लागू हो जाने पर इन जातियों के जो छात्र स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये प्रवेश पाना चाहते हैं, वे आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लोगों को छात्र-वृत्तियां और फीस माफी की सुविधा देना बन्द किया जायेगा तो इन जातियों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे ; और

(घ) इन सुविधाओं को घटाने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा मंत्रालय समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

(1) 30 साल की उच्च वय सीमा जारी करना, जिसके बाद नई छात्रवृत्तियां पाने के लिए कोई भी पात्र नहीं होगा ।

(2) जीविका साधन जांच को सरल बनाना और उसे अनुसूचित आदिम जातियों पर भी लागू करना ।

(3) गुण-परीक्षा विहित करना, जिसमें यह अपेक्षित है कि स्नातकोत्तर स्तरों के अध्ययन पर छात्रवृत्तियां पाने के लिये उम्मीदवारों ने पिछली अर्हक परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त किये हों ।

(4) मासिक अनुरक्षण खर्च के अतिरिक्त फीसों, पाठ्य पुस्तकें, इत्यादि खरीदने के लिये 300 रुपये से 480 रुपये तक वार्षिक खण्ड अनुदानों की व्यवस्था करना ।

(ख) से (घ). शिक्षा के प्रति प्रयोजनात्मक ढंग को बढ़ावा देने तथा छात्रवृत्तियों को जीविका के एक साधन के रूप में समझे जाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिये ये परिवर्तन किए गए हैं। इनका उद्देश्य बरबादी को रोकना तथा सबसे अधिक जरूरतमन्द और योग्य विद्यार्थियों में उपलब्ध धन का साम्ययुक्त वितरण करना है ताकि प्रयोजनात्मक शैक्षणिक वृत्ति को पूरा करने के लिये उन्हें इस योजना के अधीन बराबर लाभ मिलता रहे।

दिल्ली और भुवनेश्वर (उड़ीसा) के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाना

213. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार दिल्ली और उड़ीसा राज्य की राजधानी के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी किस मार्ग से होकर जाया करेगी ; और

(ग) इस दूरी को तय करने में वह कितना समय लिया करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). 1-10-69 से लागू होने वाली समय-सारणी में खड़गपुर, बिलासपुर, कटनी, बीना और आगरा के रास्ते पुरी भुवनेश्वर और नयी दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी प्रारम्भ करने का विचार है।

(ग) समय-सारणी बनायी जा रही है।

पूना तथा नागपुर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

214. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने के लिए पूना और नागपुर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये सेवाएं कब आरम्भ की जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). पूना-धोंड-मनमाड और भुसावल-नागपुर खंडों में प्रत्येक पर वर्तमान एक जोड़ी सवारी गाड़ियों को मिला कर पूना और नागपुर के बीच धोंड और मनमाड होकर एक सीधी एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने और मनमाड-भुसावल खंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का प्रस्ताव मध्य रेल प्रशासन के विचाराधीन है। यदि इस प्रस्ताव का अन्यथा औचित्य पाया गया और व्यावहारिक मालूम पड़ा तो भी पूना-मिरज मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में वर्तमान पूना यार्ड के ढांचे में परिवर्तन होने तक इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर में छोटी कार बनाने की परियोजना

215. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने के लिये नागपुर जैसे मध्यवर्ती स्थान पर छोटी कार परियोजना स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). देश में छोटी कार परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, परन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। अभी प्रस्तावित परियोजना किस स्थान पर चलाई जायेगी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

तूतीकोरिन पत्तन के आस पास उद्योगों का विकास

216. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के सदस्य तथा बड़े पत्तन आयोग के अध्यक्ष श्री आर० वेंकटारमन के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि तूतीकोरिन में तथा उसके आस-पास बड़े उद्योग विकसित किये जायें जिससे कि तूतीकोरिन को जिसे हाल ही में बड़े बन्दरगाह के रूप में विकसित किया गया है अच्छी प्रकार से और पूर्णतः उपयोग में लाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में उद्योगों के समुचित विकास के लिये कोई योजना बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है और उस पर अनुमानितः क्या लागत आयेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) योजना आयोग के सदस्य श्री आर० वेंकटारमन ने तूतीकोरिन में अपने वक्तव्य में कहा है कि खाली बन्दरगाह की व्यवस्था करने से उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में कोई सहयोग

मिलने की आशा नहीं है । उसका सहयोग औद्योगिक और दूसरे विकासों द्वारा पोषण होना भी जरूरी है । उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया कि उस बन्दरगाह को चालू रखने के लिए पर्याप्त यातायात साधन और वहां पर स्थापित उद्योगों और उसके पीछे की गतिविधियां आधारित हैं । उनका कहने का आशय था कि वहां पर गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े और लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाए जिससे कि बन्दरगाह आवश्यक यातायात उपलब्ध हो ।

(ख) से (घ). गैर सरकारी क्षेत्र में तूतीकोरिन में कारखाने स्थापित करने का कोई सुझाव नहीं था । फिर भी मद्रास औद्योगिक विकास निगम से एक प्रस्ताव तूतीकोरिन में एक उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिए प्राप्त हुआ था और वह परीक्षण के आधीन है । गैरसरकारी क्षेत्र में उपयुक्त योजना के अन्तर्गत कारखानों की स्थापना करने वालों को सरकार हर सम्भव सहयोग देगी ।

युगोस्लाविया को इंजीनियरी सामान का निर्यात

217. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मई, 1969 में इस देश की यात्रा की और इस्पात संयंत्र के लिये इंजीनियरी सामान की मांग की ; और

(ख) उनकी आवश्यकताओं का व्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). यूगोस्लाविया में स्पलित (split) के स्थान पर एक नया इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए इस्पात कारखानों द्वारा मिल कर भेजे गए एक शिष्टमण्डल ने मई, 1969 में उस देश का दौरा किया था । शिष्टमण्डल का काम भारत से लौह अयस्क, और इस्पात कारखाने के उपस्करों की पूर्ति की संभावना के बारे में प्रारम्भिक छानबीन करना था । शिष्टमण्डल ने कई कारखाने देखे, जिनमें भारी इंजीनियरी निगम के कारखाने भी सम्मिलित हैं, और सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत की । शिष्टमण्डल का उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना था । कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही उन्होंने अपनी आवश्यकताएं बताई हैं । शिष्टमण्डल कन्सोर्शियम को अपनी रिपोर्ट देगा जो आगे की कार्यवाही के बारे में निश्चय करेगा ।

भारतीय रेलवे विशेषज्ञों द्वारा सीरिया का दौरा

218. **श्री बाबू राव पटेल** :क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरिया में नई रेलवे लाइन स्थापित करने के बारे में तकनीकी-आर्थिक सम्भावना

का अध्ययन करने के उद्देश्य से वहां का दौरा करने वाले तीन भारतीय रेलवे विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रस्तावित रेलवे लाइन की लम्बाई क्या है और सीरिया सरकार भारत सरकार से किन शर्तों पर सहायता प्राप्त कर रही है ;

(ग) सीरिया में रेलवे लाइन का निर्माण करने से भारत सरकार को क्या वास्तविक लाभ होगा ; और

(घ) रेलवे विशेषज्ञों को अध्ययन के लिये कितनी धनराशि दी गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सीरिया की यात्रा करने वाले तीन भारतीय रेलों के विशेषज्ञों के नाम निम्नलिखित है :

(1) श्री एम० जी० नायर, संयुक्त निदेशक वर्क्स रेलवे बोर्ड ।

(2) श्री बी० बी० लाल, संयुक्त निदेशक, ट्रेक्शन रेलवे बोर्ड ।

(3) श्री शहीद अली खां, संयुक्त निदेशक रेलवे प्लानिंग, रेलवे बोर्ड ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित रेलवे लाइन की लम्बाई लगभग 180 किलोमीटर है। विशेषज्ञों की सेवायें प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए ही दी गई है और अग्रेतर और तकनीकी-आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन के पूरा हो जाने के पश्चात तथा सीरिया की सरकार को प्रस्तुत किये जाने तथा वहां की सरकार के प्रतिक्रिया ज्ञापन के बाद ही पता लगेगा ।

(घ) विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले अध्ययन की लागत सीरिया सरकार वहन करेगी परन्तु वह लागत अधिकतम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 15 अमरीकी डालर होगी । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिव्यक्ति 450 रुपये तथा टिप आदि के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 15.83 रुपये देगी ।

Donations to Congress Party by Modi Mills

219. **Shri Onkar Singh :** **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount donated by the Modi Mills and the Companies/ units connected with them to the Congress party during the last two years ;

(b) the details of new licences granted to these units during the last two years ;

(c) whether Government are aware of the fact that these licences have been misused ; and

(d) the details of complaints received by Government in this connection during the last two years and action taken thereon ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) The following companies belonging to the Modi Group, according to its composition as shown in the Monopolies Inquiry Commission Report, appear to have contributed funds to the Congress Party during the last 2 years as shown below :

Name of the Company	Congress Party 1966-67 (Rs.)	Congress Party 1967-68 (Rs.)
Patiala Flour Mills Co. Pvt. Ltd.	11,000	—
Modi Spinning and Weaving Mills Co. Ltd.	71,250	5,000
Modi Industries Ltd.	37,500	5,000
	1,19,750	10,000

Note :—The years are from 1st July to 30th June.

(b) to (d). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Eradication of Practice of Carrying Refuse on Heads by Harijans

220. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri Lobo Prabhu:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 199 on the 11th November, 1968 and state :

(a) the further measures, if any, adopted by Government for eradication of the practice of Harijans carrying refuse on heads ; and

(b) if no, measures have been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and Department of Social Welfare (Shri J. B. Muthyal Rao) : (a) Construction of sanitary latrines and conversion of dry latrines into water-borne latrines has been included in the National Water Supply and Sanitation Programme by the Health Ministry in consultation with the Central Council of Local Self Goverment. The State Governments/Union Territory Administrations have been advised to suitably amend the Municipal laws to prevent the construction of new dry latrines. They have also been urged to undertake a special drive for the abolition of Service privies by October 2, 1969.

(b) Does not arise.

Amendments of the Constitution

221. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of amendments made in the Constitution of India so far ;

(b) whether Government are aware that the number of amendments made in the Constitution in such a short period is more than the amendments made in the Constitutions of U.S.S.R., U.S.A. etc. ;

(c) if so, whether Government would try to recast the Indian Constitution and remove all its draw-backs in the changed circumstances, instead of amending it time and again ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) Twenty one.

(b) Our Constitution is very much longer than that of the U. S. A. or U. S. S. R. and it is not appropriate to make a comparison.

(c) and (d). Barring a few, the amendments are not of any serious import. Such amendments as have been made and necessitated by circumstances. There is no case for recasting the Constitution.

Concentration of Industries in Towns

222. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Prkash Vir Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) wnether it is a fact that most of the industrial development is getting confined to few cities as a result of which the problems of housing, transport and health are getting complicated and the progress in regard to industrial development and expansion is not being made in all the areas equitably ;

(b) whether Government propose to amend their licensing policy to ensure that the industries are not centralised in a particular place but are spread out ;

(c) if so, the time by which this amendment is likely to be made ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). It is correct that there is a tendency for industries to concentrate in and around big cities and other developed areas giving rise to problems of housing, transport and health. The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or the rules framed thereunder do not give power to the Government to force a private entrepreneur to establish an industry in a particular area, if its location in that area is not considered economically viable by the entrepreneur. However, the problem of regional imbalance and dispersal of industries away from the metropolitan areas is already engaging the attention of the Government.

Small-scale Sewing Machines Industry

223. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri J. Suder Lal :
Shri George Fernandes :
Shri C. Janardhanan :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Jageshwar Yadav :
Dr. Ranen Sen :
Shri Balraj Madhok :
Shri R. K. Birla :
Shrimati Savitri Shyam :
Shri Hem Raj :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Latafat Ali Khan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the small scale sewing machine industry in India is providing employment to fifty thousand labourers and is also earning foreign exchange for India ;

(b) whether it is also a fact that some big capitalists are trying to establish a large scale sewing machine industry in India with the collaboration of foreign capitalists ; and

(c) if so, whether Government would stop foreign collaboration in this field in order to safeguard the indigenous technical know-how ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : There are over 200 sewing machine manufacturers in the small scale sector, but information about the number of labourers employed by them is not available. The manufacturers in the small scale sector together with those in the organised sector do export substantial numbers of sewing machines earning valuable foreign exchange in the country.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise, in accordance with the Government's present policy, foreign technical collaboration would be considered on merits when received for the manufacture of industrial sewing machines.

Sale of Edibles prepared with Pure Ghee at Stations

224. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri J. Sunderlal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sweets, snacks and vegetables prepared in vegetable oil are sold in trains and at Railway stations ;

(b) whether it is also a fact that passengers accustomed to pure ghee are put to great inconvenience because of the present arrangement ;

(c) whether Government propose to take steps to provide articles prepared in pure ghee;

(d) if so, the nature thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. Vanaspati is also used in certain regions.

(b) No complaint regarding passengers being put to inconvenience because of the present arrangements has come to notice.

(c) and (d). No such proposal is under consideration at present.

(e) The cost of ghee being prohibitive, there is no likelihood of adequate patronage for articles prepared in pure ghee, since the rates for such articles will perforce be very high. Vegetable oils and Vanaspati are widely used in non-Railway establishments also for preparation of edibles.

मैसर्स कूपर एलन एंड कम्पनी लिमिटेड

226. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी की कूपर एलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड को सरकार ने पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी हो गई है ; और

(ग) क्या आवश्यकता के आधार पर उनके पुन: सेवा में लिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने 23 मई, 1969 को ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के दि कूपर एलेन तथा नार्थ वेस्ट टैनरी एककों को अपने अधिकार में लेकर उसकी स्थापना टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कानपुर के नाम से एक नई कम्पनी के रूप में की है।

(ख) कूपर एलेन तथा नार्थ वेस्ट टैनरी एककों में काम कर रहे 2,578 कर्मचारियों में से टैनरी ऐण्ड फूटवियर कारपोरेशन ने हस्तांतरण होने की तारीख को 1,935 कर्मचारियों को काम पर ले लिया। कम्पनी को हस्तांतरित कर लेने के कारण कोई छंटनी नहीं की गई।

(ग) अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टैनरी तथा फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, उन व्यक्तियों को जिन्हें काम पर नहीं लिया जा सका है, प्राथमिकता प्रदान करेगा।

लिपिकों को विभागीय आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा

227. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइप जानने वाले लिपिकों को आशुलिपिक/स्टेनों टाइपिस्ट की

विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है जब कि अन्य सरकारी विभागों में यह अनुमति दे दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और जब वे टाइप एवं आशुलिपि का कार्य भली प्रकार जानते हैं तो उन्हें इस परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने की विशेष आपत्तियां क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान 15-4-1969 को उनके द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न 6428 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) ।

वर्जित सूची की वस्तुओं के निर्माण के लिये नये कारखानों को पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का दिया जाना

228. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्जित वस्तुओं की सूची में दी गई वस्तुओं के निर्माण के लिए नए कारखानों को औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने के लिए सरकार किन-किन तथ्यों को ध्यान में रखती है ;

(ख) क्या ऐसे औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले सरकार इस बात को भी ध्यान में रखती है कि इस कारखानों को इस्पात की चादरों जैसे दुर्लभ कच्चे माल को किस प्रकार उपलब्ध किया जायेगा जबकि सरकार वर्तमान कारखानों को ही पूरी मात्रा में कच्चा माल देने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या नये कारखानों को मान्यता देने से उन वर्तमान कारखानों की दशा और अधिक खराब नहीं हो जायेगी जिन्हें इस उद्योग को वर्जित सूची में रखने से पूर्व स्थापित किया गया था क्योंकि नये कारखाने दुर्लभ इस्पात चादरों के आवंटन में भागीदार बन गये थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस के लिये आये आवेदनों का परीक्षण करते समय सरकार साधारणतः निम्नलिखित बातों को दृष्टि में रखती है :

(1) पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विकसनशील उद्योगों की आवश्यकता ।

(2) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे निवेश को उत्साहित तथा कम आवश्यक उद्योगों में निवेश को अनुत्साहित करने की आवश्यकता ।

(3) निर्यातोन्मुख आयात बचत उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता तथा विशेष योजना में निहित विदेशी मुद्रा का व्यय ।

(4) कच्चे माल के संभरण की स्थिति ।

(5) उद्योगों के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा कुछ ही लोगों द्वारा उनका नियंत्रण किये जाने को रोकने की वांछनीयता ।

(6) संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता ।

(7) लघु स्तर वाले तथा कुटीर उद्योगों के संरक्षण की आवश्यकता और बड़े स्तर तथा लघु स्तर वाले क्षेत्रों के मध्य अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकना ; और

(8) उस स्थान पर जहां एकक की स्थापना होती है, शक्ति, जल तथा परिवहन सुविधाओं की प्राप्ति । फिर भी वर्जित सूची में उल्लिखित मदों के निर्माण के लिये आये प्रस्तावों को सिवाय किसी बहुत विशेष परिस्थिति के सरकार अनुमोदित नहीं करती ।

(ख) यद्यपि नये एककों की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने से पूर्व कच्चे माल की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, सरकार द्वारा ऐसे कच्चे माल के आवंटन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गारन्टी नहीं दी जाती है ।

(ग) विद्यमान एककों को दुर्लभ कच्चे मालों के संभरण का प्रश्न मुख्यतः उनकी प्राप्ति पर निर्भर करता है । नई क्षमता की स्वीकृति कभी-कभी कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनता उत्पन्न कर देती है (यह भी एक कारण है कि अतिरिक्त क्षमता की ऐसे उद्योगों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती है और विद्यमान निर्मित क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग करने के लिए उत्पादन में विविधता लाने हेतु ही सुविधा दी जाती है ।

Activities of Pakistani Nationals in Rourkela Steel Plant

229. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the news published in the 'Organiser' of the 24th May, 1969 that many Pakistani nationals are active in the Rourkela Steel Plant and that they have endangered the security of the Plant ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Government's attention has been drawn to this news item.

(b) There are a number of employees in the Rourkela Steel Plant who claim to have migrated from Pakistan prior to 1947 and to be natural citizens of India on account of their long and continuous stay in the country without a break. Their claims are presently under verification in consultation with the State authorities.

Overcrowding in Trains

230. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri N. K. P. Salve :
Shri N. R. Laskar :
Shri Himatsingka :
Shri Muhammad Sheriff :
Shri R. Barua
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri D. N. Patodia :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri R. K. Birla :
Shri M. S. Oberoi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board has recently taken certain immediate steps to reduce over-crowding in the trains ; and

(b) if so, the details thereof, the result achieved and the future scheme formulated in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) After 1-4-69, 6 broad gauge and 14 metre gauge trains have been introduced/extended. Besides, the loads of the 40 broad gauge and 38 metre gauge trains have been augmented by 1 to 3 coaches—mostly third class—as a regular measure. These measures have resulted in appreciable relief to overcrowding.

Consistent with the availability of requisite resources by way of line capacity, rolling stock, terminal facilities etc., it is proposed to introduce more trains and extend the existing services a part from augmenting the loads of trains, including by change of traction from steam to diesel/electric, to provide relief to the crowded routes/sections.

टोंक में चमड़ा बनाने के कारखाने की स्थापना

231. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री जमुना लाल :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में स्थित टोंक में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक चमड़ा बनाने वाले

कारखाने की स्थापना के बारे में बातचीत करने के लिये एक त्रिसदस्यीय फ्रांसीसी दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो दल के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार हो गया है और यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ; और

(घ) इस कारखाने के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). राजस्थान सरकार ने टोंक (राजस्थान) में सरकारी क्षेत्र में चमड़ा बनाने के लिए एक औद्योगिक कारखाने की स्थापना करने का एक आशय-पत्र स्वीकार कर लिया है। राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि विदेशों, विशेषकर फ्रांस बलगारिया तथा यूगोस्लोवाकिया से निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं तथा निविदा देने वाली कुछ कम्पनियों के प्रतिनिधि सहयोग की शर्तों तथा आयात किये जाने वाले यन्त्रों की सूची के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए जयपुर आये भी थे। अग्रेतर प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है।

टैनरीज एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों की छंटनी

232. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरीज एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जिसने ब्रिटिश इण्डिया लिमिटेड, के कूपर एलन एण्ड कम्पनी को अपने हाथ में लिया है, ने इसके 900 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कार्यवाही के विरुद्ध सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० तथा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० के बीच हुए समझौते के अनुसार टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कूपर एलन और नार्थ वेस्ट टेनरी एककों के उन कर्मचारियों को रखेगी जो कि उसे अपने उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवश्यक होंगे। इसी के अनुसार इन

एककों को सम्भालने की तिथि को दोनों एककों में काम कर रहे 2,578 कर्मचारियों में से टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अपनी आवश्यकता को देखते हुए 1,935 कर्मचारी ले लिये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा नौकरी पर न रखे गये कर्मचारियों को छटनी, मुआवजा तथा अन्य देय राशि के भुगतान का दायित्व ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० का है फिर भी टेनरी फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया अपनी भावी आवश्यकताओं के लिये कर्मचारी रखने में इन कर्मचारियों को वरीयता देगी किन्तु ये कार्य की उपयुक्तता के अधीन होंगे।

Tariff Commission on Prices of Automobiles

233. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1408 on the 29th April, 1969 and state :

(a) whether any decision has since been taken on the Report of the Tariff Commission regarding the prices of automobiles and, if so, the outlines thereof;

(b) whether it is a fact that in connection with increasing the prices of automobiles, the Automobile Manufacturers' Association has drawn the attention of Government to Government Resolution dated the 23rd January, 1957 in which the rigid system of price control has been characterised as harmful for the development of automobile industry ;

(c) whether it is also a fact that manufacturing cost of automobiles has increased by more than 300 per cent during the past 12 years ; and

(d) if so, whether Government propose to consider the said Report of the Tariff Commission expeditiously and take a decision thereon ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Not yet, Sir.

(b) No such representation has been received from the Association of Indian Automobile Manufacturers, Bombay. However, representations have been received from the Automobile Manufacturers' Association of India, Calcutta to the effect that the present price and distribution Controls on the passenger car industry should be removed as their continuance has affected the production and made it difficult for the industry to plan its expansion.

(c) While the cost of production of passenger cars has gone up during the last 12 years, it is not a fact that it has increased by more than 300 per cent.

(d) A decision on the Report (1968) of the Tariff Commission on the Fair Selling Prices of Automobiles is expected to be taken shortly.

कुली तथा खोमचे वाले

234. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुली तथा खोमचे वालों के संघ ने 12 मई, 1969 को एक बैठक में यह मांग की थी कि कुलियों तथा खोमचे वालों को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलती हैं ;

(ख) क्या यह भी मांग की गई थी कि भविष्य में रेलवे प्रशासन उन्हें कुली न कहें ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि 12-5-1969 को फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स एण्ड वैण्डर्स, जो मान्यता-प्राप्त संस्था नहीं है, की बैठक में किन बातों की चर्चा हुई और उसमें क्या मागें रखी गयीं।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का विकास

236. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास के मामले में इन राज्यों को प्राथमिकता देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पिछले सत्र में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है। प्रतिवेदन के अध्याय 3 की सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति को विस्तृत विचार के लिये सौंप दिया गया है।

375 अप इलाहाबाद-दिल्ली सवारी गाड़ी में रेलवे कर्मचारी की हत्या

237. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 375 अप इलाहाबाद-दिल्ली सवारी गाड़ी में टिकट देखते हुए श्री जे० पी० शर्मा

की एक बिना टिकट यात्री ने 10 मई, 1969 को हत्या कर दी थी ;

(ख) उस यात्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ग) रेलवे के किन-किन सेक्शनों में बिना टिकट यात्रा अधिक की जाती है तथा बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी। साथ ही रेलवे अधिकारियों के जीवन की रक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ; और

(घ) क्या श्री शर्मा के परिवार को कोई मुआविजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ;

(ख) साधु सिंह, सुपुत्र सुन्दर सिंह निहंग सिख नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना अपराध मान लिया है ;

(ग) एक विवरण संलग्न है ; **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1285/69]**

(घ) चल टिकट परीक्षक श्री जे० पी० शर्मा को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के रूप में 500 रुपये दिये गये हैं।

कारखानों का पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण

238. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान एक्प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 21 मई, 1969 को लखनऊ में एक प्रेस सम्मेलन में बताया कि जब से उनकी सरकार ने कार्यभार सम्भाला, पश्चिम बंगाल के सात उद्योगों ने उत्तर प्रदेश राज्य में आने के लिये राज्य सरकार से व्यक्तिगत रूप में बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उन उद्योगों के क्या नाम हैं, जो अपने कारखानों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से मिले तथा उनके द्वारा यह कदम उठाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन उद्योगों को यह कार्य करने से रोकने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सरकार के ध्यान में इस विषय पर अखबार से एक खबर आई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मुख्य मंत्री ने केवल एक विवरण दिया था कि

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहन देने की पेशकश के परिणामस्वरूप, राज्य में नये उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं के बारे में देश के विभिन्न भागों से कई पूछताछ की गई, उनमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है। प० बंगाल से उत्तर प्रदेश को किसी विद्यमान उद्योग को स्थानांतरित करने के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल से औद्योगिक सार्थों को अन्यत्र ले जाना

239. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के किसी औद्योगिक सार्थ ने केन्द्रीय सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे पश्चिम बंगाल से हट कर अन्य राज्यों में अपने कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने ऐसा करने के क्या कारण बताए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). 1969 में अपने औद्योगिक उपक्रमों को पश्चिमी बंगाल से अन्य राज्य में स्थानान्तरित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, एक मेसर्स डाबर (डा० एस० के० बर्मन) प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा मेसर्स बायर लारी एण्ड को० लिमिटेड से। पूर्वोक्त कम्पनी अपने निर्मित उत्पादों के वितरण में किफायत करने की दृष्टि से स्थानान्तरण करना चाहती है और उत्तरोक्त अपनी बैरल निर्माण क्षमता के कुछ अंश को मद्रास स्थानान्तरित करना चाहती है ताकि वह मद्रास स्थित इण्डियन आयल रिफाइनरी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। दोनों के प्रस्ताव अभी अनिर्णित पड़े हैं।

इस्पात के सौदे करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

240. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा दण्ड दिया गया है जिनको सरकार की समिति ने इस्पात के सौदों का दोषी पाया था / अन्तर्गत पाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) और (ख). चूंकि सम्बद्ध नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यप्रणाली की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है, सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों को सजा देने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लोहा एवं इस्पात नियन्त्रण कार्यालय के भूतपूर्व असिस्टेंट श्री एस० एन० बनर्जी के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव पर मामूली सजा देने के लिये की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही खतम करने का निश्चय किया गया है।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1969

241. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में कार्य करने वाले उन विभागीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या, नाम, आयु तथा सेवा की अवधि क्या है जिन्हें वर्ष 1969 में इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या, नाम, आयु तथा सेवावधि क्या है जिन्हें उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों का पूरा परीक्षा शुल्क लौटायेगी जिन्हें उनकी स्पष्ट पात्रता न होने के कारण तथा स्थाई होने की शर्त पूरी न करने के कारण उक्त परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति

242. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी तथा कौन-कौन सी सिफारिशें अभी कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : कुंजरू समिति की 354 स्वीकृत सिफारिशों में से केवल 27 सिफारिशों को कार्यान्वित करना बाकी है। इन्हें अबतक पूरी तरह कार्यान्वित करना इसलिए संभव नहीं हुआ है क्योंकि या तो इस सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास-कार्य करना था या धन की उपलब्धता के आधार पर इन्हें एक कार्यक्रम के आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है अथवा इन मामलों में राज्य सरकारों या अन्य स्वतंत्र संगठनों द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है। वांचू समिति, 1968 द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए दो सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पांचवें इस्पात संयंत्र की स्थापना

243. **श्री ए० श्रीधरन** : **श्री अदिचन** :
डा० सुशीला नैयर: **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री क० लकप्पा : **श्री लताफत अली खां** :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री सीताराम केसरी : **श्री जि० मो० विश्वास** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में पांचवें इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान चुन लिया है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त):(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चतुर्थ योजना में ग्रामोद्योग

244. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना में अम्बर चरखों पर कितना धन व्यय किया गया तथा उनके उत्पादन का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ख) लघु उद्योग तथा ग्रामोद्योग के उत्पादन का अनुमानित मूल्य कितना है जिसके लिये चतुर्थ योजना में 294 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि औद्योगिक बस्तियां सफल नहीं हैं, अत: क्या वहां पर उनके अनिवार्य विकास से उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होगी और लघु उद्योग और अधिक बदनाम नहीं होंगे; और

(घ) अम्बर चरखों का उत्पादन आत्मनिर्भरता के आधार पर बनाने से प्रयोजन क्या है और क्या राजसहायता बन्द कर दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में अंबर चर्खों का लगभग 7.04 करोड़ रुपये व्यय हुआ और अंबर चर्खों के सूत के उत्पादन का तृतीय योजना काल में अनुमानित मूल्य 31.67 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) खादी ग्रामोद्योग की अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की है कि पारम्परिक और अंबर खादी उत्पादन को स्वावलम्बी बनाने के प्रयोजन से उसके आगे विस्तार को सीमित करना चाहिये । अर्थात् उत्पादक के लाभ के लिए और उत्पादन के स्थानों के लिए ही सीमित करना चाहिए और सरकार का अनुदान भी बहुत कम होना चाहिए । अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की है कि पारम्परिक और अंबर चरखे के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 5,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए । समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

चतुर्थ योजना में नियंत्रणों का औचित्य

245 **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजनाओं से विलम्ब, फालतू क्षमता उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है कि इस देश की प्रमुख विशेषताएं हैं, जब कि योजना रहित देशों में ऐसा नहीं है;

(ख) क्या योजनाओं से उद्योगों का प्रसार हो सकता है जबकि प्राकृतिक आर्थिक शक्तियों के कारण ऐसा नहीं हो सकता है;

(ग) यदि परम्परागत तथा लघु उद्योगों के संरक्षण के लिये योजनाएं आवश्यक समझी जाती हैं; तो क्या प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें देकर और मण्डी आरक्षणों द्वारा इस लक्ष्य की अधिक अच्छी तरह पूर्ति नहीं की जा सकती हैं;

(घ) क्या कारण है कि सरकार औद्योगीकरण के लिये उपभोक्ताओं के हितों को पर्याप्त और अपेक्षाकृत उचित मापदण्ड समझती है; और

(ङ) इससे इस आरोप का खण्डन किस प्रकार होता है कि नियन्त्रणों से आप का एक बड़ा भाग छोटी संख्या में उत्पादकों और मजदूरों को चला जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). आर्थिक ढांचे के विकास के लिए सरकार ने योजनाओं को मौलिक आवश्यकता स्वीकार किया है। योजना में कुछ दोष हो सकते हैं किन्तु योजना रहित विकास राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता।

भारी इंजीनियरी निगम से इंजीनियरों का बड़ी संख्या में चले जाना

246. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :
श्री गु० च० नायक :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री कार्तिक ओराओं :
श्री दे० अमात :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची में भारी इंजिनियरिंग निगम के 70 इंजीनियर भारत छोड़ कर चले गये हैं और एक दूसरे बड़े जत्थे ने देश छोड़ कर अमरीका और अन्य देशों को जाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) भारी इंजीनियरिंग निगम में काम करने वाले इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है तथा देश छोड़ कर जाने के लिए कुल कितने इंजीनियरों ने प्रार्थना की है;

(ग) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिये क्या कारण बताये गये हैं; और

(घ) उनके मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) 1968 से लेकर भारी इंजीनियरी निगम रांची के 23 इंजीनियर अपने पदों से त्यागपत्र देकर अमरीका या अन्य देशों को चले गए हैं। जैसा कि उनके आवेदन-पत्रों में उल्लिखित है, 199 इंजीनियरों ने पारपत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी है।

(ख) कम्पनी में 2010 इंजीनियर काम कर रहे हैं जिनमें से 199 ने पारपत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी है।

(ग) इंजीनियरों के आवेदन-पत्रों में यह कारण दिये गये हैं—आप्रवास के लिए विदेश गमन या उच्च अध्ययन के लिए। कुछ आवेदन-पत्रों में केवल यही लिखा गया है कि विदेश जा रहे हैं।

(घ) आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेना कम्पनी का कार्य है और उन्होंने पार पत्र के लिए अनापत्ति-पत्र न देने का निश्चय किया है। इंजीनियरों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि करार की शर्तों के अनुसार वे कम्पनी की सेवा से त्यागपत्र देकर विदेश जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं।

दिल्ली के बाहर से होकर जाने वाली (एवाइडिंग) रेलवे लाइन

247. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री बलराज मधोक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को छोड़कर चलने वाली रेलवे चालू हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली को छोड़कर चलने वाली यह रेलवे दिल्ली के लिए वर्तुलाकार रेल सेवा का कार्य भी करेगी; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली की आवश्यकता पूर्ति के लिए कितनी अतिरिक्त रेल-गाड़ियां इस लाइन पर चलनी आरम्भ हो गई हैं, इनके चलने की अवधि कितनी है और किन-किन स्टेशनों पर रुकेंगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली परिहार लाइन और इससे संबद्ध यातायात सुविधा प्रायोजना माल यातायात के लिए 16-2-1969 से खोल दी गयी है।

(ख) और (ग). यह लाइन मालगाड़ियों के लिए उपमार्ग के रूप में काम देगी न कि दिल्ली के लिए रिंग रेलवे के रूप में। यह लाइन जब सवारी यातायात के लिए खोले जाने के लिए तैयार हो जायेगी तो इसका उपयोग उपनगरी गाड़ियों को चलाने के लिए भी किया जायेगा।

पिछड़ापन निश्चित करने का मापदण्ड

248. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों के पिछड़ेपन को निश्चित करने के लिये जन्म के अतिरिक्त कोई अन्य मापदण्ड रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश आदिम जातियों को छोड़कर भारत सरकार केवल उन्हीं को पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता देती है, जिनकी पारिवारिक आय 2,400 रुपए प्रति वर्ष से कम हो।

दिल्ली के औद्योगिक एककों में मजदूर

249. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

श्री बलराज मधोक :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1967 से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने नये औद्योगिक एकक स्थापित किये गये और उनका निर्माण क्षेत्र, उनकी रोजगार क्षमता तथा उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) इस समय उसमें कुल कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ग) सम्बन्धित औद्योगिक एककों द्वारा कितने मजदूरों को आवास सुविधा दी गई है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि प्रत्येक नया औद्योगिक एकक, उसको स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने से पूर्व, मजदूरों को कारखाने के स्थान पर अथवा उसके पास आवास सुविधा देने का वचन देता है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अप्रैल से जुलाई, 1969 में दिल्ली प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा औद्योगिक एकक की गणना के अनुसार पहली जनवरी, 1967 से गणना तिथि तक संघीय क्षेत्र, दिल्ली में स्थापित किये गये नये औद्योगिक एककों की संख्या 6,665 थी। इस गणना में बड़े पैमाने, दरम्याने पैमाने तथा लघु उद्योग और यहां तक कि स्वयं काम करने वालों को भी लिया गया था। उनमें 25,933 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता थी और 1967-68 में 1,714 लाख रुपये का उत्पादन था। अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न विवरण में एककों की संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या, मजदूरों की संख्या, 1967-68 में इनके' उत्पादन का मूल्य इत्यादि का ब्योरा उनके उत्पादों के आधार पर मानक औद्योगिक वर्गीकरण के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1268/69] गणना में उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा एकत्रित नहीं किया गया था।

(ख) 6,665 एककों में मजदूरों की कुल संख्या 22,413 थी।

(ग) जहां तक पंजीकृत कारखानों का संबंध है ऐसे मजदूरों की संख्या 63 है।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के लिये समाज कल्याण योजनाएं

250. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ही प्रकार की कई सामाजिक कल्याण योजनाएं अलग-अलग चलाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप प्रयत्न तथा व्यय कई बार करना पड़ जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस दोहरेपन को समाप्त करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सभी समाज कल्याण कार्य तथा केन्द्रों को दिल्ली प्रशासन को सौंपने के लिये संसद् में तथा इसके बाहर समय-समय पर सुझाव दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री (डा० **(श्रीमती) फूलरेणु गुह)** : (क) दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं एक ही प्रकार की नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) कुछ सुझाव दिए गए थे तथा उन पर विचार किया गया था परन्तु कोई दोहरापन नहीं पाया गया ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों पर हमला

251. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री समर गुह :
श्री रवि राय :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1969 को घातक हथियारों से लैस लगभग 100 अपराधियों ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उससे रेलवे की कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई तथा कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 27-5-1969 को तलवार, भुजाली और लाठी से लैस लगभग 15-20 अपराधी जिस समय आसनसोल यार्ड में एक माल डिब्बे को तोड़कर खोलने का प्रयत्न कर रहे थे तो कुछ रेल कर्मचारियों ने उन्हें रोका जिस पर उन्होंने रेल कर्मचारियों पर आक्रमण कर दिया।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने के कारण रेल संपत्ति को कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन तीन रेल कर्मचारी जख्मी हो गये थे।

(ग) (i) सरकारी रेलवे पुलिस, आसनसोल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/332/326/461/371/511 के अन्तर्गत 27-5-1969 को एक मामला संख्या 14 दर्ज किया गया था तथा 18 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

(ii) बदमाशों तथा रेल अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा मिल कर छापे मारे जाते हैं।

(iii) रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र सैनिकों द्वारा गश्त भी लगायी जा रही है।

लारी और रेलगाड़ी की टक्कर

252. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री अदिचन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1969 के सायंकाल के समय एक लारी तथा मद्रास-बंगलौर एक्सप्रेस रेलगाड़ी में टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए ;

(ग) इन मरे हुए और घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितना-कितना धन दिया गया ; और

(घ) क्या इस दुर्घटना की जांच के लिये कोई आदेश दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गये और 11 को चोटें पहुंचीं।

(ग) अभी तक क्षतिपूर्ति के लिए न तो कोई दावा मिला है और न किसी का भुगतान किया गया है ।

(घ) जी हां । जांच-समिति के निष्कर्ष के अनुसार लारी समपार बन्द फाटक से टकरा कर रेल-पथ पर चढ़ गयी और गाड़ी के तीसरे और चौथे सवारी-डिब्बे से जा टकरायी। इस दुर्घटना के लिए लारी का ड्राइवर जिम्मेदार था जिसकी इस दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गयी ।

स्विटजरलेंड की एक फर्म द्वारा घड़ियां बनाने के एक कारखाने की स्थापना

253. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री इसहाक साम्भली:
श्री सीताराम केसरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वीरेश्वर कलिता :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० लकप्पा :
श्री दे० अमात :
श्री प्र० के० देव :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियां बनाने वाली स्विट्जरलैंड की एक फर्म ने एक गैर-सरकारी भारतीय फर्म के सहयोग से घड़ियां बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के अपने पहले प्रस्ताव को पुनः दोहराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के सचिव ने जिसने हाल ही में जेनेवा का दौरा किया था यह अनुभव किया है कि घड़ी-निर्माता फर्म भारत में अपने कारखाने स्थापित करने के लिये बहुत इच्छुक हैं ;

(घ) उन्होंने यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाई की जा रही है, तो क्या ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सचिव (उद्योग विभाग) औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा

समवाय-कार्य मंत्रालय ने अपने हाल के जेनेवा दौरे के दौरान स्विट्जरलैंड के घड़ी उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। बातचीत से यह प्रकट हुआ कि स्विस घड़ी उद्योग जिसने पहले भारत में घड़ियों का कारखाना लगाने के लिये रुचि दिखायी थी अब फिर साझा पूंजी के आधार पर कारखाना लगाने को उत्सुक है। उनके प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने अब तक भारत की कई पार्टियों से बातचीत की किन्तु अन्तिमरूप से किसी भी भारतीय सहयोगी से बातचीत तय नहीं हुई। विनियोजन तथा विदेशी सहयोग संबंधी भारत सरकार की नीति से उन्हें अवगत कराया गया और उन्हें बता दिया गया कि वह किसी भारतीय पार्टी से समझौता करने से पूर्व पूंजी विनियोजन, प्रावस्थावद्ध निर्माण कार्यक्रम, निर्यात आवश्यकताओं, मूल्यों, तकनीकी नियन्त्रण इत्यादि सम्बन्धी विषयों पर भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। उन्हें सूचित किया गया था कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था सन्तोषजनक होनी चाहिये ताकि योजना को स्वीकृत किया जा सके। जैसे ही कोई ठोस तथा सन्तोषजनक प्रस्ताव प्राप्त होगा आगे समुचित कार्यवाही की जायेगी।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सामान की जांच-पड़ताल

254. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या रेलवें मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गौहाटी-तिनसुकिया तथा लुमडिंग-दारापुर सेक्शनों में सामान की जांच-पड़ताल करने का कार्य फिर से आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) सामान की जांच-पड़ताल करने का कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा किन सेक्शनों में किया गया था ; और

(ग) इसको बन्द किये जाने के कारण क्या थे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). गौहाटी-तिनसुकिया और लमडिंग-बदरपुर (न कि दारापुर) खण्डों पर सामान की जांच-पड़ताल 24 अप्रैल, 1966 से शुरू की गयी थी। इसे बन्द नहीं किया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Manufacture of Rotary Machines for Printing

255. **Shri Nihal Singh:**
Shri Hem Raj:

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange being spent every year on importing Rotary machines for Printing ;

(b) whether the Hindustan Machine Tools propose to manufacture Rotary machines ; and

(c) whether Government propose to adopt the Rotary machine manufacturing technique of Shri Gurdayal Handa, Worli, Bombay ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed):

(a)	Offset Rotary Printing Presses	Rotary Printing Presses
1966-67	Rs. 33.37 lakhs	Rs. 50.05 lakhs
1967-68	Rs. 63.61 lakhs	Rs. 102.40 lakhs
1968-69	Rs. 125.39 lakhs	Rs. 86.60 lakhs

(b) Not in the near future. Hindustan Machincc Tools Ltd. propose to take up manufacture of Rotary machines after they have established the manufacture of simpler types of machines.

(c) A three man team including an officer each from the Directorate General of Technical Development, Chief Controller of Printing and Stationery and Hindustan Machine Tools Ltd. has visited Shri Handa's factory and submitted a report on the rotary machine produced before the team. The report is under examination.

टाटा तथा बिड़ला सार्थ-समूहों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंश

256. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री टाटा तथा बिड़ला सार्थ-समूहों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंशों के सम्बन्ध में 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सूचना एकत्रित कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सूचना कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना जो केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों तथा कम्पनी रजिस्ट्रारों से मांगी गई थी, अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, एवं, यह उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गुजरात में रेलवे लाइनें

257. **श्री द० रा० परमार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में नई रेलवे लाइनों को बिछाने और सम्पर्क लाइनों को जोड़ने के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल होने वाले प्रस्ताव मिल गये हैं ; और

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये 22 नई लाइनों और आमान परिवर्तनों के लिये प्रस्ताव भेजा था। संलग्न बयान में उन नयी लाइनों और आमान परिवर्तनों का नाम अग्रता के आधार पर दिया गया है।

(ख) जिन नई लाइनों और आमान परिवर्तनों को चौथी योजना में शामिल करना है, उनके प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन गुजरात में भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण और वीरमगाम-औखा और कानालुस-कटकीला-पोरबन्दर मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इन प्रस्तावों को चौथी योजना में शामिल करने के प्रश्न पर यथासमय विनिश्चय किया जायेगा।

उद्योगों के लिये इस्पात के कोटे का नियतन

258. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति ने तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास नाम दर्ज विभिन्न उद्योगों के लिये वर्ष 1968-69 में नियतन के हेतु 15-20 गेज का 55144 टन इस्पात इस महा-निदेशालय के सुपुर्द किया था ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1968 से सितम्बर, 1969 तक की अवधि में उपरोक्त महा-निदेशालय ने प्रत्येक उद्योग के लिये कितनी मात्रा में उस इस्पात का नियतन किया ;

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस उद्योग के लिये कोई आवंटन न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) पूरे वर्ष के लिये नियतन किया गया था। अप्रैल, सितम्बर, 1968 और अक्तूबर-मार्च, 1969 की अवधि के लिये अलग-अलग नहीं। विभिन्न उद्योगों को 16-20 गेज की इस्पात चद्दरों की आवंटित मात्रा संलग्न सूची में दिखाई गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1288/69]

बैरल निर्माताओं को कोई नियतन नहीं किया गया था क्योंकि वे पहले से ही संयुक्त संयंत्र समिति, कलकत्ता से अग्रिम नियतन प्राप्त कर चुके थे और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा अग्रिम नियतन के समायोजन सम्बन्धी न्यायालय निषेधाज्ञा के फलस्वरूप उनकी शेष हकदारी को मुक्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

259. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को दोष मुक्त किये जाने के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जो अपील दायर की थी, क्या उसको इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उनकी अपील में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विचार किये जाने योग्य कोई आधार नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार ने किसके अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय में उक्त अपील दायर की थी ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार के इस आग्रह से, कि सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अपील का फैसला किये जाने तक इस फर्म को काली सूची में कायम रखा जाये, सरकार को बड़ी भारी हानि हुई है, क्योंकि उक्त फर्म ने सरकारी उपक्रमों के साथ अपना व्यापार रोक रखा था ;

(घ) क्या मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में रखने का आदेश रद्द कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि से ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की अपील निम्नलिखित अभ्युक्ति के साथ अस्वीकार कर दी थी :

"यह भली भांति विदित है कि संविधान की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई अपील में यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा मालूम किए गए तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसे मामले में करेगा जिसमें घोर अन्याय हुआ है और ऐसा करने के लिये विशेष और असाधारण कारण विद्यमान है। बरी किये जाने के आदेश के खिलाफ की गई अपील में यह न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक यह सिद्ध न किया जाय कि उच्च न्यायालय ने अनुचित किया है या मामले के तथ्य ऐसे हैं कि कोई भी न्यायाधिकरण सही तौर पर यह निर्णय नहीं कर सकता कि अभियुक्त का अपराध निस्संदेह सिद्ध नहीं हो सकता। इस सिद्धान्त को इस मामले में लागू करते हुये हमारी यह राय है कि इस मामले में ऐसा कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप किया जाय। अतः यह अपील रद्द की जाती है।"

(ख) इसका सम्बन्ध महाराष्ट्र सरकार से हैं न कि भारत सरकार से।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 31 जनवरी, 1969 से।

Leave Reserve Provision for Ticket Collectors on the Railways

261. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a leave reserve provision for some categories of Railway employees and they are paid salaries of those categories when appointed as such ;

(b) whether it is also a fact that there is a leave reserve provision for the Ticket Collectors on the Railways but when they are appointed as Leave Reserve T.T.E. they are given the pay only of Ticket Collectors though they are required to perform the duties of Travelling Ticket Examiners ;

(c) if so, the reasons for such an injustice ;

(d) whether Governments' attention has been drawn towards this problem of the Ticket Collectors ; and

(e) if so, the action which Government propose to take to solve this problem ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Leave Reserve for the categories of Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors is provided in the grade of Ticket Collectors Rs. 110-180. When a Ticket Collector is appointed to work as Travelling Ticket Examiner in a leave vacancy of more than 30 days duration and in essential cases of vacancies of more than 21 days duration also, he is given pay of the post to which he is appointed.

(c) Does not arise.

(d) No respresentation to this effect has come to notice.

(e) Does not arise.

बोकारो इस्पात नगर में कर्मचारियों की गिरफ्तारी

262. **श्री हुचे गोडा :**
श्री क० लकप्पा :
श्री बेधर बेहरा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात नगर में एक यूनियन के 100 से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) बोकारो इस्पात कामगार संघ द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, आयोजित हड़ताल

के दौरान मजदूरों की गैर-कानूनी कार्यवाहियों के कारण ऐसा हुआ था।

(ग) मजदूरों की मांगें बिहार सरकार के श्रम आयुक्त के पास मध्यस्थ निर्णय के लिए भेज दी गई हैं जिसने पक्षों से कहा है कि वे विवादास्पद मामलों में लिखित बयान दायर करें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

263. **श्री भगवान दास :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) माननीय सदस्य शायद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, जो वर्ष 1967-68 के बारे में है। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश कर दी गई है।

(ख) इस रिपोर्ट को पहले ही सभा के पटल पर रखा जा चुका है।

(ग) यह रिपोर्ट इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बद्ध संसदीय समिति के विचाराधीन है। इस रिपोर्ट की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी भेज दिया गया है।

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक्सरे-फिल्म फैक्टरी

264. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एक पूर्वी जिले विशेषकर गोरखपुर में, एक्सरे फिल्म फैक्टरी स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त फैक्टरी विदेशी सहयोग से स्थापित की जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) फैक्टरी में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे के डिब्बों का वार्षिक उत्पादन

265. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कितने रेलवे के डिब्बों का निर्माण होता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में विदेशों से कितने डिब्बों का आयात किया गया ;

(ग) इन डिब्बों की खरीद पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(घ) देश में डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सभी आमानों और किस्मों के लगभग 1270 यान, जिनमें रेल कारें, बिजली गाड़ियां आदि शामिल हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, सवाल नहीं उठता।

(घ) कोचिंग स्टाक की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन क्षमता को अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

गोरखपुर-लखनऊ और गोरखपुर-वाराणसी के बीच छोटी लाइनों को परिवर्तित करना

266. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-लखनऊ और गोरखपुर-वाराणसी स्टेशनों के बीच छोटी लाइन को परिवर्तित करने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) परिवर्तन कार्य कब से आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). वाराणसी (मण्डुवाडीह)-भटनी-गोरखपुर खण्ड पर लाइन के बदलाव के लिये सर्वेक्षण कार्य हाल में पूरा किया गया है। लखनऊ (बाराबंकी)-गोंडा-गोरखपुर वाले हिस्से में सर्वेक्षण का काम जारी है और आशा है कि लगभग दो महीने में पूरा हो जायेगा।

(घ) दोनों खण्डों के सर्वेक्षणों की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड द्वारा जांच किये जाने के बाद इन मीटर लाइन खण्डों के बड़ी लाइन में वास्तविक बदलाव के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजनों का लगाया जाना

267. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजनों के लगाये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में किन-किन लाइनों पर भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजन लगाये जायेंगे ;

(ग) इन इंजनों के चलाये जाने से रेलवे को अनुमानतः कितनी बचत होगी ; और

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे में भाप के इंजनों के स्थान पर ये इंजन कब तक लगा दिये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). भारतीय रेलों में डीजलीकरण देश में साधनों की स्थिति और डीजल रेल इंजनों के देशी उत्पादन की क्षमता के आधार पर चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है । सभी क्षेत्रीय रेलों में उन चुने हुये मुख्य लाइन मार्गों और खण्डों पर डीजलकर्षण का उपयोग किया जा रहा है जो भाप-कर्षण से व्यस्तता की अधिकतम सीमा की स्थिति को पहुंच रहे हैं । कुछ चुनी हुई डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को भी डीज़ल इंजनों से चलाया जा रहा है ।

तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंसशुदा क्षमता

268. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भूतकाल में तेल के ढोल बनाने वालों में से प्रत्येक की लाइसेंसशुदा क्षमता निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई थी ;

(ख) क्या ढोल निर्माताओं की लाइसेंसशुदा क्षमता निर्धारित करने के लिए सदा कोई एक समान नीति अपनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माता की लाईसेंसशुदा क्षमता निर्धारित करते हुए कितने प्रतिशत कार्यदक्षता ध्यान में रखी जाती थी ; और

(घ) अगर प्रत्येक निर्माता की क्षमता निर्धारित करने में एक समान नीति नहीं अपनाई गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षमता के लिए किए गए आवेदन पर प्रार्थित क्षमता ही निर्धारण कारक है। यद्यपि एकाध मामलों में पिछले उत्पाद के आधार पर जो तकनीकी अधिकारियों ने अन्तिम निर्धारण के अधीन होती है, क्षमता निर्धारित करनी पड़ी है।

(ग) और (घ). लाइसेंस क्षमता निर्धारण के लिये कुशलता को आधार नहीं बनाया जाता है। कुशलता को, उत्पादन के लिये अधिष्ठापित संयंत्र के टाइम और मोशन के अध्ययन के आधार पर क्षमता निर्धारण करते समय कारण माना जाता है।

मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

269. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बम्बई के श्री बी० बी० मर्चेंट से कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें शिकायत की गई है कि एम्बेसडेर कार निर्माता मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा जारी की गई निर्माता गारंटी का पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ पूछताछ की गई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली कारें घटिया होती जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारत में बनाई जाने वाली कारों की किस्मों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हिन्दुस्तान मोटर लि० से मामले के बारे में पूछा गया था। अब सूचित किया है कि शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) और (घ). देश में निर्मित कारों की किस्म में आई गिरावट के बारे में प्राप्त शिकायतों के कारण, सरकार ने कारों की किस्म में हुई गिरावट के कारणों की जांच करने तथा उसके सुधारने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक मोटर कार किस्म जांच समिति बनाई थी। समिति ने करों तथा अन्य मोटर गाड़ियों की किस्म में उन्नति करने के लिये कई सिफारिशें की हैं। इन सब सिफारिशों से कार निर्माताओं को अनुपालनार्थ सूचित कर दिया गया

है । अनुपालन सुनिश्चित रूप से कराने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में कार निर्माताओं को अवैधानिक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं । तीन कार निर्माताओं के प्रतिनिधियों से इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से भी विचार-विमर्श किया गया है और उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे समिति की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगे । इसी बीच, समिति की सिफारिशों में से एक के अनुसरण में, तीनों कार निर्माताओं के संयंत्रों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ दल को भेजा गया था, इस दृष्टि से कि वह निर्माताओं को उनके अतिरिक्त निरीक्षण संगठन को मजबूर बनाने में सहयोग तथा परामर्श दे सकें । दल को सरकार को आन्तरिक प्रबन्धों के सहायतार्थ वाह्य निरीक्षण संगठन के बारे में भी सुझाव देना था कि यह किस प्रकार सप्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है । दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । दल की सिफारिशों पर आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

चौथी योजना में अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धी तकनीकी समिति

270. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक तकनीकी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति स्थापित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं ; और

(घ) इस समिति के कितने तथा कौन-कौन से सदस्य हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) चौथी योजना की अवधि में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट देने के लिये एक तकनीकी समिति स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

सिक्योरिटी एण्ड फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली

271. **श्री अ० दीपा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योरिटी एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध उसके ऋणदाताओं द्वारा किए गए मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने ऋणदाताओं के धन का कुछ भाग इस बीच अदा कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उक्त कम्पनी अपनी आस्तियों को बेच कर ऋणदाताओं को धोखा न देने पाए ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जमाकर्ताओं द्वारा, उपरोक्त नाम को कम्पनी के परिसमापन के लिए मिसिल की गई याचिका पर, दिल्ली उच्च न्यायलय ने, 17-7-69 को, सरकारी समापक को, कम्पनी के समापक के पद पर नियुक्त किया है।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर की दृष्टि से, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

धरंगधरा (पश्चिम रेलवे) में रेलगाड़ी के यात्रियों को पीटना

272. **श्री जय सिंह** : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री विश्वम्भरन** :
श्री समर गुह : **श्री राम चरण** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मई, 1969 को पश्चिम रेलवे पर धरंगधरा में कुछ सैनिकों ने रेलगाड़ी के एक डिब्बे में प्रवेश किया और यात्रियों को मारा पीटा ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत की है ताकि सैनिक जिसके पास ऐसे हथियार होते हैं ऐसे मामलों में स्वयं को न उलझायें ;

(घ) यदि हां, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और यदि उनके साथ कोई पत्र-व्यवहार किया गया है तो क्या उसको सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ङ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। यह घटना 19-5-1969 को हुई 20-6-1969 को नहीं।

(ख) 19-5-69 को हल्वद के एक श्री जयदेव भाई अपने परिवार के सदस्यों सहित धरंगधरा रेलवे स्टेशन पर नं० 121 डाउन गाड़ी के तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में सवार हुए।

गाड़ी 20-12 बजे धरंगधरा से छूटी। जैसे ही गाड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, दो व्यक्ति (जो सादे कपड़ों में सेना के सिपाही थे) डिब्बे में घुस आये और उन्होंने महिलाओं पर आवाजें कसना शुरू कर दिया। जब अन्य लोगों ने प्रतिरोध किया तो उनमें से एक ने देशी पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी जिससे श्री जयदेव भाई के बाएं हाथ में घाव हो गये और उनकी दो उंगलियां कट गयीं। जब परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो दूसरे व्यक्ति ने उनपर चाकू से हमला कर दिया जिससे श्री जयदेव भाई की बहन गम्भीर रूप से और उनकी तीन पुत्रियां मामूली रूप से घायल हो गयीं। घटना के दौरान खतरे की जंजीर खींची गई और गाड़ी खड़ी कर ली गई। गार्ड और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाही को इस घटना की सूचना दी गई। इस बीच अभियुक्त वहां से खिसक गया लेकिन दूसरे को परिवार वालों ने पकड़ लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाही ने अभियुक्त को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में सैनिक अधिकारियों ने दूसरे अभियुक्त को भी हिरासत में ले लिया।

(ग) चूंकि यह देशी पिस्तौल थी जो अवैध रूप से उसके कब्जे में थी और यह सैनिक कर्मचारियों को दी गई सरकारी बंदूक नहीं थी, इसलिये रक्षा मंत्रालय के साथ इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) सुरेन्द्रनगर रेलवे पुलिस स्टेशन में इन दो अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307,324,326,354 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (क) के अधीन अपराध सं० 17/69 के रूप में एक अपराध दर्ज कर लिया गया है। सैनिक अदालत में यह मामला चल रहा है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रात की सवारी गाड़ियों में यथासम्भव सरकारी रेलवे पुलिस का पहरा रहता है।

बोकारो इस्पात कारखाने को मशीनों की सप्लाई

373. **श्री जय सिंह :** **श्री मीठालाल मीना :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री अजमल :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के माल सप्लाई करने वालों द्वारा मशीनों की सप्लाई समय पर नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप बोकारो इस्पात कारखाने के अनुसूचित लक्ष्य को और आगे बढ़ाना पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृ० चं० पन्त) : (क) और (ख). बोकारो स्टील लि० और भारी इंजीनियरी निगम के बीच 9 अप्रैल, 1969 को एक करार हुआ था, जिसमें बोकारो स्टील लि० को दिये जाने वाले संयंत्र, उपकरण और संरचनात्मकों की परिदान-अनुसूची दी हुई है। इस करार के अन्तर्गत अभी तक माल की सप्लाई सन्तोषप्रद रही है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र से उपस्कर प्राप्त करने का प्रश्न है देशीय निर्माताओं द्वारा उष्मसह की समय पर पूर्ति कर सकने के बारे में कुछ कठिनाइयां उनके सामने आई थीं, इसलिये 18000 टन के आयात के लिये अनुमति दे दी गई है जिससे कार्य समयानुसार हो। बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा स्थिति का सतत पुनर्विलोकन भी किया जाता है और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

लखनऊ के भार्गव ब्रादर्स द्वारा धृत छावनी भूमि के पुनर्ग्रहण से सम्बद्ध फ़ाइल

274. **श्री जय सिंह** :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्वेषण किया गया है कि लखनऊ के भार्गव ब्रादर्स द्वारा धृत छावनी भूमि के पुनर्ग्रहण से सम्बद्ध फाइल उनके मंत्रालय में किस प्रकार आई ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) लखनऊ के भार्गव ब्रादर्स द्वारा धृत छावनी भूमि के पुनर्ग्रहण से सम्बद्ध फाइल 1967 से अनेक अवसरों पर सलाह के लिये रक्षा मंत्रालय से विधि मंत्रालय आई थी, इसलिये इस सम्बन्ध में अन्वेषण का प्रश्न ही नहीं उठता कि यह फाइल इस मंत्रालय में किस प्रकार आई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का सुचारु रूप से संचालन

275. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
डा० रानेन सेन :
श्री देवेन सेन :
श्री रवि राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री भोला नाथ मास्टर :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने का

कार्य संचालन सुचारु रूप से हो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों तथा मजदूर प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं और कारखाने में स्थिति में सुधार करने के लिये ये बातचीत कहां तक सहायक सिद्ध हुई है ; और

(ग) क्या गत तीन महीनों की तुलना में कारखाने की प्रति दिन हानि कम हो गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) और (ख) . जून के आरम्भ में कलकत्ते और दुर्गापुर के अपने दौरे के दौरान मैंने प० बंगाल के उप-मुख्य मंत्री, दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धक वर्ग और कुछ मजदूरों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था जिसका उद्देश्य समस्याओं को समझना और राज्य सरकार की सहायता प्राप्त करना था।

(ग) इस कैलेण्डर वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछली तिमाही से अधिक औसत हानि होने की आशंका है।

राजस्थान को अनाज तथा चारे के परिवहन के लिये माल डिब्बों का दिया जाना

276. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में अनाज तथा चारे के परिवहन के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त माल डिब्बों की मांग की गयी है ; और

(ग) क्या इनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो राजस्थान को अनाज तथा चारे की सप्लाई के लिये कितने अतिरिक्त माल डिब्बे लगाये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) . अभी तक राजस्थान सरकार से ऐसा कोई कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ जिसमें सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को अनाज भेजने के लिये माल डिब्बों की जरूरतें बतायी गयी हों, लेकिन केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर ऐसे परिवहन को दर्जा 'ख' की अग्रता दी गई है। चारे के मामले में भी आरम्भ में कोई परिवहन कार्यक्रम नहीं था। लेकिन फरवरी 1969 में राजस्थान सरकार से बड़ी लाइन के 70 और मीटर लाइन

के 106 चारे के माल डिब्बे प्रति दिन चलाने का एक कार्यक्रम प्राप्त हुआ । इसे स्वीकार कर लिया गया और 10-4-1969 से लागू कर दिया गया जैसा कि वह चाहती थी ।

अनाज और चारे के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की मांगें तत्काल पूरी कर दी गयीं । 1 जनवरी से 30 जून, 1969 तक की अवधि के दौरान बड़ी लाइन के 801 और मीटर लाइन के 4335 अनाज के माल डिब्बे और बड़ी लाइन के 7399 और मीटर लाइन के 11027 चारे के माल डिब्बे राजस्थान के सूखे क्षेत्रों को भेजने के लिये लादे गये ।

बोकारो इस्पात संयंत्र के परियोजना क्षेत्रों में कानून और शान्ति की व्यवस्था बनाये रखना

277. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बोकारो इस्पात कारखाना तथा भारी इंजीनियरिंग निगम के परियोजना क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के प्रश्न पर मई, 1969 में बिहार के मुख्य मंत्री से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आश्वासन दिये हैं अथवा प्रबंध किये हैं ; यदि हां, उनका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) से (ग) . बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक में बोकारो, न कि भारी इंजीनियरिंग निगम, में सुरक्षा-प्रबन्धों को और सशक्त बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था । यह सुझाव दिया गया था कि पर्याप्त संख्या में पुलिस भेजकर और पुलिस अधीक्षक को पुलिस चौकी का कार्यभार सौंप कर उसे सशक्त बनाया जाय । बोकारो इस्पात कारखाने के क्षेत्र को निषिद्ध और रक्षित क्षेत्र घोषित करने तथा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कारखाने के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया था । बिहार सरकार इन सभी सुझावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

वैस्टिग हाउस सैक्सवाई फारमर (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता

278. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री क० हाल्दर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री एस० जेवियर :
श्री रा० की० अमीन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री नि० शिवप्पा :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री देवेन सेन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री जुगल मण्डल :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री मुहम्मद जे० इमाम :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री अदिचन :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भोला नाथ मास्टर :
श्री रवि राय :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री द० रा० परमार :
श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम चरण :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित वैस्टिग हाउस सैक्सवाई फारमर (प्रा०) लिमिटेड, नाम की एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस फर्म को चलाने के लिये सहमत हो गई है अथवा उसने केन्द्र से इस फर्म को चलाने के लिये आग्रह किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) . पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फर्म को केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिये जाने का अनुरोध किया था, परन्तु बाद में उन्होंने इस फर्म की हिस्सा-पूंजी का 51 प्रतिशत लेने में केन्द्रीय सरकार का सहयोग मांगा। केन्द्रीय सरकार ने ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद इस फर्म की हिस्सा-पूंजी में भाग न लेने का विनिश्चय किया। लेकिन वह इस बात के लिये सहमत हो गई है कि यदि फर्म के सामान का स्तर संतोषजनक हो और उनका मूल्य अपेक्षाकृत कम हो तो इस फर्म को आर्डर दे दिये जायें। भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक अग्रिम देना भी मान लिया है जिसका समंजन फर्म द्वारा भविष्य में की जाने वाली सप्लाई में किया जाना है।

बोकारो इस्पात संयंत्र का कार्यक्रम के अनुसार चालू होना

279. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के सचिव ने सोवियत संघ का दौरा किया तथा सोवियत संघ में अपने समान पदाधिकारी से बोकारो इस्पात संयंत्र को निर्धारित समय पर चालू करने के बारे में विचार-विमर्श किया ;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की चर्चा हुई ;

(ग) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सोवियत अधिकारियों के साथ कोई नये प्रबन्ध किये गये हैं ताकि यह इस्पात यंत्र ठीक समय पर चालू हो जाये ; और

(घ) यदि हां, तो किये गये प्रबन्धों का ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) से (घ). बोकारो इस्पात लि० के अध्यक्ष मई, 1969 में किसी दूसरे कार्यवश विदेश गये थे ओर वे थोड़ी देर के लिये मास्को रुके जहां उन्होंने रूसी अधिकारियों से 18000 टन उष्मसह और कुछ इस्पात की प्लेटों की सप्लाई के प्रश्न पर विचार किया जिनकी बोकारो इस्पात कारखाने को तुरन्त आवश्यकता थी और जो देशीय स्रोतों से प्राप्य नहीं थी और न ही मिलने की आशा थी। भारी इंजीनियरी निगम ने भी रूसी अधिकारियों के साथ 375 लाख रुपयों के मूल्य के संघटकों के आयात के लिये 26 जून, 1969 को एक करार किया है। इनकी सप्लाई का प्रबन्ध बोकारो इस्पात कारखाने को चालू किये जाने के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुये करना पड़ा।

प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची का पुनरीक्षण

280. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं की प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची के हाल के पुनरीक्षण में सैमिस और मिश्रित धातु जोड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सूची में इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) सैमिस तथा मिश्रित धातुओं की परिभाषा कैसे दी गई है;

(घ) क्या लघु क्षेत्र में कारखानों को वही सुविधाएं मिलेंगी जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को दी गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(च) क्या वर्तमान उद्योग को जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहा है प्राथमिकता-प्राप्त की सूची में जोड़ा जायेगा; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के पुनरीक्षण का अभी सरकार विचार नहीं कर रही है ।

Licence for Assembling of a Motor Car

281. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a licence is required for assembling a motor car;

(b) if so, whether Shri Sanjay Gandhi has obtained a licence from Government in order to assemble a motor car ;

(c) whether Government are aware that he has assembled a car and has got it registered in Delhi ; and

(d) if so, the action taken against him ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) An industrial licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, is required for manufacture or assembly for commercial purposes of all

articles included in Scheduled I to the Act if the fixed assets of the undertaking are more than Rs. 25 lakhs.

(b) No, Sir.

(c) It is understood that Shri Sanjay Gandhi has assembled a prototype of a car. Government are not aware whether he has got it registered in Delhi.

(d) The question of taking any action against him does not arise.

राष्ट्रपति का निर्वाचन

282. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ख) क्या निर्वाचिक मंडल अद्यतन है और यदि नहीं, तो उसको अद्यतन बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) राज्य-सभा, राज्य विधान मंडलों तथा लोक-सभा में कितने स्थान रिक्त पड़े हैं;

(घ) ये रिक्त स्थान कब तक भरे जायेंगे; और

(ङ) निर्वाचन कराने की अधिसूचना किस तारीख तक निकाली जाएंगी और निर्वाचन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) निर्वाचन आयोग ने डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु से हुई रिक्ति को भरने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां कर ली हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आशा की जाती है कि जब तक कि 16 अगस्त, 1969 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान कराया जाएगा, राज्य सभा में किसी भी निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त नहीं होगा। किन्तु संसद् सदस्य (लोक सभा) तथा पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री सोहन सिंह बस्सी का निर्वाचन धरमकोट सभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान सभा के लिए हो जाने के परिणामस्वरूप लोक-सभा में एक निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा । राज्यों की विधान सभाओं में ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या 24 होगी, जिनको उस समय तक भरना संभव नहीं होगा जब कि मतदान कराया जाता है ।

(घ) इस समय राज्य-सभा में उत्तर प्रदेश से दो रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचनों में मतदान 13 अगस्त, 1969 को कराया जाएगा। राज्य-सभा में पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र से एक रिक्ति आसीन सदस्य के निवृत्त हो जाने से 6 अगस्त, 1969 को होगी। उस स्थान को भरने के लिए अधिसूचना पहले ही निकाली जा चुकी है और मतदान 25 जुलाई, 1969 को कराया जाएगा।

यह संभव न होगा कि संसद् सदस्य श्री सोहन सिंह बस्सी का निर्वाचन धरमकोट सभा निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के लिए हो जाने से लोक-सभा में उत्पन्न रिक्ति को भरा जाए।

यह भी संभव न होगा कि आसाम राज्य की विधान सभा की उन नौ रिक्तियों को भरा जाए जो आसाम राज्य के पुनर्गठन से पूर्व आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस के नौ सभा-सदस्यों के पद त्याग से हो गई हैं। आसाम विधान सभा की एक ऐसी अन्य रिक्ति को जो एक आसीन सदस्य की मृत्यु 20 जून, 1969 को हो जाने के कारण हुई है, आसाम में भारी वर्षा के कारण भरना संभव न होगा। विभिन्न राज्य विधान सभाओं की शेष 14 रिक्तियों को राष्ट्रपतीय निर्वाचन से पूर्व भरना मुख्यतः वर्षा ऋतु के कारण संभव न होगा।

(ङ) अपेक्षित अधिसूचना 14 जुलाई, 1969 को पहले ही निकाली जा चुकी है और यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 16 अगस्त, 1969 को कराया जाएगा। मतों की गणना और परिणाम की घोषणा का काम संभवतः 20 अगस्त, 1969 तक पूरा हो जाएगा।

चण्डीगढ़ के निकट औद्योगिक बस्तियां

283. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने चंडीगढ़ के पास अपने क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों का विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त बस्तियों के विकास से चंडीगढ़ के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) सरकार ने चंडीगढ़ के औद्योगिक विकास के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार चंडीगढ़ में सरकारी क्षेत्र में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). संबंधित प्राधिकारियों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

284. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या यह सच है की पंजाब में ट्रैक्टरों की मांग अत्यधिक है; और

(ग) पंजाब की सरकार की मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ग). भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर का कारखाना लगाने के प्रस्ताव को पंजाब सरकार ने अपने यहां क्रियान्वित करने के लिए निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के पिन्जौर एकक तथा माइनिंग एलाइड एण्ड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर की अतिरिक्त क्षमता का ट्रैक्टर बनाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाने का विचार है। राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम को इस योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल करने तथा इस मामले पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया था। राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा उसकी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा जांच की जा रही है। पंजाब सरकार के अनुरोध पर अंतिम निर्णय इस प्रतिवेदन की जांच का कार्य पूरा हो जाने के बाद लिया जायेगा।

(ख) जी, हां।

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन

285. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन में सुधार करने तथा वहां पर आवश्यक प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने वहां पर एक जलपान गृह स्थापित करने का भी निर्णय किया है; और

(ग) क्या यह सच है कि बढ़े हुए काम को देखते हुए चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की संख्या कम है और यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में सुधार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। प्लेटफार्म पर 50×30 फुट शेड के अलावा, 17×14 फुट का एक ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय और 28×20 फुट का तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय पहले से इस स्टेशन पर मौजूद है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चंडीगढ़ स्टेशन पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट स्कूल

286. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट कोई स्कूल नहीं है और स्टेशन के कर्मचारियों के लड़के लड़कियों को प्राथमिक कक्षाओं के लिये भी कई मील दूर जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो स्टेशन के निकट कम से कम एक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से डेढ़ मील की दूरी पर स्थित मनीमजरा तथा मौले नामक गांवों में प्राथमिक स्कूल मौजूद हैं।

(ख) रेलवे बस्ती के निकट एक स्कूल खोलने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से कहा गया है तथा यह मामला उसके विचाराधीन है।

अस्पृश्यता

287. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 15 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1082 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में, जैसा कि वह 31 दिसम्बर, 1968 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था, मद्रास सरकार का उत्तर इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, गुजरात तथा मद्रास सरकारों से प्राप्त उत्तरों की प्रतियां सरकार सभा-पटल पर रखेगी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश, गुजरात तथा तामिलनाडु राज्यों से प्राप्त हुए उत्तर संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1289/69**]

सांविधानिक गतिरोध पैदा हो जाने पर केन्द्रीय प्रशासन का राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना

288. **श्री रवि राय :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री बलराज मधोक : **श्री पी० सी० अदिचन :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित तारीख 28 मई, 1969 की 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उनकी यह राय है कि सांविधानिक गतिरोध पैदा हो जाने पर भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए सशक्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा मत व्यक्त किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) मैंने तो केवल इतना कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 356 से मिलता-जुलता या तत्समान ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो राष्ट्रपति को इस बात के लिए समर्थ बनाता हो कि वह संघ से संबद्ध राज-प्रशासन अपने हाथ में ले सके ।

मई, 1969 में बाढ़ के कारण आन्ध्र प्रदेश में रेलगाड़ियों के आने-जाने में अव्यवस्था

289. **श्री रवि राय :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री नन्द कुमार साल्वे : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री बिभूति मिश्र : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री समर गुह : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री राम चरण : **श्री द० ब० राजू :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में आन्ध्र प्रदेश में आये तूफानों और बाढ़ों के कारण दक्षिण रेलवे में रेलगाड़ियों के आने-जाने में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई थी ; और

(घ) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तूफान में हुई टूट-फूट के कारण 27 गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं और लम्बी दूरी की 6 गाड़ियों का मार्ग बदल दिया गया था ।

(ग) रेलों को जो हानि हुई वह इस प्रकार हैं :

(i) दक्षिण पूर्व रेलवे	10.54 लाख रुपये
(ii) दक्षिण मध्य रेलवे	639.00 लाख रुपये
(iii) दक्षिण रेलवे	13.43 लाख रुपये

(घ) इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है और आवश्यक निवारक उपाय किये जायेंगे ।

बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और इंडिया लिनोलियम लिमिटेड के विरुद्ध जांच

290. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 235 के अधीन बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा इंडिया लिनोलियम लिमिटेड के विरुद्ध और इस अधिनियम की धारा 237 के अधीन जीवाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड के विरुद्ध जांच के आदेश दे दिये हैं ;

(ख) क्या निरीक्षकों ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) इन रिपोर्टों की मुख्य बातें कौन सी हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (1) मैसर्स बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा (2) इन्डिया लिनोलियम लिमिटेड के कार्यों की जांच-पड़ताल के आदेश, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 (ग) के अन्तर्गत दिये गये हैं, तथा जीवाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड की बाबत जांच-पड़ताल आदेश, अधिनियम की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत दिया गया है ।

(ख) निरीक्षक, जांच-पड़ताल को पूर्ण नहीं कर सके, क्योंकि इन कम्पनियों ने उच्च न्यायालयों में लिखित याचिकायें प्रस्तुत कर दी थीं । ब्रिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा इन्डिया लिनोलियम लिमिटेड से सम्बन्धित याचिकायें, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है, जिसने जांच-पड़ताल पर रोक लगा दी है । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को जबलपुर बैंच ने, जीवाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड से सम्बन्धित जांच-पड़ताल आदेश का अभिखंडन कर दिया है, अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत, एक याचिका, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करने के लिये, मिसिल कर दी है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वी क्षेत्र के लिये स्कूटरों का निर्माण

291. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी क्षेत्र में निम्न मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग के लिए भी स्कूटर निर्माण को प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है क्योंकि उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में ऐसे स्कूटर बनाने के कारखाने हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार ने निश्चय किया है कि देश में स्कूटरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्कूटरों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में उचित लाभप्रद क्षमता वाले एक नये एकक को लाइसेंस दिया जाये । इस सम्बन्ध में चार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत योजनाएं आजकल सरकार के विचाराधीन हैं । योजना पर औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय शीघ्र लिए जाने की आशा है । योजनाओं पर निर्णय केवल प्रस्तावित स्थान के आधार पर नहीं परन्तु उनके गुणावगुण पर होगा ।

नई दिल्ली में उपरिपुल/उपरिगामी पुल

292. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे, कस्तूरबा नगर तथा डिफेंस कालोनी के समीप के समपार पर उपरिपुल/उपरिगामी पुल बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इन निर्माण-कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(क) **सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरी पुल**

सफदरजंग के निकट मेहरोली रोड के वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने

के प्रस्ताव को 1969-70 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस कार्य के नक्शे और अनुमान भी अन्तिम रूप से तैयार किये जा चुके हैं और इन्हें अनुमोदित और स्वीकृति के लिए नयी दिल्ली नगरपालिका को भेजा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) **कस्तूरबानगर के निकट ऊपरी पुल**

लोधी रोड और रिंग रोड को मिलाने वाले लिंक रोड और सेवानगर (कस्तूरबानगर) के बीच के वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने के बारे में सड़क प्राधिकारियों से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) **डिफेंस कालोनी के निकट ऊपरी पुल**

डिफेंस कालोनी के निकट लोधी रोड और रिंग रोड के बीच वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने के बारे में दिल्ली नगर निगम से ठोस प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

लद्दाख का अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना

293. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के बौद्धों ने एक विज्ञप्ति में लद्दाख को एक अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग की है ;

(ख) क्या शेष देश के स्तर तक लद्दाख के बौद्धों को लाने हेतु लद्दाख के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक है ; और

(ग) लद्दाख के बौद्धों के कल्याण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) और (ख). लद्दाखी बौद्धों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। अलबत्ता, संविधान का अनुच्छेद, 244 तथा पंचम अनुसूची जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। दृष्टिगत प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की घोषणा आवश्यक नहीं है।

(ग) लद्दाख के बौद्धों की उन्नति करना जम्मू तथा काश्मीर सरकार का उत्तरदायित्व है। सभी पहलुओं से पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए राज्य सरकार ने न्यायपूर्ति जे० एन० वजीर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया है और निस्संदेह यह आयोग लद्दाख के बौद्धों की समस्या पर भी विचार करेगा।

वाराणसी और छपरा के बीच रेल की पटरी चौड़ी करना

294. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री कृष्णानन्द राय तथा उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री शान्तिप्रसाद राय ने जून, 1969 में उनके साथ बातचीत की थी, जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में वाराणसी तथा छपरा के बीच की रेल की पटरी चौड़ी करने की योजना को शामिल करने का आग्रह किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और क्या इस बारे में कोई आश्वासन दिये गये थे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल वित्तीय तथा यातायात की दृष्टि से फेफना के रास्ते सीधे वाराणसी-छपरा मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव का औचित्य नहीं है, फिर भी, पूर्वोत्तर रेलवे में आमान-परिवर्तन की कतिपय योजनाओं के भाग के रूप में औंड़िहार के रास्ते वाराणसी-भटनी मीटर लाइन खंड और सिवान के रास्ते भटनी-छपरा मीटर लाइन खंड के आमान-परिवर्तन के प्रस्ताव पर अलग से विचार हो रहा है।

दिल्ली में भिखारी

295. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में जानकारी है ; और

(ख) सरकार द्वारा भिखारियों के पुनर्वास तथा उनके लिये उपयोगी व्यवसाय खोजने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :
(क) भिखारियों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पकड़े गए भिखारियों को निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है :

1. राजगीरी,
2. मिट्टी के खिलौने बनाना,
3. प्रेस कार्य (मुद्रण),
4. धुलाई,
5. सिलाई,

6. बेकरी,
7. कृषि तथा बागवानी,
8. नाई का काम ।

पिछड़े क्षेत्रों को निश्चित करने के सम्बन्ध में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

296. **श्री सेझियान :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को निश्चित करने के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने क्रियान्विति के लिए किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशें, प्रतिवेदन के जो कि पिछले अधिवेशन में सभा-पटल पर रखा जा चुका है, अध्याय 3 में दी गई है ।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद ने व्यापक परीक्षण के लिए अपनी समिति को दिया है । परिषद द्वारा राष्ट्रीय विकास इन सिफारिशों पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् ही सरकार इन पर निर्णय लेगी ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा परमाणु शक्ति एककों के लिए टरबाइनों का उत्पादन

297. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड के परमाणु शक्ति एककों के लिये टरबाइनों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन टरबाइनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के टरबाइन अब तक पूर्ण रूप से आयात किये जाते थे ; और

(घ) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज में ऐसे टरबाइनों के उत्पादन के लिये कितनी क्षमता अधिष्ठापित की जायेगी और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के व्यय में प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी बचत होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अभी तक आण्विक शक्ति स्टेशनों के लिये टरबाइनों का उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। फिर भी मद्रास आण्विक शक्ति संयंत्र मद्रास के लिए टर्बाइन के सम्भरण के लिये आर्डर प्राप्त करने हेतु भाभा अणु अनुसन्धान केन्द्र से बातचीत चल रही है।

(ख) टर्बाइन की क्षमता 235 मेगावाट होगी और वह न्युक्लियर रियेक्टर से ड्राई सेचुरेटिड भाप को 40 किलोग्राम/वर्ग सेंटीमीटर प्रयुक्त करेगा।

(ग) तारापुर तथा राजस्थान अणु-शक्ति परियोजनाओं के लिए 200 मेगावाट के न्युक्लियर टर्बाइन अणु-शक्ति विभाग द्वारा आयातित किये गये थे।

(घ) परम्परागत टर्बाइनों के अतिरिक्त इन टर्बाइनों का उत्पादन भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं से करने का प्रस्ताव है। भविष्य में न्युक्लियर एककों के लिये टर्बाइनों के आकार प्रकार के टर्बाइनों का हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा निर्माण मांग पर निर्भर करता है। इन मशीनों का भारत में निर्माण करने से विदेशी मुद्रा की 1.5 करोड़ रुपये प्रति टर्बाइन बचत होने का अनुमान है।

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना की उत्पादन क्षमता का विस्तार

298. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से कहा गया था कि बेलाडिला विस्तार 'टर्न की जाब' (लौह अयस्क भंडार संख्या 5) को पूरा करे तथा खान में से लौह अयस्क का खनन 5.5 मिलियन टन तक बढ़ा दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निगम ने इस कार्य को करने से इंकार कर दिया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और काम का कौन सा भाग हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उस दूसरी फर्म का नाम क्या है जिसको शेष काम सौंपने का विचार है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं । अन्तिम निर्णय के अनुसार भारी इंजीनियरी निगम को प्रायोजना के लिये कुछ उपस्कर ही सप्लाई करने हैं जो वहां बन सकते हैं ।

(ग) यह काम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का है । प्रायोजना के शेष काम के लिये परामर्शदाता नियुक्त करने के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

यूरोपीय देशों जापान के सहयोग से संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना

299. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री शशि भूषण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों तथा जापान के सहयोग से अनेक संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) ऐसे संयुक्त उपक्रमों का ब्योरा क्या है जिनके बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है, उन निर्णयों का व्योरा क्या है, किस प्रकार के और कितनी क्षमता के औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये जाने हैं, और ये कहां-कहां स्थापित किये जाने हैं तथा प्रत्येक देश से कितनी और किस प्रकार की सहायता मिलने की आशा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). जापान तथा अन्य यूरोपीय देशों सहित औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत देशों के सहयोग से औद्योगिक प्रायोजनों को स्थापित करने के प्रस्ताव वहां के उद्यमियों से समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं तथा उन पर सरकार की सामान्य नीतियों तथा प्रणालियों के सन्दर्भ में विचार होता है । प्रायः हर समय ही विदेशी विनियोजन तथा सहयोग से सम्बन्धित कुछ प्रस्ताव सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों में विचाराधीन रहते ही हैं ;

(ग) विदेशी विनियोजन तथा सहयोग के स्वीकृत जापान तथा अन्य यूरोपीय देशों से सम्बन्धित मामलों का विवरण, पार्टियों के नाम, उत्पादन की वस्तुओं तथा प्रस्ताव में विदेशी पूंजी का निवेश है या नहीं आदि के ब्योरे हर तीसरे माह "जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किये जाते हैं । जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गार्डों का वेतनक्रम

300. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गार्डों का वेतनक्रम उस रेलवे के ड्राइवरों, कन्डक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनक्रम से बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके मामले पर विचार करने तथा उनके वेतन मान को पुनरीक्षित करने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गार्डों के वेतनमान वही हैं जो सभी भारतीय सरकारी रेलों पर गार्डों के लिये लागू हैं। ड्राइवरों और गार्डों के तीन-तीन वेतनक्रम हैं। ड्राइवरों के दो उच्चतर वेतनक्रम गार्डों के तीनों वेतनक्रमों से अधिक हैं, जबकि ड्राइवरों का निम्नतम वेतनक्रम गार्डों के केवल निम्नतम वेतनक्रम से अधिक हैं। यह गार्डों के माध्यमिक वेतनक्रम के बराबर और उच्चतम वेतनक्रम से कम है। कंडक्टरों के दो वेतनक्रम हैं, उनमें से एक गार्डों के उच्चतम वेतनक्रम के समान है और दूसरा उससे अधिक है।

जहां तक दूसरी कोटियों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ गार्डों की अपेक्षा उच्चतर वेतनक्रमों में और कुछ निम्नतर वेतनक्रमों में हैं।

(ख) सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन ने रेलवे श्रम अधिकरण, 1969 (मियांभाई अधिकरण) के समक्ष एक प्रश्न उठाया है जो सभी रनिंग कर्मचारियों, जिनमें गार्ड शामिल हैं, के वेतनमानों में संशोधन करके उनमें वृद्धि करने के सम्बन्ध में हैं।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर को अपने अधिकार में लेना

301. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर के सभी सार्थों पर अधिकार करने की बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार कब तक ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की सभी शाखाओं को अपने अधिकार में ले लेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर के कूपर एलन तथा नार्थ वस्ट टैनरी यूनिट सरकार ने 23 मई, 1969 से ले लिए हैं और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लि०, कानपुर के नाम से एक नई कम्पनी स्थापित कर दी है। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अन्य एकक जिन पर कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जांच चल रही है को लेने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

Central Engineering and Design Bureau

302. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) the extent of Russian assistance received so far with a view to making the Central Engineering and Design Bureau a full fledged Institute; and

(b) the further time likely to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) and (b). Attention is invited to the reply given on 22nd April, 1969, to the Hon. Member's Starred Question No. 1240. Negotiations are still in progress and a final decision will be taken as early as possible.

जवानवाला शहर स्टेशन

303. **श्री निहाल सिंह:**
श्री शिव पूजन शास्त्री:
श्री हेम राज:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में जवाली और केहरियां गावों के प्रमुख निवासियों की ओर से जवानवाला शहर के नए रेलवे स्टेशन को व्यास बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप उसके वर्तमान स्थान से आगे ले जाने के विरोध में इस वर्ष जून में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मांगें की गई थीं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन की मुख्य बातें यह हैं कि रेलवे स्टेशन को निकटतम स्थान पर अर्थात् पी० डब्ल्यू० डी० विश्राम गृह के आस-पास बनाया जाये, चाहे इसमें कोई तकनीकी कठिनाई क्यों न हो और यदि ऐसा करना व्यावहारिक न हो तो स्टेशन को उसके वर्तमान स्थान पर ही रहने दिया जाये।

(ग) मामले की जांच हो रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Broad Gauge Railway Line over Farakka Barrage

304. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time by which the broad gauge line over Farakka Barrage is likely to be opened to traffic ; and

(b) the progress made so far ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The Broad Gauge line over Farakka Barrage is expected to open for traffic by 31-7-1971.

(b) Contracts for the bridge have been awarded and the collection of materials is in progress.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कर्मचारी नियुक्ति स्थिति के बारे में प्रतिवेदन

305. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सभी विभागों में कर्मचारी-नियुक्ति स्थिति का अध्ययन करने के लिये हैदराबाद कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था को नियुक्त किया है ; और

(ख) क्या समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). आजकल हिन्दुस्तान स्टील एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के परामर्श और व्यावहारिक अनुसंधान प्रभाग के साथ मिलकर इस्पात कारखानों के प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बना रही है । यह अध्ययन पूरा होने में कुछ समय लग जाएगा ।

इन्जीनियरिंग उद्योग को इस्पात के नियतन में देरी

306. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्जीनियरिंग निर्यात सम्बर्धन परिषद तथा निर्यात प्रधान इंजीनियरिंग उद्योग से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का नियतन किये जाने के बारे में बहुत सी मांगें अनिर्णीत पड़ी हैं और इसी कारण इन्जीनियरिंग उद्योग की निर्यात क्षमता बेकार पड़ी है ; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कायवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात हेतु इन्जीनियरी उद्योगों को इस्पात के नियतन की वर्तमान क्रय कार्य प्रणाली को सुवाही बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इस बीच, माल न दिये जाने के जो भी उदाहरण सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं, सरकार उन्हें शीघ्र माल भेजने के लिये संयुक्त संयंत्र समिति को भेज देती है।

अस्पृश्यता का उन्मूलन

307. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री शिवचरण लाल** :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रभावी उपाय करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अब तक चलाये गये आन्दोलन तथा अब तक सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से जनसाधारण को अधिक लाभ नहीं पहुंचा है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुथ्याल राव) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये कारगर कदम उठाने के लिये कहा गया है। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को अधिक कारगर बनाने के लिये उसमें संशोधन करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरे से विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकारी प्रयत्नों के कारण शहरी क्षेत्र में अस्पृश्यता की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाए गये कदमों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस कुप्रथा को काफी हद तक रोका जा सका है।

Loss of Life and Property due to Railway accidents

308. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the loss of life and property as a result of Railway accidents during the last two months ;

(b) whether there is any slackness in the preventive measures to check accidents; and

(c) if not, the main reasons for such accidents ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) As a result of train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains which occurred on the Indian Government Railways during May and June, 1969, 115 persons were killed and the cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 21,39,464/-.

(b) and (c). No. The number of accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains has been reduced significantly over the years as would be seen from the table given below :

Year	No. of accidents	
1964-65	1,293	
1965-66	1,201	
1966-67	1,097	
1967-68	1,111	
1968-69	906*	*Provisional.

Indian Iron and Steel Co., Calcutta

309. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints of misappropriation worth crores of rupees in the shares of Indian Iron and Steel Company, Calcutta ;

(b) if so, whether the attention of Government has been drawn to the opinion of Shri C. K. Daphtary, former Solicitor General of India, in regard to these irregularities wherein he has supported the point relating to bungling by the compa ny on a large scale ; and

(c) the results of the investigations held so far ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The complaints received by Government are to the effect that the transfer of a block of shares held by the Indian Iron and Steel Co. Ltd. in the Steel Corporation of Bengal to Messrs. Dalhousie Holding Ltd. is contrary to the provisions of law.

(b) Government have received a copy of the opinion of Shri C. K. Daphtary obtained by some complaint.

(c) The matter is under examination.

Donations to Political Parties by Companies, Banks and Commercial Institutions

310. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of funds given as donations by different companies to political parties, separately, during the last three years, year-wise ;

(b) whether it is a fact that certain banks and other commercial institutions donated funds to political parties ; and

(c) if so, the names of political parties which received funds, the names of the organisations from which the funds were received as also the amount received from each during the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) : (a) and (c). A statement setting out the details about donations paid year-wise during the three years, viz. 1965-66 to 1967-68, the names of political parties which received the donations together with the names of the donor companies is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1290/69]**

(b) Two banks donated funds to political parties during the 3-year period. Particulars about these banks are set out in a separate statement laid on the Table of the House.

Wrong Counting of Ballot Papers in General Elections

311. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the some instance have come to light, after announcement of the results of the last General Elections, in which deliberate wrong counting of the ballot papers was done by the officers concerned ;

(b) whether it is also a fact that some candidates were thereby deprived of their right of being elected ; and

(c) if so, the steps being taken to check such cases in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Some instances of irregularities in counting have been reported in the judgments of the High Courts and the Supreme Court.

(b) In two cases, the election of the returned candidates was set aside on the ground of irregularities in counting ; and the election petitioners were declared elected instead.

(c) Provisions exist in the Election Law for counting agents to be appointed by the candidates to observe counting. The Election Commission has laid down an elabarate procedure for counting, rejection and acceptance of votes and if these instructions are properly followed by the officers, counting staff and the counting agents of candidates, there will be little scope for any irregularity.

S. C. and S. T. Teachers in Railway Schools

312. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are primary, middle and Higher Secondary Schools in each Railway zone ;

(b) if so, the number of primary, middle and Higher Secondary Schools in each railway zone, separately, and the number of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other caste teachers, separately, in those schools ; and

(c) whether the posts of teachers reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been filled up in the schools running in each zone, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Representation by North Eastern Railway Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees' Welfare Association

313. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the General Manager of North Eastern Railway, Gorakhpur received any representation from the North Eastern Railway Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees' Welfare Association, Gorakhpur on the 26th March, 1969;

(b) if so, whether a copy of the representation would be laid on the Table; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh: (a) Yes.

(b) A copy of the representation is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1291/69].**

(c) In accordance with the extant orders applicable to all Central Government Departments, Unions formed on the basis of caste, tribe or religious denomination or of any group within or section such caste, tribe or religious denomination, are not eligible for recognition. It was explained to the sponsors that they should function through existing recognised Unions.

Employees in Railway Ministry

314. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2487 on the 11th March, 1969 regarding employees in Railway Ministry and state:

(a) whether the proposal to implement the orders contained in the Ministry of Home Affairs' O.M. No. 9/45/60—Establishment (D) dated the 20th April, 1961 has since been examined; and

(b) if so, the results thereof?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). The matter is still under examination in consultation with the Ministry of Home Affairs.

Hindi Instructors in Railways

315. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3926 on the 13th August, 1968 and state:

(a) whether it is a fact that the Pragya examination is considered equivalent to Matriculation in Railway Department and to Higher Secondary in Home Ministry;

(b) if so, whether it is a violation of Article 39 (d) of the Constitution ;

(c) in case the pay scales of Hindi Instructors, working in Railways are compared with those of regular school teachers, whether this policy of pay scales was adopted at the time of their initial appointment ; and

(d) if not, whether the present pay policy of Railways in respect of Hindi Instructors is consistent with the labour laws of the Government of India ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) In all Government Departments, the standard of Hindi Pragya Examination conducted under the Hindi Teaching Scheme is considered equivalent to Hindi standard of only Matriculation or School Final Examination in Hindi.

(b) Does not arise.

(c) Scales of pay allowed, with effect from 1-7-59 to full time Hindi Instructors in Hindi Teaching Centres and to Language Teachers in High/Middle/Primary Schools are as under :

Hindi Instructors	Language Teachers
170-10-290-EB-15-380	170-10-290-EB-15-380
160-8-256-EB-8-280-10-300	160-8-256-EB-8-280-10-300
130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300	118-4-170-EB-5-200-EB-5-225.

Hewever, no specific rules regarding scales of pay were laid down for Hindi Instructors when Hindi Teaching Scheme was introduced on the Railways.

(d) There does not seem to be any connection as such between the emoluments granted to Hindi Instructors and labour laws. It can, however, be stated that the pay scales of Hindi Instructors are comparable to those of similar teachers in Railway Schools.

पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

316. **श्री सेझियान :**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कार्यकारी दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बीच किन-किन सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशें प्रतिवेदन के प्रकरण 3 में दी गई हैं। प्रतिवेदन पहले ही गत अधिवेशन में सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी समिति को विस्तृत विचार के लिये भेज दिया है।

तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बे

317. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बे कितने बनाये गये हैं और प्रथम श्रेणी के तथा वातानुकूलित सवारी डिब्बों के साथ उनका क्या अनुपात है ;

(ख) भारतीय रेलवे में तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बों की कुल उपलब्धता का अनुपात क्या है और उच्चतर श्रेणी के डिब्बों के साथ उनका अनुपात क्या है ; और

(ग) क्या तीसरी श्रेणी के सवारी डिब्बे बनाने के लिये और अधिक धन नियत करने तथा रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ न होने देने के लिये अधिकाधिक जनता रेल गाड़ी चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में, औसतन, प्रतिवर्ष समूचे तीसरे दर्जे के 453 और तीसरे दर्जे की आंशिक व्यवस्था वाले 283 सवारी डिब्बे बनाये गये। तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों से पहले तथा वातानुकूल दर्जे के बनाये गये सवारी डिब्बों का अनुपात 4.74:1 रहा है।

(ख) तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की उपलब्धता से सवारी डिब्बों की कुल उपलब्धता का अनुपात 72:100 है। तीसरे दर्जे के डिब्बों से ऊंचे दर्जे के सवारी डिब्बों का अनुपात 3.89:1 है।

(ग) उपलब्ध साधनों के भीतर तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों (जिसमें शायिकाएं भी शामिल हैं) की खरीद जारी रखने का विचार है।

चलस्टाक, लाइन-क्षमता आदि के रूप में अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को देखते हुए और विभिन्न मार्गों/खण्डों पर होने वाले कुल यातायात की दृष्टि से औचित्य होने पर केवल तीसरे दर्जे वाली अतिरिक्त जनता गाड़ियां चलायी जायेंगी।

बिहार के महाधिवक्ता का त्याग-पत्र

318. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उन परिस्थितियों का पूरा ब्योरा या पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त हो गई है, जिनमें बिहार के महाधिवक्ता ने त्याग-पत्र दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धी रिपोर्ट सभा-पटल पर रखेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरी की वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य नियंत्रण

319. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइकिल मोटर कार आदि बहुत सी इंजीनियरी की वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल के कुछ महीनों में सरकार ने इन वस्तुओं के निर्माताओं को मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पूर्णतः निर्मित उत्पादों के उत्पादन में जो आवश्यक कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है उन पर कोई उसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं है ; और

(घ) क्या किसी तैयार वस्तु के मूल्य में नियंत्रण करना उचित है जबकि महत्वपूर्ण कच्चे माल पर ऐसा नियंत्रण नहीं लगाया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय सरकार मोटर कारों तथा बाइसिक्लों के मूल्य पर अनौपचारिक नियंत्रण रखती है ।

(ख) तीन कार उत्पादकों से उनकी कारों के मूल्य में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं । उनको सूचित कर दिया गया है कि मोटर गाड़ियों के समुचित बिक्री मूल्य के बारे में प्राशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1968) पर निर्णय लिये जाने तक मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी । आयोग की सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

जहां तक बाइसिकलों का सम्बन्ध है भारत के साइकिल उत्पादक संघ से भी अनुरोध प्राप्त हुए है कि बाइसिकिल के कच्चे माल जैसे इस्पात, मौलिक उपकरण के रूप में सम्भरण किये जाने वाले टायर और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण बाइसिक्लों के मूल्य में वृद्धि की जाये । बाइसिकलों के मूल्य में वृद्धि के प्रश्न पर विचार संघ से मांगे गये लागत आंकड़ों की प्राप्ति तथा उनकी जांच के पश्चात् ही किया जायेगा ।

(ग) जी, हां । मोटर कारों और बाइसिकिलों के निर्माण के लिये पुर्जों और कच्चे माल की अत्याधिक संख्या होने के कारण उन सबके मूल्यों पर नियंत्रण करना व्यवहारिक नहीं ।

(घ) सरकार आवश्यक सभी कच्चे माल के मूल्यों पर नियंत्रण किये बिना सरकार मोटर कारों तथा बाइसिकिलों के मूल्यों पर नियंत्रण को अनुचित नहीं मानती जब कि उत्पाद के मूल्य के निर्धारण में कच्चे माल के मूल्य को ध्यान में रखा जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा भारत में नगरीय परियोजनाएं

320. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा जरूरतमन्द बच्चों के लिए एकीकृत नगरीय परियोजना के लिए कोई छः नगरों का चयन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं और चयन की कसौटी क्या है ;

(ग) नगरों के चयन में सरकार ने क्या भाग अदा किया है ;

(घ) क्या यह अग्रिम परियोजना होगी ; और

(ङ) उसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ङ). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आयात स्थानापन्न

321. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग में सामान्य मन्दी तथा रुपये के अवमूल्यन से आयात स्थानापन्न से वृद्धि और आयात में कमी हुई है ;

(ख) क्या इससे सरकार की उत्पादन शुल्क की वसूली में बहुत कमी हुई है ; और

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान में स्वदेश में बनी वस्तुओं के प्रयोग में वृद्धि हुई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। आयात की कमी से उत्पादन शुल्क पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) आयात प्रतिस्थापन से देश का समस्त उद्योग समूह प्रभावित हुआ है।

Conference of Running Staff of S.E. Railway

322. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of Running Staff of South Eastern Railway was held in Bilaspur (M.P.) on the 21st and 22nd May, 1969 under the auspices of the South Eastern Railwaymen Union ;

(b) if so, whether it is also a fact that the proposals passed at the Conference were submitted to the Railway Administration for approval ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether Government have considered those proposals ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir.

(c) to (e). Do not arise.

Sewing Machine Industry

323. **Shri Ram Avtar Shastri :**
Shri Hem Raj :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the sewing machine manufacturing industries in the country are Indian ;

(b) if so, the names of these industries ;

(c) whether Government have made an estimate of the monthly consumption of the machines ;

(d) if so, the extent thereof ;

(e) the number of machines being manufactured per month in the country ;

(f) whether these machines are also being exported ; and

(g) if so, the country-wise number thereof and the amount of foreign exchange being earned thereby ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Comany Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The name of sewing machine manufacturing units in the organised sector are as follows :

(i) Jay Engineering Works Limited, Calcutta.

(ii) Mahabir Export & Import Co. (Pvt.) Ltd., Delhi-Shahdera.

(iii) Rita Mechanical Works, Ludhiana.

(iv) Jay Engineering Works Ltd., Hyderabad.

(v) British Machinery Supplies Co., Faridabad.

(c) and (d). According to a survey carried out in 1966, 47363 domestic sewing machines were sold per month on an average.

(e) The production during 1966 was 49797 machines per month. The average production per month during 1968 was 35268 machines in the organised sector only.

(f) and (g). A statement indicating the country-wise exports during 1968-69 and the amount of foreign exchange earned thereby is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1292/69]**

Hindustan Vehicles Co. Ltd., Patna

324. **Shri Ram Avatar Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have advised the Bihar Government to close the Hindustan Vehicles Co. Ltd., Phulwari Shareef, Patna ;

(b) whether it is also a fact that the Bihar Government have decided to close it ;

(c) if so, the justification for closing this important cycle manufacturing industry ;

(d) whether it is a fact that lay-off wages of the labourers for several months are due to be paid to them ;

(e) if so, the reasons therefor ; and

(f) the date by which Government propose to pay the wages ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c). At the instance of the State Government of Bihar the Hindustan Vehicle Limited, Patna, a licensed unit for the manufacture of bicycle was taken over by the Central Government on the 4th September, 1965 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and an Authorised Controller nominated by the Government of Bihar was appointed. The management of company was taken over by the Authorised Controller when it was closed by the former owners. The workers were laid off in September 1966 and they continue to be so. The Government of Bihar had reported that the liabilities incurred by the previous management of the Company were far in excess of the assets and that several legal proceedings in law courts were pending against the Company for recovery of dues. All the assets were also found to have been mortgaged. Because of all these factors the production of the Company could not be started after it was taken over by the Central Government. The State Government also could not bear the heavy burden of financing the Company. Accordingly, they requested that the Notified Order be cancelled so that the factory could be handed over to the previous management. The State Government have since been advised to take appropriate action in this regard.

(d) to (f). Information is being collected from the State Government of Bihar and will be laid on the Table of the House.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों का निर्यात

325. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों का निर्यात विदेशों को किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को इन घड़ियों का निर्यात किया जा रहा है और विदेशों में कौन-कौन सी घड़ियां सर्वाधिक लोकप्रिय हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 1968-69 की अवधि में 724 हाथ की घड़ियां जिनका कि मूल्य 39.390 रु० होता है, न्यूजीलैंड, नार्वे, यू० अरब रिपब्लिक, बहेरिन (परशियन गल्फ), इंगलैंड, फ्यूजी द्वीप, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, उत्तरी अफ्रीका, अदन लंका, और ईरान को निर्यात की गई । प्रकार के अनुसार ब्योरा नीचे दिया जाता है :

प्रकार	**घड़ियों की संख्या**
सोना	203
जनता	221
तरुण	3
जनता लुमिनस	82
पाइलट	87
सुजाता	128
	724

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बनाई जाने वाली घड़ियों में 'जनता' घड़ी विदेशों में बहुत जनप्रिय हैं :

वर्ष	**रुपये लाखों में**
1966-67	0.42
1967-68	0.59
1968-69	0.39

Automatic Watches

326. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the watches manufactured in this country cannot compete with those manufactured in other countries because of the fact that they are costly and are of out-dated designs ;

(b) if so, the measures proposed to be adopted to remove these shortcomings ;

(c) whether any action has been taken to manufacture automatic watches in the Hindustan Machine Tools ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The watches produced in the country can compete with similar types of watches manufactured in other countries in the domestic Indian market. The watches produced in India are not very competitive in the foreign market as the Indian Watch manufacturing industry is still in the developing stage and the scale of its production is relatively small compared to manufacturing units abroad. Steps are being taken—(i) to increase the production of watches in the country and (ii) to develop production of newer and more sophisticated types of watches.

(c) and (d). Yes, Sir. Automatic watches with day and date mechanism are proposed for manufacture by Hindustan Machine Tools Limited during the Fourth Plan period and the details thereof are being worked out.

Cost of Stainless Steel Wares

327. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of imported stainless steel comes to about Rs.3/- to to Rs. 4/- per kilogram ;

(b) whether it is also a fact that stainless steel wares in India are sold at the rate of Rs. 40/- to Rs. 60/- per kilogram ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government have received any complaints in this regard against certain firms ; and

(e) if so, the names of such firms and the action proposed to be taken against them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) A statement showing the quantity and value of imported stainless steel sheets during 1968-69 is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1293/69].** It will be observed that the value per kilogram comes to Rs. 6/- (approx.)

(b) and (c). As there is no price control on stainless steel wares the required information is not available.

(d) and (e). No such complaints have been received.

Licences for Importing the Machinery under U. S. Aid Programme

328. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the private firms are also granted licences for the import of machinery and other material under U. S. Aid Programme ; and

(b) if so, the names of the firms which were granted such licences during the last three years and the value of machinery and other materials imported under those licences ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) Yes, Sir.

(b) Full details of all import licences granted under the U. S. Aid Programme are published along with details of other import licences, in the weekly Bulletin issued by the Office of the Chief Controller of Import and Exports, New Delhi. No data are available on the actual value of imports which have been obtained against such licences.

आयातित इस्पात का भण्डार

329. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुख इंजीनियरी उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धि बनाये रखने के लिये कम उपलब्ध होने वाले आयातित इस्पात का रक्षित भण्डार बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या देश में इस्पात मिलों को अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने हेतु इस्पात की दुर्लभ किस्मों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने का भी सरकार का विचार है ; और

(ग) देश में इस्पात की कमी पूरी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) आयातित इस्पात का रक्षित भण्डार बनाने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस्पात का मूल्य बढ़ाने के बारे में अभिवेदन मिले हैं परन्तु सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में सरकार ने आयात नीति के अन्तर्गत आयात की अनुमति दे दी है । दीर्घकालीन उपाय भी किये गए हैं । जैसे, भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता-वृद्धि, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मौजूदा कारखानों में प्रौद्योगिक सुधार, बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण को पूरा करना, प्लेटों की कमी को पूरा करने के लिए एक प्लेट मिल स्थापित करना ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के उपाध्यक्ष की नियुक्ति

330. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची में उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाध्यक्ष के पद पर एक सेवानिवृत्ति व्यक्ति की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति करने के आधारभूत कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान पदधारी को भारी इन्जीनियरिंग निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त करने का मूल कारण उनका तकनीकी ज्ञान और इन्जीनियरिंग उद्योग में उत्पादन के तरीकों का व्यापक अनुभव है। वह भारतीय रेलवे के सेवा निवृत्त अधिकारी है तथा उत्पादन सलाहकार और बाद में वित्त मंत्रालय के ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज में उत्पादन परामर्शदाता के पद पर कार्य कर चुके हैं। ऐसा विश्वास है कि इस योग्यता एवं अनुभव के आधार पर वह कम्पनी का उत्पादन तथा क्षमता से कम काम करने की समस्याओं का समाधान करने में प्रभावी सहायता दे सकते हैं तथा उपयुक्त प्रत्युपाय करने और उनको कार्यान्वित करने में सहायता दे सकेंगे।

नेपथा परिष्करण संयंत्र, रूरकेला

331. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में नेफ्था परिष्करण संयंत्र की मुख्य भट्टी को 18 मई, 1969 को भारी क्षति पहुंची थी जिससे तीन व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) कुल कितने रुपयों की क्षति हुई और संयंत्र को पुनः चालू करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) इस क्षति के कारण कितने उत्पादन की हानि हुई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह विस्फोट तब हुआ जब संयंत्र प्रयोगात्मक अवधि में चलाया जा रहा था ;

(ङ) इस विस्फोट के बारे में तथ्यान्वेषण समिति की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(च) हमारे इस्पात संयंत्रों में बार बार विस्फोट होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ०चं० पन्त) : (क) और (घ). जी, हां। विस्फोट उस समय हुआ जब परिष्करण संयंत्र की मुख्य भट्टी को चालू किया जा रहा था।

(ख) से (ङ). यह जानकारी उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट मिल जाने पर ही उपलब्ध हो सकेगी। रिपोर्ट के इस मास के अन्त तक मिल जाने की सम्भावना है।

(च) इस्पात कारखानों में बार बार विस्फोट नहीं हुए हैं।

गुजरात की फर्म द्वारा छोटी कार का निर्माण

332. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री द० रा० परमार :
श्री हु० चे० गौडा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री समर गुह :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
डा० सुशीला नैयर :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय- कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम हुआ है कि जामनगर की एक फर्म भारत में ही उक्त कार के निर्माण करने की योजना बन रही है जिसका मूल्य सभी कारों को मिलाकर केवल 14,000 रु० होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा अब तक विचार किये गये कई प्रस्तावों की तुलना में यह प्रस्ताव कैसा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). गुजरात सरकार ने ऐसा सूचित किया है कि जामनगर की एक फर्म ने छोटी कार बनाने के लिये एक लघु उद्योग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार जिससे फर्म ने पूछताछ की थी ने इस फर्म को सूचित किया है कि किसी ऐसे लघु उद्योग एकक की स्थापना के लिये राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से किसी प्रकार के लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है जिसकी पूंजी विनियोजन 7.5 लाख रुपये से कम हो। फर्म ने कार के मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा है किन्तु समाचार-पत्रों की सूचनाओं से पता चलता है कि छोटी कार का मूल्य 14,000 से 15,000 रुपये होगा। यह मालूम नहीं कि इसमें उत्पादन शुल्क तथा अन्य कारों के तत्व को गिन लिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि फर्म को, जब भी वह उनसे अनुरोध करेगी, नियमों की परिधि में सभी सहायता उपलब्ध की जायेगी।

फर्म ने कोई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अत: छोटी कार बनाने की इस योजना की सरकार द्वारा प्राप्त अन्य योजनाओं से तुलना करना सम्भव नहीं है।

एस्कोर्टस तथा फोर्ड मोटरकार कम्पनी के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

333. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 50 हार्स पावर के ट्रैक्टरों के निर्माण हेतु हाल ही में एस्कोर्टस तथा अमरीका की फोर्ड मोटरकार कम्पनी को परस्पर सहयोग करने के एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या देश में कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों की भारी कमी को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार ऐसे ट्रैक्टरों को अपने निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). एस्कोट्स लिमिटेड, फरीदाबाद का अमरीका की फोर्ड मोटर कम्पनी के सहयोग से 'फोर्ड' 46 अश्वशक्ति वाले प्रतिवर्ष 6000 कृषि ट्रैक्टर बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ने भारतीय फर्म द्वारा प्रस्तुत सहयोग करार के प्रलेख को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित कर दिया है। दो पार्टियों के बीच समझौते से तय हुई सहयोग की शर्तों को प्रकट करना उचित नहीं समझा जाता है क्योंकि यह दो निजी पार्टियों के मध्य हुए समझौते का एक भाग है।

(ग) तथा (घ). सरकार ने पहले ही निजी क्षेत्र में दो योजनाओं को भी सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है जो प्रति वर्ष 20,000 (20 अश्वशक्ति वाले) छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करेगी। सार्वजनिक में छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। इन्हीं कारणों से सरकार ने एस्कोट्स से यह कहना आवश्यक नहीं समझा कि वह अपने निर्माण कार्यक्रम में कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों को भी सम्मिलित करे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का अग्रेतर विभाजन

334. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ व्यक्तियों ने मांग की है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में और आगे विभाजन किया जाय ताकि इन वर्गों के और छोटे-छोटे विभाग बन सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के लाभ और हानियों की जांच कर ली है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार को यह दृष्टिकोण है कि लोगों द्वारा हरिजनों का विभाजन करने के इन प्रयासों को प्रोत्साहन न दिया जाय ; और यदि हां, तो इस मामले में सरकार किस नीति का अनुसरण कर रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड

335. **श्रीप्रेमचन्द्र वर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य के परिणाम देखे हैं और क्या उसके कार्य में कोई प्रगति अथवा अवनति दिखाई गई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष उत्तम रहा है ; और उसके लाभ, हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात, स्टाक-सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उक्त कम्पनी को वही अधिकारी लोग चला रहे थे और उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के नाम क्या हैं तथा वे कितने-कितने समय से इन पदों पर हैं, उनके वेतन और भत्ते क्या-क्या हैं, और वे किस-किस विभाग या संस्था से आये हैं ;

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई और क्या लोगों में उक्त कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के उद्देश्य से कोई ठीक कार्यवाही की गई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) और (ख). कम्पनी का कारखाना अभी निर्माणाधीन है और जुलाई 1969 से सीमित उत्पादन शुरू हुआ है । 31 मार्च, 1969 तक के कम्पनी के हिसाब-किताब में मुख्यतः निर्माण व्यय ही दिखाया गया है और इसमें कोई हानि या लाभ नहीं है ।

(ग) कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और सचिव को कम्पनी नियुक्त करती है । अध्यक्ष अंशकालिक है और कोई वेतन या भत्ते नहीं लेता है । कम्पनी के काम पर जाने के लिये यात्रा भत्ता और बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिये इनको फीस मिलती है । शेयर होल्डरों की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष सेवा निवृत्त होगा परन्तु पुनः नियुक्ति का पात्र होगा । वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए आन्ध्र प्रदेश के विधान सभा सदस्य श्री पी० बसी रेड्डी अध्यक्ष थे । वर्ष 1968-69 के वे अध्यक्ष

श्री एस० एन० बिलग्रामी थे जो भारतीय प्रशासन सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारी हैं। जून 1966 में कम्पनी के निगमित होने से लेकर कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री के० एस० शर्मा हैं जो भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी हैं। प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति के पहले वे प्रशासी मंत्रालय में विशेष अधिकारी थे और इस प्रायोजना का कार्य कर रहे थे। 2,500-100-3,000 के वेतनमान में वे इस समय 2700 रु० प्रति माह वेतन पा रहे हैं। कम्पनी के सचिव श्री के० वी० सूर्यनारायनन हैं जोकि सितम्बर 1966 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। उनका वर्तमान वेतन 635 रु० और मंहगाई भत्ता 120 रु० है। इस पद पर नियुक्ति से पूर्व वे तकनीकी विकास के महानिदेशालय में काम कर रहे थे।

(घ) पिछली त्रुटियां कोई नहीं हैं और विशेष उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार लोगों में कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के लिये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। जब कम्पनी का कार्य अच्छा होगा तो इसकी प्रतिष्ठा अपने आप ही हो जायगी।

रेलवे की विज्ञापन सम्बन्धी नीति

336. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की विज्ञापन सम्बन्धी नीति भारत सरकार की नीति के अनुसार है ;

(ख) यदि यह नीति भारत सरकार की नीति के अनुसार नहीं है तो भिन्न नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों को विज्ञापनों का उचित भाग देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(घ) यह देखने के लिये कि क्या जन-सम्पर्क विभाग पक्षतापूर्वक कार्य करता है तथा भारत सरकार की नीति के अनुसार चलता है, क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण सामान्यतः रेलों द्वारा किया जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को रेलों द्वारा विज्ञापन इस प्रकार दिये जाते हैं कि एक ओर छोटे समाचार-पत्र रेलवे विज्ञापनों से वंचित न हों और दूसरी ओर रेलवे संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

(घ) रेलवे जनसम्पर्क संगठन का यह सतत प्रयत्न रहा है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड के कार्य के परिणाम

337. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य के परिणाम देखे हैं और क्या उसमें कोई प्रगति या अवनति दिखाई गई हैं ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी का कार्य गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष उत्तम रहा है ; उसके लाभ, हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात और स्टाक-सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उक्त कम्पनी को वही अधिकारी लोग चलाते रहे थे और उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के नाम क्या हैं, वे कितने-कितने समय से उन पदों पर आसीन हैं, उनके वेतन और भत्ते क्या हैं, वे किस-किस विभाग या संस्था से आये हैं ; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिए विगत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई थी और क्या लोगों में उक्त कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). यद्यपि वर्ष 1968-69 के कार्य परिणाम अभी तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं और लेखा जांचोपरान्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो भी बिना जचे आंकड़े 20.62 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन दिखते हैं जो कि गत वर्ष 1967-68 के उत्पादन से 42 प्रतिशत अधिक था और लक्ष्य के 94 प्रतिशत के बराबर है। 1968-69 में उत्पादन में हानि गत वर्ष की उपेक्षा कम थी। लाभ हानि, बिक्री, खर्चे इत्यादि के पूरे आंकड़े पूरे हिसाब किताब तैयार हो जाने पर ही उपलब्ध होंगे। यद्यपि 1967-68 में कोई निर्यात नहीं किया गया था किन्तु हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अपने उत्पादों के लिये विदेशी मण्डियां तलाश करने के प्रयत्नों को तीव्र कर दिया है। उन्होंने विदेशों में लगभग 11 करोड़ रुपये के मूल्य की निविदायें भरी हैं। संयुक्त अरब गणराज्य तथा ईराक से प्राप्त 1,79,000 रुपये के आर्डरों का भुगतान किया जा चुका है। संयुक्त अरब गणराज्य, सिंगापुर, ईराक तथा स्विटजरलैंड के 33,000 रुपये के आर्डरों का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

श्री एस० स्वयंभू, वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने वर्तमान पद का कार्यभार 6 अक्तूबर, 1967 को श्री के० सी० लाल, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के सेवानिवृत होने पर सम्भाला था। श्री स्वयंभू हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड में तकनीकी निदेशक के रूप में 11 दिसम्बर, 1963 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से प्रतिनियुक्ति पर आये थे और

3 जनवरी, 1967 को प्रमुख प्रबन्धक नियुक्त हुए थे। यह अब सरकारी नौकरी से 14 फरवरी, 1969 को सेवानिवृत हो चुके हैं और अब वह पुनः नौकरी पर रखे गये अधिकारी के रूप में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह 3,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं जिसमें से पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों को घटा दिया जाता है।

श्री आर० सी० गुप्त नवम्बर, 1964 से कम्पनी सचिव हैं। इनका वर्तमान वेतन 1500 रुपये मासिक है। यह हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड में जुलाई 1957 में सहायक सचिव के रूप में आये थे। इससे पूर्व यह भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक जो कि भारत सरकार का एक अन्य उपक्रम है में कार्य करते थे।

(घ) सरकार को कम्पनी के बारे में जनता के मन में गलत धारणाओं के बारे में जानकारी नहीं है। भारी विद्युत उद्योग में गर्भाधान अवधि अधिक होती है और प्रत्येक उत्पाद की उत्पादन लागत अधिक होती है और विशेष दक्षता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। परियोजना अपने निर्माण तरीकों को सुधार कर, उत्पादन में वृद्धि कर व्यय के प्रत्येक मद पर कड़ा नियन्त्रण कर, संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी प्रयोग कर और ऐसी मशीनों के उत्पादन का चयन की जिससे कि अभीष्ट लाभ हो और प्रोत्साहन योजना से श्रम उत्पादिता बढ़ाकर अपने कार्यकलापों में सुधार लाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। सरकार सन्यन्त्र के काम पर निरन्तर ध्यान रखती है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कार्य के परिणाम

338. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य के परिणाम देखे हैं और क्या उसमें कोई प्रगति या अवनति दिखाई है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी का कार्य गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष उत्तम रहा है, उसके लाभ, हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात और स्टाक-सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उक्त कम्पनी को वही अधिकारी लोग चला रहे थे और उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के नाम क्या हैं, वे कितने कितने समय से उन पदों पर आसीन हैं, उनके वेतन और भत्ते क्या हैं, वे किस-किस विभाग या संस्था से आये हैं ; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई थी और क्या लोगों में उक्त कम्पनी की प्रतिष्ठा बनाने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। कम्पनी के कार्य में प्रगति हुई।

(ख) जी, हां। आवश्यक सूचना नीचे दी जाती है :

उत्पादन	1967-68	1968-69
ड्राई कोर केबल्स (सीकेएम)	6.43 लाख	7.83 लाख
प्लास्टिक केबल्स और वायर (सीकेएम)	27,888	42,345
को—एक्सिल केबल्स (टीकेएम)	2,317	2,086

आयातित कच्चे माल के सम्भरण में देरी होने के कारण की एक्सिएल तारों के उत्पादन में गिरावट हुई।

बिक्री लाख रुपयों में		
ड्राई कोर केबल्स	646.75	700.81
प्लास्टिक केबल्स तथा वायर	23.72	39.67
कोएक्सियल केबल्स	274.52	153.02

टिप्पणी : बिक्री से प्राप्त धनाभाव का मुख्य कारण यह रहा है कि मुख्य कच्चे माल की कीमतों में 1968-69 में गिरावट आई और कोएक्सियल केबल्स के उत्पादन में कमी होना भी एक कारण था।

वित्तीय परिणाम (लाख रुपये में)

कर से पूर्व लाभ	59.03	92.86
कर के पश्चात लाभ	35.03	52.86
लाभांश	16.65 (6 प्रतिशत)	25.88 ($7\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रस्तावित)

स्टाक सूची :

कुल संपत्ति की सूची की बिक्री का प्रतिशत वर्ष 1967-68 के 60 प्रतिशत की अपेक्षा 1968-69 के लिये 64 प्रतिशत था। इसका कुछ कारण तो तांबा और शीशे की कीमतों का नीचा होना तथा कुछ कारण प्रगामी कार्य के मूल्य में वृद्धि थी जो अधिक उत्पादन के कारण सूची में सम्मिलित किया गया है।

(ग) 21 सितम्बर, 1966 से 15 अक्तूबर, 1968 तक कम्पनी का कोई अध्यक्ष नहीं था जबकि श्री के० एन० मुखर्जी प्रबन्ध निदेशक, नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर लिमिटेड को निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आजकल प्रबन्ध निदेशक श्री आई० के० गुप्त हैं जो

डाक तार विभाग के एक अधिकारी हैं और अभी तक 10 जुलाई, 1967 से कार्य कर रहे हैं। श्री डी० डी० बनर्जी कम्पनी के सचिव हैं जो कम्पनी के ही कर्मचारी हैं और वहां लगातार कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष अवैतनिक है और प्रबन्ध निर्देशक 2,500-100-3,000 के वेतन क्रम में वेतन प्राप्त करते हैं। सचिव को 1100-1400 के वेतन क्रम में वेतन दिया जाता है और वे कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत मिलने वाले भत्तों के भी हकदार हैं।

(घ) कम्पनी में कोई गम्भीर कमी नहीं है और जनता में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की गतिविधियों के प्रचारार्थ समाचार पत्रों में प्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन किये जाने का भी यदा कदा प्रबन्ध किया जाता है।

भिक्षावृत्ति की रोकथाम

339. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री विक्रम चन्द महाजन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र है जिन्होंने भिक्षावृत्ति को दण्डित करने के लिये कानून बना लिये हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे भिक्षावृत्ति को कानून बनाकर रोकें ; और

(ग) इस सलाह के प्रति राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) भिक्षावृत्ति निरोधक कानून आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात-जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर,मध्य प्रदेश, तामिल नाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अधिकारियों पर आक्रमण

340. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में यात्रियों तथा जनता द्वारा रेलवे अधिकारियों पर आक्रमण किये जाने के कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या हाल ही में ऐसे आक्रमणों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ग) रेलवे अधिकारियों की सुरक्षा के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 110

(ख) मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) व्यक्तियों पर आक्रमण का सम्बन्ध है कानून और व्यवस्था से है। लेकिन चूंकि इस पहलू से रेलवे का भी गहरा सम्बन्ध है, इसलिये निम्नलिखित मामलों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा राज्य पुलिस को यथा-सम्भव सहायता प्रदान की जाती है—(i) जब किसी उपद्रव की आशंका हो या इस बारे में कोई सूचना मिले, तथा (ii) जब विशेष टिकट जांच अभियान चलाया जाये। रेलवे पुलिस प्राधिकारियों के साथ सक्रिय सम्पर्क तथा समन्वय भी रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रेल अधिकारियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं।

बनासंकठा से लोक सभा के लिये उप निर्वाचन स्थगित किया जाना

341. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनासंकठा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन 4 मई, 1969 को स्थगित करके 11 मई, 1969 को किये जाने का निर्णय किस तिथि को तथा किस समय किया गया था ;

(ख) निर्वाचन स्थगित किये जाने के कारण क्या थे ;

(ग) निर्वाचन के स्थगित किये जाने का निर्णय किस समय प्रसारित किया गया था ; और

(घ) रिटर्निंग आफिसर तथा अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्वाचन स्थगन के निर्णय की सूचना किस समय दी गई थी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : 3 मई 1969 को सायंकाल 2 बजकर 15 मिनट पर।

(ख) भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के कारण।

(ग) 3 मई, 1969 को सायंकाल 3 बजकर 30 मिनट पर। यह समाचार उसी दिन रात में 9 बजे पुनः प्रसारित किया गया।

(घ) रिटर्निंग आफिसर को इत्तिला 3 मई, 1969 को सायं 3 बजे ट्रंक टेलीफोन द्वारा दी गई और रिटर्निंग आफिसर ने तुरन्त ही अभ्यर्थियों को इत्तिला दे दी।

Shortage of Tyres and Tubes in Bihar

342. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cycle and motor car tyres, and tubes have become very scarce in Bihar since January, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take to ensure the supply of tyres and tubes ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) There has been some shortage of cycle as well as motor car tyres and tubes in recent months in Bihar.

(b) Reasons for shortage are increased demand and comparative shortfalls in supply.

(c) There is a continuous effort to increase the production of tyres and tubes. The production of 11 Units of manufacturer of cycle tyres on list of D.G.T.D. increased from 1,96,39,420 (numbers) in 1966 to 2,44,96,843 in 1968. The production of seven units of manufacturers of motor car tyres on list of D.G.T.D. increased from 7,23,025 (numbers) in 1966 to 8,60,517 in 1968. Powers have been delegated to the State Governments under the Essential Commodities Act to regulated distribution and prices of stocks received in the State and they have taken up the matter with the suppliers.

संयुक्त उपक्रम

343. **श्री हेमराज :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे संयुक्त उपक्रमों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1968 के दौरान स्थापित करने की अनुमति दी गई, तथा उन देशों के क्या नाम हैं जिनके सहयोग से ये उद्यम स्थापित किये जा रहे हैं, और उन उद्यमों में कौन सी मदों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ख) वर्ष, 1969 में कितने संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1968 में विदेशी सहयोग के 132 मामले स्वीकृत किये गये। विदेशी सहयोग के मामलों के अलावा भारतीय पार्टियों के नाम, विदेशीसहयोग कर्ताओं के नाम तथा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताने वाली सूची 'जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड' की हर तिमाही में प्रकाशित की जाती है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1969 की प्रथम तिमाही में विदेशी सहयोग के 48 मामले स्वीकृत किये गये चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योग निजी उद्यमियों पर निर्भर होते हैं अतः 1969 में विदेशी सहयोग के कितने मामलों के स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है, इस स्तर पर अभी यह बता सकना सम्भव नहीं है।

Conversion of Bhatnaha-Bhimnagar Narrow Gauge into Metre Gauge

344. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bhatnaha-Bhimnagar narrow gauge line of Kosi Project is

proposed to be converted into metre gauge line after taking it over from the project authorities and it is proposed to be extended upto Nirmali ;

(b) if so, the decision taken in this regard ;

(c) whether there is any suggestion to reject the proposal and, if so, the reasons therefor ; and

(d) the reason why the project, which is in the interests of the public, is not being taken over by Government ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d). An appreciation carried out in 1964 for conversion of the Bhatnaha-Bhimnagar narrow gauge line of the Kosi Project Authorities, to metre gauge, after taking it over from the Project Authorities, and its further extension upto Nirmali, revealed that the entire scheme would be heavily unremunerative. Hence this proposal was shelved.

Express Train between Mansi, Saharsa and Purnea Stations

345. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the proposal to start an Express train between Mansi, Saharsa and Purnea Stations and divert other fast passenger trains to this line has since been taken into consideration ;

(b) if so, the decisions taken in this regard ;

(c) the steps taken to give practical shape to these decisions ; and

(d) the amount allocated for this work ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) A pair of fast passengers has already been introduced between Banmankhi and Barauni via Saharsa and Mansi with effect from 16-5-1969. Running of these trains to and from Purnea is not feasible for non-avilability of requisite terminal facilities at Purnea.

Diversion of the existing fast trains viz. 33/34......and 37/38......Fast Passengers via Mansi and Saharsa has not been found desirable as it will

(i) involve longer journey time and payment of enhanced fares by through passengers due to the circuitous route ; and

(ii) result in considerable reduction in their present composition as heavier engines are not, at present, permitted to run on Purnea-Saharsa-Mansi section on account of weak track and bridges.

(c) The work for strengthening the track and bridges on the Purnea-Saharsa-Mansi section is already being done on a programmed basis. After this further improvements in services on this section will be considered, if found otherwise feasible and justified at that time.

(d) Renewal of about 43 Kms. of track between Mansi-Saharsa at a cost of about Rs. 66 lakhs has already been programmed, out of which 20 Kms. taken up for renewal in 1967-68 costing about Rs. 33 lakhs is nearing completion and the balance has been taken up in the current year. The outlay on this work included in the Budget for the current year is about Rs. 17.22 lakhs. Further a sum of Rs. 5 lakhs has also been allocated in 1969-70 Budget for the replacement of existing 2 pile bridges and strengthening of protection works of some bridges on this Section.

Railway Zone between Thurbhita and Bhaptiahi

346. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the old abandoned Railway Zone between Thurbhita and Bhaptiahi is proposed to be started again during the year 1969-70 ;

(b) if so, the amount allocated for it ;

(c) the steps being taken and likely to be taken in this regard ; and

(d) the time by which the scheme would be completed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Rs. 37,45,208/-.

(c) and (d). The construction estimate for this restoration has already been sanctioned and the work will be taken in hand and completed by the North Eastern Railway as expeditiously as possible.

Reporting of Law Cases

347. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Justice of India had stated at a conference in Delhi in March, 1969 that reporting of judicial matters connected with Law should be centralised ;

(b) whether the Supreme Court have sent any suggestion to Government in this regard ; and

(c) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Meeting of Indo-Russian Scientists

348. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Indian and Russian Scientists was held in New Delhi under the auspices of the Council of Scientific and Industrial Research at which specific indus-

tries were selected for Indo-Soviet industrial collaboration and, if so, the names of the industries selected for the purpose ; and

(b) the attitude adopted by Government in this regard and the measures proposed to be adopted in the Fourth Five Year Plan for the setting up of such industries with Indo-Soviet collaboration ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) On the invitation of the Council of Scientific and Industrial Research, a delegation from the Committee of Science and Technology of the USSR visited India from 28th May to 16th June, 1969 to explore the possibility of collaboration between the two Institutions in the field of applied science and technology.

The USSR delegation and CSIR felt that there was a fertile field of cooperation in various fields of Science and technology. The USSR delegation had indicated textile machinery, chemical processes and plant, high polymers, petrochemicals, dye-stuffs, glass and ceramics, leather technology, ore-beneficiation, ferro-manganese technology and jute technology as possible areas offering immediate scope.

A formal agreement is proposed to be entered into between the two Institutions.

(b) What has been stated about essentially relates to reciprocal cooperation between the two Institutions in the field of research and technology.

While the basic policy of the Government in the matter of foreign collaboration during the Fourth Five Year Plan will continue to be the same as hitherto, care has to be taken to ensure that foreign collaboration is resorted to only for meeting critical gaps and does not inhibit the maximum utilization of indigenous know-how and services.

साइकिलों के मूल्य में वृद्धि

349. **श्री राम सिंह अयरवाल :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री सेझियान : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साइकिल निर्माताओं को चेतावनी दी है कि वे साइकिलों के मूल्य न बढ़ायें ;

(ख) यदि हां, तो इस पर साइकिल निर्माताओं की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) निर्माताओं ने मूल्य में वृद्धि के क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). साइकिल के निर्माताओं ने इस्पात, टायरों तथा ट्यूबों को मूल उपकरणों के रूप में संभरित करने के कारण मूल्य में क्रमशः वृद्धि हो जाने के कारण साइकिलों के मूल्य में दो बार वृद्धि की। पहली वृद्धि नवम्बर, 1968 में 2 रुपये प्रति यूनिट तथा दूसरी बार वृद्धि अप्रैल, 1969 में 3.50 रुपये प्रति यूनिट की गई। दि साइकिल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया से वृद्धि के पक्ष में लागत आंकड़े देने के लिये कहा गया है। जब तक इसके आंकड़े की प्राप्त नहीं हो जाते और उनकी जांच हो नहीं जाती, उनसे यह सुनिश्चय करने का अनुरोध किया गया है कि जिन निर्माताओं ने एक पक्षीय रूप से मूल्यों में वृद्धि की थी वे उसे कम करें अन्यथा संघ को यदि वे सहयोग नहीं देते और वे अनुचित रूप के मूल्यों में वृद्धि करते हैं तो यह भी सूचना दे दी गई है कि सरकार को मूल्यों नियन्त्रण लागू करने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा।

Improvement in the Working of Nepa Mills

350. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steps have been taken to improve the working of the Nepa Mills ;

(b) if so, the details and outcome thereof ; and

(c) the estimated figures of profit and loss for the year 1969-70 and how they compare with the figures of profit and loss for the ealier two years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Industrial development of Madhya Pradesh

351. **Shri G. C. Dixit :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of new industries proposed to be set up by the Government in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(b) the amount proposed to be invested in the industrial development of Madhya Pradesh ; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The Central Industrial projects to be set up during the Fourth Five Year Plan are listed at pages 253-260 of the 'Draft Fourth Five Year Plan Report.'

(b) Over and above the investment that will be made on the central industrial projects referred to under (a) an outlay of Rs. 7.50 crores on large and medium industries and Rs. 6 crores on village and small industries has been proposed under the State Sector during the Fourth Plan.

(c) Does not arise.

Bye-Election from Midnapore Parliamentary Constituency

352. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the election from Midnapur Lok Sabha Constituency was held within a period of three months, whereas six months were taken to hold election in Banaskantha Parliamentary Constituency ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) As the electoral rolls of all assembly constituencies in the State of West Bengal had been revised in connection with the Mid-term Elections held in that State in February, 1969, a revision of the electoral rolls of the Midnapore parliamentary constituency, which consists of the electoral rolls of the component assembly constituencies, was not at all necessary. It was, therefore, possible for the Election Commission to hold this bye-election within a period of three months.

On the other hand, there was no Mid-term election in the State of Gujarat in which the Banaskantha parliamentary constituency is situate. Hence, under section 21 of the Representation of the People Act, 1950, a revision of the electoral roll was an obligatory requirement. But even, this revision of the electoral roll could not be taken up earlier because of an election petition pending in the High Court and of a subsequent appeal pending in the Supreme Court. The revision of the electoral roll of the constituency was taken up only after the disposal of the appeal by the Supreme Court on the 7th January, 1969. The electoral roll was immediately revised thereafter and the poll was taken on the 11th May, 1969. Thus, there was no delay in holding the election in the Banaskantha parliamentary constituency in the State of Gujarat.

Crisis in Small Scale Industries in Madhya Pradesh

353. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report that small scale industries in Madhya Pradesh which are vitally important for the industrial economy of the State are facing a crisis ; and

(b) whether the State Government has requested the Central Government for providing protection and financial aid for strengthening small scale industries ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Result of Banaskantha Parliamentary Bye-Election

354. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of newspapers and legal experts have severely criticized the action of the Chief Election Commissioner in delaying the announcement of the election result of Banaskantha Parliamentary Constituency ;

(b) whether this policy of the present Chief Election Commissioner is quite reverse to the policy followed by his predecessor ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir. There has been some criticism in the newspapers about the delay in declaring the result of the election, but the Government is not aware of any criticism made by legal experts.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

विदेशियों के लिये मद्यनिषेध दिन सम्बन्धी प्रतिबन्धों में छूट

355. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे विदेशी पर्यटकों के लिए मद्यनिषेध दिन सम्बन्धी प्रतिबन्धों में छूट दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों से नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Loading System at Sawai Madhopur Station

356. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the loading system on Sawai Madhopur junction of the Western Railway involves considerable delay on account of faulty methods and other reasons in transhipment of foodgrains and fooder from broad gauge Railway station ;

(b) whether it is also a fact that the workers and coolies who work at the above station often resort to strike ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to stop this mismanagement ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No

(b) No

(c) Does not arise.

Loading of Goods from Stations in Kota Division (W. Rly.)

357. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is often difficult to load goods from the stations in Kota Division of the Western Railway particularly Gangapur City, Hindon and Sawai Madhopur on narrow gauge as a result of which traders are facing great difficulties ;

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government to remove the difficulty ;

(c) whether Government have under consideration a proposal for transhipment of goods at Bharatpur Junction also in addition to Sawai Madhopur ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). There has been no difficulty in clearing traffic from stations in Kota Division in general. As regards the three stations specifically referred to, namely, Gangapur City, Sawai Madhopur (MG) and Hindon, the clearance of traffic from Gangapur City and Sawai Madhopur (MG) has been satisfactory. There was, however, some delay in meeting the demands at Hindon City during June, 1969, as the movement of via Sawai Madhopur traffic had to be regulated due to the heavy movement of fodder to drought affected areas in Rajasthan via Sawai Madhopur transhipment point, and the availability of covered wagons for low priority traffic was affected by the heavy loading of high priority traffic like foodgrains, cement, etc. Movement from Hindon City was also affected by civil disturbances towards the end of June 1969.

(c) and (d). Bharatpur is open for transhipment of crane consignments and railway coal. Provision of additional facilities at Bharatpur for transhipment of other traffic is not considered necessary, as the present difficulty in movement via Sawai Madhopur is a temporary feature due to heavy movement of fodder to drought affected areas in Rajasthan.

मूल्यों में कमी के कारण माल डिब्बे निर्माताओं को हानि

358. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बे निर्माताओं ने सरकार को सुझाव दिया था कि रेलवे के विभिन्न वर्गों के सामान तथा माल डिब्बों के मूल्यों का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंपा जाय क्योंकि रेलवे के क्रया देशों में मूल्य कम होने के कारण उद्योग को भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपने के लिये सहमत हो गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उद्योग के साथ कोई समझौता करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ताकि माल डिब्बे बनाने वाले मूल्यों के कारण होने वाली भारी हानि से बच सकें ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केवल पश्चिम बंगाल के कुछ माल डिब्बा निर्माताओं ने माल डिब्बों के मूल्य का प्रश्न दर-सूची आयोग जैसे एक स्वतंत्र निकाय को भेजने का सुझाव दिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह मामला दर-सूची आयोग को भेजना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि फर्मों से पेशकश मिलने और उसके सम्बन्ध में माल डिब्बा निर्माताओं से बातचीत करने के बाद मूल्य निर्धारित किये गये थे। निर्धारित मूल्य युक्तियुक्त समझे गये।

(घ) निर्धारित मूल्य युक्तियुक्त समझे जाते हैं, इसलिये आगे कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजोर

359. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सरकार को सुझाव दिया है कि चेकोस्लोवाकिया से ऋण प्राप्त कर कोई नया कारखाना स्थापित करने के बजाये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजोर एकक को ट्रैक्टर बनाने के कारखाने के रूप में बदल दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के पिंजोर स्थित एकक की अप्रयुक्त क्षमता तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के दुर्गापुर स्थित कारखाने की अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग कर ट्रैक्टर निर्माण की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये कहा था। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और वह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के विचाराधीन है। प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त इन कम्पनियों से ट्रैक्टर निर्माण के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इलाहाबाद में पम्प और कम्प्रैसर बनाने का कारखाना

360. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इलाहाबाद में देशी पम्प और कम्प्रैसर बनाने का कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार का कारखाना स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). इलाहाबाद के निकट नैनी में विशेष प्रकार के पम्प तथा कम्प्रैसर्स बनाने के लिये कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । पूरा उत्पादन होने पर इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन होगी । चूंकि प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है अतः कब तक यह कारखाना स्थापित हो जायेगा यह बता सकना सम्भव नहीं है ।

रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं

361. **श्री अदिचन :**

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 की प्रथम तिमाही में रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई और ये दुर्घटनाएं 1967-68 और 1968-69 की प्रथम तिमाही में हुई दुर्घटनाओं की तुलना में कितनी थी ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुये अर्थात् (1) मारे गये (2) घायल हुये ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इन फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने अथवा इनके यन्त्री करण का कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). स्थिति इस प्रकार है :—

	अप्रैल, 1967 **से** **जून**, 1967	**अप्रैल**, 1968 **से** **जून**, 1968	**अप्रैल**, 1969 **से** **जून**, 1969
समपार पर होने वाली दुर्घटनाएं	35	36	43
मारे गये व्यक्तियों की संख्या	20	41	46
घायल व्यक्तियों की संख्या	87	95	124

(ग) समपार से गुजरने वाले सड़क यातायात का आवधिक विश्लेषण किया जाता है और जहां रेल और सड़क यातायात की मात्रा का औचित्य होता है, वहां चौकीदार रखा जाता है और फाटकों को अन्तर्पाशित किया जाता है।

साइकल के टायरों की चोरबाजारी

362. **श्री अकिचन :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात का पता है कि अब भी विशेष कर दिल्ली में साईकल के टायरों और ट्यूबों की चोरबाजारी जोरों पर चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो मार्कीट में टायरों और ट्यूबों का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध होने के बावजूद चोरबाजारी के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि न केवल तथा कथित लोकप्रिय साइकल टायर ही बल्कि अन्य प्रकार के टायर और ट्यूब भी निश्चित खुदरा पर से अधिक मूल्य पर खुले आम बेचे जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं की बाजार में उचित दर पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) क्या इस वस्तु को चोरबाजारी का मुख्य कारण यह है कि नियंत्रित मूल्यों पर टायर और ट्यूब सप्लाई करने की प्रक्रिया बहुत कष्टप्रद है ; और

(च) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के पश्चात प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च). आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन दिल्ली प्रशासन ने साइकिल के टायर और ट्यूब के स्टाक के वितरण को नियमित कर दिया है। किसी विशेष ब्रांड का 20 से 50 प्रतिशत और दूसरे ब्रांडों का 5 प्रतिशत जो व्यापारियों को मिलता है वह सब कोटा प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री के लिये सीमित है। बाकी का प्रतिशत व्यापारियों द्वारा बेचा जा सकता है। टायर या ट्यूब का सीमित विक्रय कोटे का वितरण व्यापारी द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को कोटा कार्ड और राशन कार्ड पर साईकलों के पंजीकरण के आधार पर किया जाता है। यहां पर शहर में जारी करने वाले ऐसे 40 केन्द्र हैं। इस व्यापार ने निश्चित स्तर पर राशन कार्ड/कोटा होल्डरों को टायर व ट्यूबों को दिल्ली प्रशासन की देखरेख में प्रदान करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

छोटी कार बनाने के लिये निजाम का प्रस्ताव

363. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवाब मुकरमशाह निजाम ने केन्द्रीय सरकार से हैदराबाद में बड़े पैमाने पर छोटी कार का उत्पादन करने का निवेदन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने निजाम के विशाल संसाधनों का उपयोग करने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Truck-Train Collision near Banda Junction

364. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 13th May, 1969 a truck had collided with the train while crossing the railway level crossing near Banda Junction (Central Railway) on the Western side and was totally damaged ;

(b) the amount which will have to be given to the owner of the truck or the insurance company as compensation for the incident ;

(c) the total loss of life and property caused to the Central Railway because of non-provision of an over-bridge or an under-bridge at the level crossing on Banda Junction ; and

(d) the total estimated loss of the truck operator as a result of the accident ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) No claim for compensation for damages has been lodged with the Railway Administration by the owner of the truck or the Insurance Company. The liability of the Railway to pay compensation will be examined if a claim is received.

(c) Prior to this accident there was no level crossing accident at this level crossing gate during the last five years. However, since 1963, ten persons have been run over in the vicinity of this level crossing while trespassing the railway track unauthorisedly.

(d) The Railway Administration does not have necessary information to estimate the loss.

केरल में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

365. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री विश्वनाथ मेनन** :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में उद्योग चलाने के लिये आवेदन-पत्र जारी करने हेतु सरकार के पास कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) वे कब से विचाराधीन हैं ; और

(ग) इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) केरल में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये 1964 से 1969 (30 जून तक) ग्यारह आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुये। उन पर अभी विचार नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). छोटी कार के उत्पादन का एक आवेदन-पत्र फरवरी 1968 से निलम्बित है क्योंकि इस विषय पर नीति संबंधी निर्णय होना है। शेष दस आवेदन-पत्र हाल ही (अर्थात 11 मार्च के पश्चात) में प्राप्त हुये हैं। वे विचाराधीन हैं।

केरल में बीड़ी उद्योग का पुर्नगठन

366. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री ई० के० नायनार : **श्री प० गोपालन** :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1039 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत कन्ननूर जिले में गणेश भारत और

दरबार बीड़ी कारखानों के विस्थापित बीड़ी कर्मचारियों को बसाने की योजना की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी समितियों के योजना में दिये गये ऊपरी खर्चे अत्याधिक हैं। आर्थिक दृष्टि से यह अच्छा होता कि प्रस्तावित 21 सहकारी समितियों की अपेक्षा एक ही सरकारी समिति गठित की जाती और विभिन्न गांवों में उसकी 20 शाखाएं स्थापित की जातीं। पूंजी व्यय को कम करने की दृष्टि से योजना का पुनरीक्षण करना होगा।

जहां तक समिति के लिये आवश्यक धन राशि का संबंध है उसे राज्य सरकार को अपने बजट में से लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के लिये निर्धारित राशि में से ऋण तथा अनुदान के रूप में जुटाना होगा। सांस्थिक ऋण सहकारी बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया, ट्रावनकोर से उपलब्ध होगा।

भारत में माल डिब्बों का निर्माण

367. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रेलवे के लिये माल डिब्बे बनाने का तरीका अभी वही पुराना है जिसमें पुश्तबन्द जोड़ों वाले डिब्बे तैयार किये जाते हैं जबकि झाले हुए जो अधिक मजबूत और सस्ते बैठते हैं तथा कम समय में तैयार हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बे बनाने में झाले हुए जोड़ वाली व्यवस्था अपनाने में उनका मंत्रालय क्या बाधाएं अनुभव करता है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। जहां तक सुविधाएं मौजूद हैं और झलाई लाभजनक समझी जाती है, इसे नये टाइप के माल डिब्बों के अभिकल्प और निर्माण में पहले से अपनाया जा चुका है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रेलवे सम्पत्ति की कुर्की का आदेश

368. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री 15 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6552 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुनसिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत, कोप्पल, जिला रायचुर, मैसूर राज्य द्वारा की गई उस समझौता डिग्री को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप रेलवे

सम्पत्ति की कुर्की के आदेश प्राप्त करने आवश्यक हो गये थे; और

(ख) भुगतान में विलम्ब करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कर्मचारियों की चूक के कारण इस मामले में विलम्ब हुआ और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

रेलवे प्लेटफार्मों पर सोवियत संघ के लिये प्रचार स्थल

369. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्टेशन के रेलवे प्लेटफार्म 'यू० एस० एस० आर० टूडे' शीर्षक से प्रचार-स्थान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किसी विदेशी दूतावास के लिये ऐसा प्रचार स्थान बनाने का क्या कारण है;

(ग) ऐसे अन्य रेलवे स्टेशन कौन-कौन हैं जहां प्लेटफार्मों पर सोवियत संघ के लिये प्रचार स्थान बनाये गये हैं;

(घ) क्या सोवियत दूतावास को प्रचार की ऐसी सुविधायें रूस के साथ हमारी विशेष मित्रता के कारण प्रदान की गई है;

(ङ) क्या रूस में भारतीय दूतावास को ऐसी प्रचार-सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां रूस में भारतीय दूतावास द्वारा 'इंडिया टुडे' के प्रचार का प्रबन्ध किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों और वाणिज्यिक दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण परिसरों पर लगाये जाने वाले विज्ञापनों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्य टैरिफ दर पर भुगतान करने पर रेलों ने मद्रास स्टेशन के प्लेटफार्म पर 'यू० एस० एस० आर० टुडे' के फोटो लगाने की अनुमति दी है ।

(ग) सोवियत दूतावास ने अन्य किसी भी रेलवे प्लेटफार्म पर विज्ञापन स्थल बुक नहीं किया है । लेकिन, उत्तर रेलवे ने, भारत स्थिति सोवियत दूतावास के सूचना विभाग से प्रकाशित होने वाले एक पाक्षिक प्रकाशन 'सोवियत लैण्ड' के विज्ञापन के लिए दिल्ली जंकशन स्टेशन पर एक विज्ञापन-पट्ट की अनुमति दी है । इस विज्ञापन-पट्ट के लिए एक विज्ञापन-एजेन्सी के माध्यम से पूरे टैरिफ दर पर भुगतान किया गया है ।

(घ) से (च). सवाल नहीं उठता ।

कलकत्ता स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

370. **श्री देवेन सेन** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 3 दिसंबर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कलकत्ता स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन को अपने नियंत्रण में लेने के खादी ग्रामोद्योग कर्मी संघ के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मी संघ का प्रस्ताव अभी भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के विचाराधीन है ।

मनीपुर में उद्योग

371. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्योरा क्या है और उनके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है तथा मणिपुर में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । यह व्यवस्था तकनीकी आर्थिक अध्ययनों तथा एक या एक से अधिक परियोजनाओं के लिए जिनके इन अध्ययन से चलाए जाने की संभावना है, के निर्देश के एक हिस्से को पूरा करने के प्रयोजन हेतु की गई है । तकनीकी आर्थिक अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं को चालू करने के बारे में निश्चित किया जा सकेगा । इस संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए 71 लाख रु० की भी व्यवस्था की गई थी ।

भारी इंजीनियरीं निगम, रांची द्वारा छिद्रण रिगों का निर्माण

372. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची देश में आबाद तथा खेती योग्य सभी भूमि की कुल सिंचाई के लिये अपेक्षित छिद्रण रिगों, बोरिंग पाइपों का उत्पादन कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का उपयोग किन कारणों से नहीं किया जा रहा ?

इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) भारी इंजीनियरी निगम रांची के भारी मशीनें बनाने के उत्पादन कार्यक्रम में तेलकूप छिद्रण रिगें शामिल है जो कि भारी उपस्कर है। देश की अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिए उत्पादन में भिन्नता लाने के उद्देश्य से कारखाने में 3 प्रकार के जल कूप छिद्रण रिग के निर्माण का विकास किया गया है। निर्माण किए जाने वाले रिगों के प्रकार और संख्या का निर्णय प्रमुख खरीदारों (विभिन्न राज्य सरकारों) और भारी इंजीनियरी निगम के अलावा अन्य कारखानों में उपलब्ध जलकूप छिद्रण रिगों की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारी इंजीनियरी निगम ही अकेले वर्तमान एवं निकट भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ से मुजफ्फरपुर के रास्ते कटिहार तक बड़ी रेल लाइन

373. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बड़ी लाइन बनाकर मुजफ्फरपुर के मार्ग से लखनऊ को कटिहार के साथ मिलाने और दरभंगा के मार्ग से समस्तीपुर को नरकटिया गंज के साथ मिलाने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). लखनऊ-गोंडा-गोरखपुर-भटनी-छपरा-हाजीपुर-बछवाड़ा-बरौनी-कटिहार रेलवे लाइन का सर्वेक्षण प्रगति को विभिन्न चरणों में है। जून 1971 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

दरभंगा के रास्ते समस्तीपुर-रक्सौल खण्ड का भी सर्वेक्षण हो रहा है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर कारखाने की बिलेट मिल की मोरगन शाप में हड़ताल

374. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित हिन्दुस्तान स्टील प्लांट की बिलेट मिल की मोरगन शाप में कर्मचारियों ने 28 मई, 1969 से 30 मई, 1969 तक हड़ताल की थी और मोरगन शाप के जनरल फोरमैन तथा फोरमैन का ग्यारह घण्टे तक घेराव किया गया था और बाद में 30 मई, 1969 को प्रातः-काल पुलिस ने उन्हें छुड़ाया था;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल और घेराव के क्या कारण थे;

(ग) हड़ताल के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की कोई गड़बड़ न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई, तो वह क्या है ?

इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) जी, हां। 27 मई, 1969 को 2 बजे अपराह्न से लेकर 31 मई, 1969 को 7 बजे सायं तक मारवायल शाप के कर्मचारियों ने गैर कानूनी हड़ताल की थी। यान्त्रिक अनुरक्षण मिल के जनरल फोरमैन और बेलन मिल के सहायक कार्मिक अधिकारी का 29-5-69 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 30-5-69 के 9.30 बजे अपराह्न तक $14\frac{1}{2}$ घण्टे का घेराव किया गया था।

(ख) कामगारों की मांग थी कि मारग्वायल वियरिंग शाप में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 21 से बढ़ाकर 37 की जाय।

(ग) ब्लूम और बिलेट का उत्पादन 2300 टन कम हुआ।

(घ) 11 जून, 1969 को प्रबन्धक वर्ग और हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप यह मामला मुख्य उद्योग-इंजीनियर को जांच करने के लिए भेज दिया गया है। मुख्य उद्योग-इंजीनियर की सिफारिशें प्राप्त होने पर यूनियन के साथ आगे बातचीत की जायगी।

राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण

375. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार राजस्थान सरको के सहयोग से राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जहां तक इस मंत्रालय को जानकारी है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

औद्योगिक क्षेत्रों में आई मंदी से उबरना

376. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में आई मंदी से उबरने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप 1968 में मंदी कम होने के कोई संकेत दिखाई दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां । विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप 1968 की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में लगभग 153 के स्तर से बढ़कर 1968 की अंतिम तिमाही में 164.3 तक पहुंच गया; इसके फलस्वरूप पहले तीन वर्षों के स्तर की अपेक्षा 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में सराहनीय वृद्धि हुई है वे हैं :— मोटरगाड़ी, हल्के विद्युत इंजीनियरी उद्योग जैसे बिजली की लैम्पें, फ्लूरोसेंट ट्यूबें, रेडियों रिशीवर आदि; शिशु आहार, मिष्टान्न, बिस्कुट आदि; इस्पाती पाइपें तथा ट्यूबें सिलाई की मशीनें, साइकिलें । अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे वनस्पति, बेसिक मेटल इण्डस्ट्रीज, टायर तथा ट्यूबें, ट्रेक्टरों, चीनी मिल मशीनें, इण्डस्ट्रियल बायलरों, चाय परिष्कृत करने की मशीनों आदि के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

दशरथपुर स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर रेलगाड़ी का रुकना

377. **श्री मधु लिमये :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रयोक्ताओं द्वारा रेलगाड़ियों के नये स्टेशनों पर रुकने के आवेदनों पर पूर्वी रेलवे का कौन सा कार्यालय/विभाग विचार करता है और अन्तिम निर्णय करता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यालय का हेड क्लर्क या अधिकारी/कर्मचारी 'हाल्ट' की मांग को स्वीकार करने के लिए 200 रुपये की रिश्वत लेता है ;

(ग) पूर्वी रेलवे की भागलपुर लूप लाइन पर दशरथपुर स्टेशन पर तथा बरियारपुर

और साहिबगंज के बीच के अन्य स्टेशनों पर, जिन पर दानापुर फास्ट 328 डाउन रेलगाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, टिकटों की दैनिक बिक्री कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित स्टेशनों में से कम से कम कुछ की तुलना में दशरथपुर में टिकटों की बिक्री अधिक होती है और यदि हां, तो दशरथपुर में इस रेलगाड़ी को रोकने की मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या दशरथपुर के निवासियों की रेलगाड़ी को रोकने की प्रार्थना इसलिए स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि उन्होंने रिश्वत नहीं दी है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) रेलवे स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों के रुकने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर रेलवे प्रशासन का चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डैन्ट का कार्यालय विचार करता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दशरथपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन 266 टिकटों की बिक्री होती है, बरियारपुर और साहिबगंज स्टेशनों के बीच के रेलवे स्टेशनों पर (जहां 328 दानापुर फास्ट रुकती है) टिकटों की औसतन बिक्री निम्नलिखित है :

स्टेशनों के नाम	टिकटों की संख्या
बरियारपुर	1141
कल्याणपुर	106
गंगानिया	164
सुल्तान गंज	1745
अकबर नगर	592
नाथ नगर	1019
भागलपुर	5575
सरबार	830
घोघा	785
एकचारी	479
कोलगांव	1923
शिवनारायणपुर	836
पीरपेंटी	1286
मिर्जाचौकी	552
साहिब गंज	1914

(घ) कल्याणपुर और गंगानिया स्टेशनों की तुलना में दशरथपुर रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री अधिक है, 328 डाउन फास्ट पैंसेंजर गाड़ी को 1-10-69 से दशरथपुर रेलवे स्टेशन पर रोकने का प्रस्ताव है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Supply of Woollen Uniforms to Railway Employees of Central Railway

378. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Central Railway were supplied woollen uniforms once in every three years prior to the Indo-Chinese Conflict ;

(b) whether it is also a fact that at the time of out-break of the Indo-Chinese conflict, the woollen uniforms were supplied to the employees of the said Railway once in every four years ; and

(c) whether Government propose to make provisions for the supply of woollen uniforms to them once in every three years as many years have passed since the conflict came to an end ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Till March 1963 all eligible staff were being given woollen uniforms once in every 2 years except eligible class IV staff working in the island of Bombay who were given such uniforms once in 3 years.

(b) From April 1963 onwards, due to the emergency, the prescribed life of the uniforms was extended by one year.

(c) The Railway Board have since appointed a Uniforms Committee to review the whole question of supply, design and schedule of uniforms for different categories of Railway staff.

अचाल्दा से मथुरा को चावल के वैगन भेजना

379. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री अचाल्दा से मथुरा को चावल के वैगन भेजने के सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5599 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले की जांच कर ली गई है और इसके लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा की गयी गलतियों के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निश्चित कर दी गयी है और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस मामले के कुछ पहलुओं की अब भी जांच हो रही है और जो अन्य कर्मचारी जिम्मेदार ठहराये जायेंगे उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जायेगी।

हरयाणा में स्कूटर परियोजना

380. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री हरियाणा में स्कूटर परियोजना के बारे में 15 अप्रैल 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर बनाने की चार अनिर्णीत योजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है और वह कारखाना कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भिवानी और रोहतक के बीच बड़ी लाइन

381. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भिवानी और रोहतक के बीच बड़ी लाइन बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना से यह पता चलता है कि इस रेलवे लाइन के निर्माण का अभी कोई औचित्य नहीं है ।

मैसर्स ज्योति स्विचगीयर लिमिटेड

382. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ज्योति स्विचगीयर लिमिटेड ने अपनी एक एकक की लाइसेंस प्राप्त क्षमता को दो एककों में बांट दिया है और इस प्रकार यह संभावना लाइसेंस प्रक्रिया से बच गया है ;

(ख) क्या समवाय में कोई विदेशी सहयोग था और यदि हां, तो क्या समवाय को बांटने से पहले विदेशी करार सम्बन्धी समिति की स्वीकृति ली गई थी ;

(ग) क्या मैसर्स ज्योति स्विचगीयर लिमिटेड को स्विचों जैसी कुछ ऐसी वस्तुओं की अनुमति दी गई थी जिनकी अन्य मामलों में अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि फर्म के पहले प्रार्थनापत्र में स्थायी आस्तियां 65 लाख रुपये दिखाई गई थी जबकि संशोधित प्रार्थनापत्र में आस्तियां कम करके 24.76 लाख रुपये दिखाई गई थी ताकि लाइसेंस की प्रक्रिया से बचाया जा सके ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स ज्योति स्विचगियर लिमिटेड ने स्विचगियर तथा ट्रांसफार्मर के कुछ यंत्रों

के निर्माण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। मैसर्स ज्योति लिमिटेड इस प्रकार की वस्तुओं को अपने औद्योगिक लाइसेंस के निकालने के लिए सहमत हो गये थे। मैसर्स ज्योति स्विचगियर लिमिटेड की अचल आस्तियां केवल 24.75 लाख रुपये थी। अतः उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम,1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। और उन्हें केवल तकनीकी विकास के महानिदेशालय में आंकड़ों के प्रयोजन के लिए पंजीकरण करना था। एक लाइसेंसधारी के दूसरे लाइसेंसधारी को कुछ वस्तुओं के हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं था। अतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते अतः लाइसेंस प्रक्रिया की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) मैसर्स ज्योति लिमिटेड का पश्चिमी जर्मनी की फर्म के साथ कुछ स्विचगियर यंत्रों के निर्माण के लिए सहयोग करार है और यह प्रस्ताव मंत्रालय को सौंपी गई शक्तियों के अधीन स्वीकार किया गया था। मैसर्स ज्योति स्विचगियर लिमिटेड द्वारा तकनीकी जानकारी अधि-लाइसेंसधारी के रूप में प्रदान की जानी थी। चूंकि यह मामला एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी भारतीय कम्पनी को तकनीकी जानकारी प्रदान करने का था। अतः इसे विदेशी करार समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) मैसर्स ज्योति लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस की कुछ वस्तुओं की क्षमता का हस्तांतरण मैसर्स ज्योति स्विचगियर को किया गया था, अतः कोई क्षमता स्थापित नहीं की गई।

(घ) मैसर्स ज्योति स्विचगियर लिमिटेड ने पहले 302 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और उसमें अचल आस्तियों का मूल्य 65.66 लाख रुपये दिखाया गया था। जब उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था, उन्होंने कम उत्पादन अर्थात् 130 लाख रुपये के उत्पादन क्षमता के लिए आवेदन दिया था। अचल आस्तियों में कमी का सम्बन्ध पुनरीक्षित प्रस्ताव में कम उत्पादन से सम्बन्धित है।

जवानवाला शहर स्टेशन को अपने स्थान से हटाना

383. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री 5 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवानवाला शहर रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप भरमार स्टेशन से इसका फासला काफी घटकर लगभग 2 से 3 किलोमीटर रह जायेगा जबकि इसके तथा प्रस्तावित अगले स्टेशन अर्थात्, हरसर के बीच फासला बढ़कर 8 से 10 किलोमीटर हो जायगा ;

(ख) जवाली गांव के पास डाक बंगलों, औद्योगिक बस्ती और अन्य स्थानों के निकटवर्ती स्थानों की तकनीकी कठिनाइयों और भौगोलिक स्थिति का ब्योरा क्या है जिनके कारण स्टेशन स्थापित करने के लिये इस स्थान को अनुपयुक्त समझा गया ;

(ग) दूसरा सर्वेक्षण कब हुआ ; और

(घ) क्या रेल की पटरी के मोड़ का नया मार्ग निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी की गई थी, यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। स्टेशन के प्रस्तावित स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप भरमार स्टेशन से इसकी दूरी 1 किलोमीटर कम हो जायेगी और दूसरे प्रस्तावित स्थान अर्थात् हरसर से दूरी 0.18 कि० मी० बढ़ जायेगी। इसके फलस्वरूप 0.82 कि० मी० मार्ग मील दूरी की बचत होगी।

(ख) सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्रामगृह के आस-पास की भूमि 32 में 1 के हिसाब से वर्धमान ग्रेड में है जिसके कारण खड़ी ढाल और गहरी कटान पर स्टेशन बनाने में तकनीकी कठिनाई है।

(ग) दूसरा सर्वेक्षण जनवरी, 1969 में किया गया।

(घ) जी नहीं।

Shifting of Trained Matriculate Firemen from Steam to Diesel Locomotives

384. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether decisions were taken in 1965 and 1967 respectively for shifting trained Matriculate firemen from steam to diesel locomotives and for shifting non-Matriculate firemen from steam to diesel locomotives ;

(b) whether it is also a fact that despite the decision taken in 1967 regarding the non-Matriculates, they are being paid for that post since 1965 ; and

(c) if so, the reasons for making such a payment for two years when they have not worked against that post and with whose permission they are being paid ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 5017 on 1. 4. 1969. (Copy attached)

Representation from Trained Matriculate Diesel Firemen of Moradabad Division

385. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a representation has been received recently from the trained Matriculate Diesel firemen of Moradabad Division regarding the irregularities being practised there ;

(b) if so, when ; and

(c) The steps so far taken in this regard and the extent to which Government have been able to dispense justice to them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Shifting of Matriculate Firemen from Steam to Diesel Locomotives

386. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that decision had been taken in 1965 to take off Matriculate Firemen from steam locomotives to the diesel locomotives and again in 1967 to have non-Matriculate Firemen on the diesel locomotives ;

(b) whether it is also a fact that the non-Matriculates firemen have been made senior by superseding the Matriculate firemen ;

(c) if so, the number of the non-Matriculates together with the grounds on which they have been made senior ; and

(d) whether Matriculates Firemen or the non-Matriculate firemen will be reverted in case there is a necessity to occasion reversions of these people in future together with grounds thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d). Attention is invited to reply given to Unstarred Question No. 54 on 18.2.1969 (copy attached). It would be seen therefrom that even prior to 1967, the deployment of steam staff, who did not possess a qualification of Matriculation, on the diesel side, was permissible.

Export to U.A.R. by Heavy Electricals Ltd., Bhopal

387. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the items manufactued at the Heavy Electricals, Bhopal, which were exported to United Arab Republic during the financial year 1968-69 ;

(b) the total value of the order, in rupees, received from the U.A.R. Government for the supply of machinery during the said financial year and the value of machinery actually exported and the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the value of the goods manufactured in the said factory which are likely to be exported to foreign countries during the year 1969-70 and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Items manufactured at Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal and despatched to UAR during financial year 1968-69 comprised 1 No. 160 KW, 3 Nos. 200 KW, 960 RPM, 400/400 volts 3 phase slipring motors complete with 4 Nos. stator switch units and 4 Nos. rotor starters as also 1 No. spare rotor starter.

(b) The total value of orders received from UAR amount to Rs. 1,08,119/- out of which goods worth Rs. 96,344/- have already been despatched whilst spares worth Rs. 11,775/- are now being manufactured. The foreign exchange earned will be Rs. 1,08,119/-.

(c) The total value of orders received at present from foreign countries for execution during 1969-70 comes to Rs. 99,654/- which will result in earnings of foreign exchange to that extent.

Overbridge at Siaganj in Indore

388. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7150 on the 22nd April, 1969 and state:

(a) whether the Chief Engineer, Public Works Department of the State Government has since conveyed his approval to the estimates of expenditure and other terms sent by the Railways in connection with the construction of an over-bridge at Siaganj in Indore; and

(b) the estimates of expenditure and other conditions suggested by the Railways?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) The estimates of expenditure to be incurred for the portion of the work within railway limits is as under:

	Cost chargeable to Railway	Cost chargeable to the State Government
Bridge proper:	Rs. 1,82,757	Rs. 1,77,250
Approaches within railway limits.	—	12,540

The statement of terms and conditions as accepted by the State Government is attached. **[Placed in Library. See No. TL 1294/69]**

पश्चिम रेलवे में 872 डाउन माल गाड़ी का लूटा जाना

389. **श्री रा० की० अमीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 अप्रैल, 1969 को गुजरात समाचार में मेहसाना और मांडू के बीच (पश्चिम रेलवे पर) 872 डाउन माल गाड़ी के रेलवे सुरक्षा दल की उपस्थिति में कथित लूटे जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। कपड़े के पैकेजों के एक माल डिब्बे से चलती गाड़ी में चोरी होने का एक मामला था। 8,791 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति गुम हो गयी। रेलवे सुरक्षा दल तुरन्त तलाशी लेकर 1,968 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर सका।

(ख) मेहसाना की सरकारी रेलवे पुलिस ने चोरी का एक मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन की जा रही है।

Abolition of Legislative Councils in Various States

390. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The names of State Legislative Assemblies which have passed resolutions for abolishing their State Legislative Councils ;

(b) whether he is of the view, that the Legislative Councils in the States are useless bodies; and

(c) if so, the efforts made by him to bring the States round to his own views ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Legislative Assemblies of the States of West Bengal and Punjab have passed resolutions for the abolition of their Legislative Councils.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Reservation of Sleeping and Sitting Seats

391. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the rates for reservation of sleeping berths and sitting seats have been raised since last year ;

(b) whether the number of persons seeking reservation of berths has reduced as a result of increase in the rates of reservation of sleeping berths in the third class compartments of long distance trains and short distance trains running at nights ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. The last revision was from 15.6.67.

(b) and (c). Do not arise.

Rush in Passenger Trains and Passenger Amenities

392. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has conducted any survey for reducing the rush in the passenger trains and for providing facilities to the passengers ; and

(b) if so, the details of this programme as also the programme for adding more third class compartments to the trains running on Metre Gauge ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) After 1-4-1969, 6 broad gauge and 14 metre gauge trains have been introduced/extended. Besides, the loads of the 40 broad gauge and 38 metre gauge trains have been augmented by 1 to 3 coaches—mostly third class—as a regular measure. These measures have resulted in appreciable relief to overcrowding.

Consistent with the availability of requisite resources by way of line capacity, rolling stock, terminal facilities etc., it is proposed to introduced more trains and extend the existing services apart from augmenting the loads of trains, including by change of traction from steam to diesel/electric, to provide relief to the crowded routes/sections.

मद्रास में अखिल भारतीय फायर मैन सम्मेलन

393. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मई, 1969 को मद्रास में अखिल भारतीय फायरमैन सम्मेलन में पारित संकल्प उन्हें प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने उनके बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) . वर्तमान नीति एवं कार्यविधि को ध्यान में रखते हुये इन संकल्पों की जांच की गई है । इन संकल्पों में से एक में जिन व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख किया गया है, उनका निपटारा अनुशासन-नियमों के अनुसार कर दिया गया है ।

वेतन के ढांचे में संशोधन, डाक्टरी जांच में अयोग्य घोषित कर्मचारियों को संरक्षण, मंहगाई भत्ते का हिसाब लगाने के उद्देश्य से मील दूरी को भी शामिल करके महंगाई भत्ते का भुगतान इंजन क्लीनरों और शंटरों आदि के वेतन का संशोधन, जैसे सामान्य प्रस्तावों की जांच पहले की जा चुकी है और उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया । फिर भी 1-12-1968 से रनिंग भत्तों में काफी वृद्धि की गई है और रनिंग कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन की मांग रेलवे श्रम अधिकरण, 1969 के समक्ष है, जिसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

जहां तक काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत "गहन" वर्गीकरण की मांग और दैनिक आधार पर समयोपरि के भुगतान का प्रश्न है, ये मामले भी रेलवे श्रम अधिकरण के समक्ष हैं जिन्हें "नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन" ने उठाया है ।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

394. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग की मूल्य-वृद्धि की मांग पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर होने वाले प्रभाव का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) 1954-55 से इस्पात के मूल्य कितने बार बढ़ाये गये हैं और उनमें प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई थी ; और

(ङ)इस समय मूल्य वृद्धि का यह प्रश्न क्यों उठाया गया है ?

इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त): (क) से (ङ). उत्पादन लागत में वृद्धि और लाभ में कमी होने के कारण इस्पात उद्योग ने मूल्य-वृद्धि की मांग की है। ममला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(घ) आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

395. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आंन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में कितनी बार सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है और प्रत्येक बार मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई ;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग की मांग के अनुसार सरकार सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मूल्य-वृद्धि का चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्माण कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एकबार, धारण मूल्य में 13 रु० प्रति मी० टन की बढ़ोत्तरी उद्योग को 1 जनवरी, 1966 से स्वीकृत की गई।

(ख) जी, हां। 1 जनवरी, 1966 से सरकारी कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पाद लागत में बढ़ोत्तरी होने के कारण।

(ग) 1 जनवरी, 1966 से 31 दिसम्बर, 1968 तक सरकारी करों के प्रभाव स्वरूप उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी होना। इसी प्रकार कोयला, रेलभाड़ा, रायल्टी बिजली की दर मजदूरी बोर्ड के निर्णय आदि के कारण।

(घ) इसके प्रभावस्वरूप निर्माण की लागत में कुछ वृद्धि होगी।

बोकारो स्टील नगर को पुलिस जिला घोषित करना

397. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मई, 1969 को पैट्रियट में छपा यह समाचार सही है कि 29 मई, 1969 को पटना में बिहार के मुख्य मंत्री के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि बोकारो इस्पात परियोजना क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये और इस इस्पात नगर को एक पुलिस अधीक्षक के नियंत्रणाधीन एक पुलिस जिला घोषित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो "पुलिस जिला" से उनका क्या तात्पर्य है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो, तो उक्त मुलाकात में उन्होंने वस्तुतः क्या सुझाव दिया था ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय बोकारो में पुलिस व्यवस्था के लिये एक थाना और एक पुलिस चौकी है और दोनों ही 6 से 7 मील दूर स्थित हैं। चूंकि बोकारो इस्पात नगर बढ़ती आबादी वाला नगर है जिसकी आबादी 100,000 से कुछ ही कम है, अतः यह सुझाव दिया गया था कि वहां की पुलिस चौकी एक पुलिस अधीक्षक को सौंप दी जाय और पर्याप्त संख्या में पुलिस भेजी जाय।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आदिम जातीय किसानों के कब्जे वाली भूमि का साहूकारों के हाथों में चले जाना

398. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बहुत से भागों में आदिम जातीय किसानों की बहुत सी भूमि उनके हाथों से निकल कर साहूकारों के कब्जे में चली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट उदाहरण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कुरीति को रोकने का कानून होते हुये भी भूमि दूसरों के हाथों में जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) से (घ) . यह सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे वाणिज्यिक लिपिक

399. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कुल कितने वाणिज्यिक लिपिक काम करते हैं ;

(ख) ऐसे वाणिज्यिक लिपिकों की कुल संख्या कितनी है जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि (एक) बीस वर्ष या इससे अधिक, (दो) दस वर्ष या इससे अधिक, (तीन) पांच वर्ष या इससे अधिक, और (चार) दो वर्ष या इससे अधिक समय से रुकी हुई है ;

(ग) इस दण्ड के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कुल कितनी हानि हुई है ;

(घ) इस दण्ड के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस वित्तीय दण्ड को कम करने के कुछ उपायों पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वाणिज्यिक लिपिकों से "ट्रेफिक डैबिट" के रूप में प्राप्त धनराशि

400. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक लिपिकों से "ट्रैफिक डैबिट" के रूप में प्रत्येक वर्ष काफी धनराशि वसूल की जाती है ;

(ख) वर्ष 1966,1967 और 1968 में "ट्रेफिक डैबिट" के रूप में वाणिज्यिक लिपिकों के वेतन से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ग) इतनी बड़ी मात्रा में "डैबिट" के क्या मुख्य कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार "डैबिट" को कम करने के लिये कुछ उपायों पर विचार करेंगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) . विभिन्न त्रुटियों के लिये जिम्मेदार पाये गये वाणिज्यिक क्लर्कों के वेतन से यातायात नाम की मद में वसूल की गई कुल रकम 1966, 1967 और 1968 के वर्षों में क्रमशः 5,59,167 रुपये 6,42,066 रुपये और 5,96,697 रुपये थी। इन त्रुटियों का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है।

1. रेल कर्मचारियों द्वारा नकली या खराब सिक्के, या घिसे-पिटे या जाली नोट स्वीकार कर लेने के कारण रेल प्रशासन को होने वाली हानियां।
2. किराया, भाड़ा, विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क के सम्बन्ध में रेलों को देय उचित प्रभारों के लिये इन्वायस, बिल बनाने, वसूल करने या लेखा तैयार करने में कर्मचारियों की गलती।
3. कर्मचारियों द्वारा गलती से छूट या रकम की वापसी की मंजूरी, जब ऐसी हानि प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की लापरवाही या चूक आदि के कारण होती है।

अधिकांश मामलों में कर्मचारी वस्तुतः कम जमा की हुई और उनके नाम डाली गई रकम जनता से वसूल करने में समर्थ हैं। प्रशासन भी वसूलियों के काम में सहायता करता है जब रेलवे को इस प्रकार देय रकम वसूल नहीं होती, वहां निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वसूलियां मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में दी गई सीमा से अधिक न हों, वाणिज्यिक क्लर्कों के नाम रकम डाली जाती है।

(घ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों आदि के अन्तर्गत कर्मचारियों को रेलों को देय प्रभारों की वसूली करने और लेखे तैयार करने की सही प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्मचारियों के लाभ के लिये बार-बार थोड़े अन्तराल के बाद पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है।

इसके अलावा, रेल कर्मचारियों का ध्यान प्रायः रेलवे गजट की अधिसूचनाओं की ओर भी दिलाया जाता है जिसमें रेल कर्मचारियों की हाल की गलतियों के मामलों का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य में गलतियों के मामलों का निराकरण करने के लिये सही परिपाटी के बारे में कर्मचारियों को सूचित किया जाता है।

पर्यवेक्षक कर्मचारी अपने अन्तर्गत कर्मचारियों के काम की जांच करते हैं ताकि कर्मचारियों के नाम डाली जाने वाली रकम कम से कम हो और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार हो।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7288 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to Unstarred Question No. 7288

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी गई थी :—

(ख) केवल दो प्लाटों को छोड़कर जिसमें कि एक प्लाट मां को और दूसरा उसके लड़के

को दिया गया है, प्लाटों के सम्बन्ध में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें एक ही घर के विभिन्न सदस्यों को प्लाट दिये गये हों।

(ग) इस स्टेशन पर 14 प्लाट उपलब्ध हैं और 14 अतिरिक्त प्लाटों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

सही स्थिति इस प्रकार है :—

(ख) केवल चार प्लाटों को छोड़कर, जिनमें दो प्लाट भाइयों को, एक प्लाट उनकी बहन को और एक उनकी भाभी (उनके भाई की विधवा पत्नी, भाई की मृत्यु पर वह प्लाट उनकी विधवा पत्नी के नाम स्थानान्तरित हुआ था) को दिया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें एक ही घर के विभिन्न सदस्यों को प्लाट दिये गये हों।

(ग) इस स्टेशन पर 14 प्लाट उपलब्ध हैं और 3 अतिरिक्त प्लाटों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीनियों द्वारा काश्मीर के भारतीय राज्यक्षेत्र में नई सड़क का कथित निर्माण

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :

"चीनियों द्वारा काश्मीर के भारतीय राज्य क्षेत्र में एक नई सड़क बनाये जाने और इस प्रकार तिब्बत को सिंक्यांग के साथ मिलाने के समाचार और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया।"

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है तथा इस प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिए। वैदेशिक कार्य मंत्रालय का इससे क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना वक्तव्य दें।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर-सिंकियांग सीमा पर उत्तरी काश्मीर में, मोर खुन से खुनजेराब दर्रा तक सड़क बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। यह सम्पूर्ण मार्ग भारतीय भूभाग में पड़ता है, जिस पर अब पाकिस्तान का गैरकानूनी तथा बलात्कृत अधिकार है। यह कहा गया है कि प्युपिल्स लिबरेशन

आर्मी के 12,000 चीनी कर्मचारियों को, इस सड़क का निर्माण करने में सहायता देने के लिये, इस क्षेत्र में भेज दिया गया है और उन्होंने मोरखु में खेमा लगा लिया है।

2. तिब्बत-सिंकियांग क्षेत्र में उत्तरी काश्मीर तक चीनी सड़क का जाल बिछाने में इस सड़क से मदद मिलेगी। इससे चीनी सैनिकों को, उन क्षेत्रों से, जो उत्तरी पूर्व काश्मीर में चीन के गैरकानूनी अधिकार में है, और तिब्बत से, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में गिल्गित क्षेत्र तक जो युद्धविराम रेखा के उत्तर में है, जाने में आसानी होगी। अतः इस सड़क का सैनिक महत्व स्वतः स्पष्ट है।

3. हमने भारतीय भूभाग में इस सैनिक सड़क के निर्माण पर पाकिस्तान और चीन के साथ कड़ा विरोध प्रकट किया है और यह बतलाया है कि इस प्रदेश की शांति के लिए खतरा है। चीन की सहायता से पाकिस्तान द्वारा सड़क बनाने की चाह से यह स्पष्ट होता है कि काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान के उद्देश्य और महत्वाकांक्षा की पूर्ति से उस क्षेत्र में चीनियों का काम भी सधता है।

4. भारत के विरुद्ध चीनी-पाक सैनिक संधि से यह सदन अच्छी तरह अवगत है। सरकार अपनी सुरक्षा में उत्पन्न खतरे के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है और अपने हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारत सरकार ने विरोध-पत्र भेज कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। वास्तविकता यह है कि जब तक काश्मीर का वह भाग पाकिस्तान के अधिकार में है तब तक यह विवाद ज्यों का त्यों बना रहेगा तथा वह एक सड़क की बजाय यदि एक दर्जन सड़कें भी बनाये अथवा कोई अन्य निर्माण कार्य करें, तो भी हम विरोध-पत्र भेजने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेंगे। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पाकिस्तान के साथ अपने सब मामलों का निपटारा करने के लिये कोई नया प्रस्ताव अथवा कोई नई पहल करना चाहती है। यह प्रश्न केवल एक सड़क का प्रश्न नहीं है। यह एक व्यापक प्रश्न है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काश्मीर सहित अन्य सब मामलों को सुलझाने के लिए कोई नई पहल करेगी तथा कोई नया तरीका निकालेगी जिस से बड़ी शक्तियों के प्रभाव को दूर किया जा सके और क्या सरकार इस क्षेत्र के देशों को मिलाकर सामूहिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था करेगी ? क्या इस अवरोध को दूर करने के लिये कोई नई पहल की जायेगी अथवा इस अवरोध को ज्यों का त्यों बने रहने दिया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हम पाकिस्तान के साथ हर मतभेद को दूर करने के लिये बातचीत करने को हर समय तैयार हैं। हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने तथा इन समस्याओं के हल तलाश करने के बार-बार प्रयास किये हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही है और जब तक दूसरे पक्ष की

प्रतिक्रिया अनुकूल न हो तब तक बातचीत करना सम्भव नहीं है। हमारे विचार हैं कि यदि हम एशिया में आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बना सकें तो पाकिस्तान के साथ अधिक अच्छे वातावरण में बातचीत कर सकेंगे। हमें आशा है कि पाकिस्तान ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत हमारे साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनायेगा और उससे इन वर्तमान कठिन समस्याओं को हल करना सम्भव हो जायेगा। अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है, जिस से हम यह आशा कर सकें कि पाकिस्तान हमारे साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहता है। फिर भी हमें अपने प्रयासों को जारी रखना है। हमें आशा है कि एक समय ऐसा आयेगा जब पाकिस्तान के शासक यह महसूस करेंगे कि बड़ी शक्तियों पर निर्भर रहने की बजाय भारत के साथ सहयोग करना उनके लिये अधिक लाभकारी है। इससे दोनों देशों को लाभ होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि इस सड़क के निर्माण की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान तब ही दिलाया गया था, जब कि यह समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका था ? पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में, जो कि हमारा भूभाग है, चीनियों के सहयोग से केवल यह सड़क ही नहीं बनाई जा रही है, अपितु वहां नियमित रूप से छापामार युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे आसानी से काश्मीर में घुसपैठ कर सकें। इस तथ्य की ओर भी प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सड़क के निर्माण की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान कब दिलाया गया था तथा इस सड़क के निर्माण को रोकने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा तथा सरकार क्या कार्यवाही की गई थी, विरोध-पत्र कब भेजा गया था तथा क्या हमारी सरकार को उसका उत्तर प्राप्त हो गया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमें यह सूचना बहुत पहले मिल चुकी थी वास्तव में हमें वर्ष के आरम्भ में ही इसके कुछ संकेत मिल गये थे, केवल बर्फ पिघलने के बाद ही, इस सड़क को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां इस क्षेत्र में एक पुराना रास्ता था जिसे वे अब चौड़ा करके सड़क बना रहे हैं। इस बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त होते ही हमने विरोध पत्र भेज दिया है, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी है लेकिन ऐसा बताना लोक हित में नहीं है कि हम स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The Government should have taken strong action to meet the situation in 1963 when China and Pakistan entered into a Border Agreement and started construction of roads there. The construction of road is a conspiracy between China and Pakistan and is a calculated and co-ordinated attempt to attack India any moment. I would, therefore, like to know how much of our area is enveloped by this road and what is the strategic importance of this road, and whether jeeps, trucks and tanks can fly on this road and whether it can be used for transport of military arms and ammunition ?

The other day, the Prime Minister made a statement that Government of India would like to negotiate with China. In this context, may I know whether the Government have noticed any shift in the attitude and policy of China and whether they are going to initiate talks with China on this issue ?

Shri Dinesh Singh: So far as the strategic importance of this road is concerned, China can use this road for the transport of their goods including military equipments, ammunition etc. from Kashgar to Gilgit. The road is in addition to those which China have in Sikiang. The Road is of a special strategic importance and when completed, would reduce a distance of about 200 miles from Tibet to Kashmir.

It is difficult for me to say what action we will take in this connection. The procedure generally followed in regard to such protest notes is that a clause is provided in the note to the effect that if what we protest is not taken note of, we reserve the right to take any action which we shall deem fit in the circumstances.

As regards the question of talking and negotiating with China we have clearly stated that we are willing to talk with China on any matter provided it is consistent with our self-respect and national interests.

So far as the length and area enveloped by the road is concerned, the whole of it is in occupied Kashmir and the length of the road would be about 70 miles.

We have not yet received any reply from Pakistan and China.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वह पाकिस्तान-अधिकृत हमारे राज्यक्षेत्र को आज तक भी यानि 20 वर्ष बाद-मुक्त नहीं करा सकी है लेकिन फिर भी वह बार-बार यही कहती रहती है कि हम किसी भी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है, जो एक उपहास जनक वक्तव्य है ।

लेकिन चीन के बारे में मंत्री महोदय ने एक भिन्न वक्तव्य दिया है; उन्होंने कहा है कि हम चीन के साथ बातचीत कर सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवर्तित संदर्भ में, सरकार की इस पुरानी दृढ़ नीति में, कि जब तक चीन पहले कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हम उससे बात-चीत नहीं करेंगे, परिवर्तन आया है जिससे उसने यह नया दृष्टिकोण अपनाया है ?

दूसरी बात यह कि सरकार हमसे यह कहती रही है कि रूस पाकिस्तान को चीन के चंगुल से छुड़ाने के लिये उसे हथियार दे रहा है । लेकिन पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी "अनन्त मैत्री" है जिसे कोई नहीं छुड़ा सकता । पाकिस्तान के अनुसार, उसका केवल एक ही दुश्मन है और वह भारत है । इसलिये पाकिस्तान को दिये जाने वाले हथियारों का मतलब है भारत की सुरक्षा को खतरा । लेकिन सरकार फिर भी अपनी ही बात दुहराती है ।

श्री दिनेश सिंह : सरकार ने रूस, अमरीका तथा अन्य देशों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई का मतलब है उनका भारत के विरुद्ध प्रयोग और उनसे भारत को खतरा पैदा हो गया है । सरकार का दृष्टिकोण अब भी वहीं है । माननीय सदस्य ने जो बात कही है । सरकार पर आरोप लगाया है । वह सरकार ने नहीं बल्कि रूस ने हमसे कही थी और जिससे हम सहमत नहीं हैं और हमने रूस को बता भी दिया है कि हम उसके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं ।

जहां तक चीन के साथ बात-चीत करने का सम्बन्ध है, हम इस सभा में कई बार कह चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार चीन के साथ किसी मामले पर बातचीत करने के लिये तैयार है बशर्ते वह हमारे आत्म-सम्मान तथा राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो।

चीन के प्रति हमारे रवैये में इस दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं आता और हमारा यह दृष्टिकोण वही है जो उसके प्रति पहले था।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

रेलगाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ सभा से स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मुझे निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाये :

यात्री जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की अत्यधिक खेदजनक असफलता जैसा कि 21 जून, 1969 की इलाहाबाद-गोरखपुर लाइन में हाल की रेल दुर्घटना तथा 14 जुलाई, 1969 को आसनसोल पुरी यात्री गाड़ी की दर्दनाक दुर्घटना से स्पष्ट है।"

उपाध्यक्ष महोदय : सभा ने अनुमति दे दी है। सभा इस प्रस्ताव को 4 बजे (म० प०) लेगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश के बारे में
RE: ORDINANCE ON NATIONALIZATION OF BANKS

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : क्या प्रधान मंत्री न्यायालयों को भी नियंत्रण में लेने जा रही है ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या प्रधान मंत्री को स्टे आर्डर के बारे में पता है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I want to know whether the Hon. Minister of Law will give a statement in regard to the stay order of the court ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से आज कोई वक्तव्य दिया जायेगा।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (**श्रीमती इन्दिरा गांधी**) : जी हां। आज सभा के स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य दिया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : What will be the implications of the stay order ? Government should clarify this point.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के स्थगित होने से पूर्व इस बात को स्पष्ट कर दिया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यादेश के जारी किये जाने के पश्चात कुछ लोगों ने इसको सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है । जब आवश्यक सेवा (बनाये रखना) अध्यादेश जारी किया गया था, तब यही स्थिति उत्पन्न हुई थी । हम में से कुछ ने उस अध्यादेश को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी थी तथा कुछ सदस्यों ने उस पर सभा में विचार न किये जाने के लिए निवेदन किया था परन्तु हमारी बात को रद्द कर दिया गया था । अतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मामले विशेष को यहां पर इस प्रकार उठाया जा रहा है । यह अध्यादेश लोगों के हित में जारी किया गया है परन्तु देश के प्रतिक्रियावादी लोग इसको चुनौती दे रहे हैं । **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है, सरकार की ओर से कहा गया है कि सभा के स्थगित होने से पूर्व उसकी ओर से जानकारी दी जायेगी ।

संसद सदस्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आह्वान पत्र के बारे में विशेषाधिकार

QUESTION OF PRIVILEGE RE: DELHI HIGH COURT SUMMONS TO M.Ps.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 22 जून, 1969 को भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी को उच्च न्यायालय दिल्ली से 1969 के मुकदमा संख्या 228 जो कि श्री तेज किरन जैन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा श्री नीलम संजीव रेड्डी अध्यक्ष, लोक सभा, और सर्वश्री नरेन्द्र कुमार साल्वे, बी० शंकरानन्द, एस० एम० बनर्जी सदस्य लोक सभा और गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण को स्वयं तथा अपने वकील की मारफत जिसको इस मुकदमे से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देने के अनुदेश हैं, 4 अगस्त, 1969 को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है । नोटिस के साथ वादी (प्लेनटिफ) की एक प्रति लगी हुई है जिसमें क्षतिपूर्ति के लिए 26,000/- रुपये का दावा किया गया है जो कि 2 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में सभा की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष तथा उक्त संसद सदस्यों द्वारा पुरी के श्री शंकराचार्य के अस्पृश्यता और उनके द्वारा राष्ट्रीय गीत के तथाकथित अपमान सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में किये गये टिप्पणी के बारे में है ।

यह मामला लोक सभा की कार्यवाही, शक्तियों, विशेषाधिकारों और संसद् की रियायतों और इसके सदस्यों के सम्बन्ध में है इसलिये मैं यह मामला सभा के समक्ष निदेशों हेतु रखता हूं ताकि इसमें उचित निदेश मिल सकें ।

उक्त मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस तथा इससे संलग्न पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-1326/69]।

इसी मामले पर श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। वह अब अपना प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे (बतूल) : मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं क्योंकि इसमें सभा की अवहेलना, सदस्यों के विशेषाधिकार, जो कि उनको संविधान में स्पष्टरूप से दिये गये हैं, भंग का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। वादी का आरोप यह है कि मैंने तथा चार अन्य सदस्यों ने शंकराचार्य के विरुद्ध झूठा तथा अपमानजनक वक्तव्य दिया है। और आगे यह आरोप भी लगाया गया है कि 2 अप्रैल, 1969 को सभा में हुआ पूरा वाद-विवाद, जो कि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर हुआ था नियमों तथा संविधान के अन्तर्गत दी गई रियायतों के क्षेत्राधिकार से बाहर है और कि ये विशेषाधिकार न्यायालय की कार्यवाही से हमारी रक्षा नहीं कर सकते। यह एक गम्भीर चाल है। वादी ने सभा की समूची कार्यवाही को तोड़मोड़ कर पेश किया है। वादी ने मुकदमें में जिन शब्दों का आश्रय लिया है, हमने वे शब्द कभी नहीं कहे। अतः सभा के इतिहास में आज तक सभा पर इतना खुला आक्षेप कभी नहीं किया गया और न ही स्वयं अध्यक्ष की इस प्रकार अवहेलना की गई है। संसद् सदस्यों का भी इस प्रकार कभी अपमान नहीं किया गया है।

जिस न्यायाधीश के प्राधिकार से यह नोटिस जारी किया गया है, वह इस मुकदमे को तुरन्त खारिज कर सकते थे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105 (2) में हमें न्यायालय की कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। अतः मैं चाहता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये और समिति को हमें निदेश देने चाहिये कि 4 अगस्त, 1969 को हमें क्या करना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नोटिस के विषय को पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इस मामले पर अब चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : चर्चा से मामला और बिगड़ जायेगा। उस दिन भी बहुत कुछ कहा गया था जो कि उचित नहीं था। इस मामले की बिना यहां चर्चा किये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला इतना साधारण नहीं है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : पहले ही बहुत सी टिप्पणियां की गई थीं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थीं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात् ही इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। विधि मंत्री को सुनने के पश्चात् ही मैं कोई निर्णय करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए।

श्री पीलु मोडी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने केवल श्री स० मो० बनर्जी को ही बोलने को क्यों कहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को भी न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है। अतः मुझे उनको बोलने का अवसर देना चाहिए। संसद् ने इससे पूर्व ऐसे मामलों की उपेक्षा की है। इस अवस्था में हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंप सकते।

श्री पीलु मोडी : आप इस पर चर्चा की अनुमति दीजिये ताकि मैं भी अपनी बात कह सकूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : "I rise on a point of order. This matter can be raised under rule 225 with the permission of the Speaker. In rule 226 it is stated that if leave under rule 225 is granted the House may consider the question and come to a decision or refer it to a committee of Privileges on a motion made either by the Member who has raised the question of privilege or by any other member." Therefore you should direct him to ask for the leave of the House.

Shri N. K. P. Salve : I have asked for the leave of the House.

Shri Madhu Limaye : The Hon. Speaker himself can put forward a motion or if he cannot do so I can do it as I have prepared one motion.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It can be referred to the Committee of Privileges without discussion.

Shri Madhu Limaye : Now the Hon. Deputy Speaker cannot refer it to the committee as he has placed this matter before the House. So the first stage is over. Now the House can refer this matter to the Committee only through a motion. So you direct the Member for asking leave of the House.

श्री पीलु मोडी : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं अथवा इसको सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : नोटिस की जटिलताओं को समझे बिना ही आपने नियम का उल्लेख कर दिया है। अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है। पहले हम ऐसे मामलों की उपेक्षा करते रहे हैं। जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, न्यायालय ने इस मामले को ले लिया है। अतः बिना सोच विचार किये इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का ही केवल मात्र प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye : You should give your ruling on my point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी नियम को देखा है। भूतकाल में अध्यक्ष को जारी किये गये नोटिस की हमने अवहेलना की है। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को अलग-अलग नोटिस प्राप्त हुए हैं और श्री साल्वे ने इस मामले को उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं विधि मंत्री की राय जानना चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye : You have not given your ruling on the point of order raised by me. I request you to please give your ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है, वह विचाराधीन है। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग पर चर्चा समाप्त हो गई है। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं उनको कुछ समय दूंगा जिनको 'नोटिस' मिले हैं और फिर विधि मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आपने इस मामले को कार्य सूची में सम्मिलित किया है। इससे स्पष्ट है कि आप ने इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक निर्णय कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति दी गई थी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष विशेषाधिकार के ऐसे ही मामले पर चर्चा की अनुमति देता है जिसके बारे में वह संतुष्ट होता है कि उस पर आगे कार्यवाही की जा सकती है। अतः हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The point is that case has already been filed in the court. It is the question contempt of entire House and not that of a particular individual. The Judge has not applied his mind while issuing summons. Is it not a case of breach of privilege ? This is a serious matter. It is a question of jurisdiction of legislatures and judiciary. I want to have your ruling on the fact that when Speaker, Home Minister and other Members of this House have been summoned whether a case of breach of privilege against the Judge can be made out or not.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी के विचारों को सुनकर और विधि मंत्री की रांय जान कर इस मामले को समाप्त करूंगा।

Shri S. M. Banerjee : It may be recalled that at the time of discussion on the views expressed by Shankaracharya about Harijans, a motion was moved in the House that he should be arrested. I had said that he should be placed on the Table after his arrest. **(Interruptions).** I had not insulted him. I had not asked to throw him in the dustbin. At that time the Speaker had stated that how can a person be placed on the Table who propagates disaffection. Keeping in view the present situation I suggest that this matter should be referred to Privileges Committee because Shri Sanjiva Reddy is no longer a Speaker and is a candidate for Presidential Election and if this case remains pending in the court he will not be in a position to fight the Presidential election.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिये मुझे दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। आपने नियम 225 के अन्तर्गत मुझे अनुमति दी है जिसके अनुसार सभा इस प्रश्न पर

विचार कर सकती है और निर्णय कर सकती है अथवा विशेषाधिकार समिति को भेज सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रक्रिया को नहीं समझा। मैंने सभा में प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी, विशेषाधिकार समिति को भेजने की नहीं।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं सभा में व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। यह एक गम्भीर मामला है जिसमें सभा के विशेषाधिकार, सदस्य तथा अध्यक्ष तक अन्तर्ग्रस्त हैं। मैं श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे से सहमत हूं कि इस मुकदमे को तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं कि जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं और न्यायालय से शिकायत की हैं, वे विशेषाधिकार भंग करने के दोषी हैं। यदि न्यायालय में उपयुक्त फीस जमा करके कोई शिकायत की जाती है तो सामान्य रूप से 'सम्मन' जारी कर दिये जाते हैं। अतः बचाव पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय को बताये कि अनुच्छेद 105 (2) के अन्तर्गत इस मामले को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : न्यायाधीशों को इस अनुच्छेद की जानकारी होनी चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : इस बारे में न्यायाधीशों को अवश्य जानकारी होनी चाहिए। प्रचलित नियमों के अनुसार यह देखा जाता है कि न्यायालय में फीस जमा की गई है या नहीं। सरकार का विचार है कि सुनवाई के दिन न्यायालय को बताया जाये कि यह मामला अनुच्छेद 105 (2) के अन्तर्गत आता है और इसलिए इस मुकदमें को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद निःसंदेह विशेषाधिकार समिति को या सभा को मुकदमा करने वालों को बुलाकर पूछना चाहिए। यदि न्यायालय इस मामले पर आगे कार्यवाही जारी रखता है तो हम इस पर विचार करेंगे। अतः इस मामले पर बाद में विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय में जाने से और 'सम्मन' जारी करने से विशेषाधिकार भंग होता है या इसका अर्थ किसी याचिका या मुकदमें को स्वीकार करना है न कि बर्खास्त करना। विधि मंत्री का विचार यह है कि हमें विशेषाधिकार के प्रश्न को अभी स्थगित कर देना चाहिए। यदि सरकार निचले स्तर पर भारतीय न्यायपालिका को संविधान की मूल बातों के बारे में जानकारी देना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है। उसके बाद हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजेंगे, अब नहीं।

श्री नाथ पाई : श्री साल्वे के प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि विधि मंत्री ने सुझाव दिया है, अभी इस मामले को स्थगित रखा जाता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

Shri Madhu Limaye : Please give your ruling on the point of order raised by me.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित करने से पूर्व मैंने स्पष्ट कर दिया था। प्रश्न यह था कि यदि कोई नागरिक न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करता है तो क्या उससे विशेषाधिकार भंग होता है? विशेषाधिकार भंग नहीं होता।

श्री मधु लिमये : क्यों नहीं होता?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसमें ऐसी बातें हैं जो सत्य नहीं है तो वह अलग बात है।

Shri Madhu Limaye : Kindly hear me and then give your ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : It is a question of the chair.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा के सम्मान का प्रश्न है। यदि विशेषाधिकार के मामले पर बिना भली-भांति विचार किये विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये तो इससे सभा के सम्मान में वृद्धि नहीं होगी।

Shri Madhu Limaye : Kindly give me five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले के सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। हमें अवश्य सतर्क रहना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन-सा मामला विशेषाधिकार का है और क्या विशेषाधिकार भंग हुआ है या नहीं। इन सब पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** Sir, I will not take more than 5 minutes. This item has been included in the List of Business. You have also allowed him to make a statement. But you are not allowing him to ask for leave to raise the question of privilege. In my opinion it is not the correct procedure.

Now I would like to know whether issuing of notices constitutes the proceedings or not. I think that it constitutes the proceedings in view of the article 105 (2) of the constitution which says :

"No Member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any Committee thereof and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings," On this basis it cannot be ruled that there is no breach of privilege. I want your ruling on this issue.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अपना निर्णय देने जा रहा हूं ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : निर्णय देने से पहले आप मेरी बात भी सुन लें । मैंने एक प्रस्ताव की सूचना भी दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । कल मामले के न्यायाधीन होने के बारे में प्रश्न उठाया गया था । मैंने यह निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति के न्यायालय में जाने मात्र से मामला न्यायाधीन नहीं कहा जा सकता । कार्यवाही का मामला तो उसी समय लिया जा सकता है जब न्यायालय इस मामले में सक्रिय रूप से कार्यवाही करेगा । अतः इसके लिए प्रतीक्षा करना ही वांछनीय है ।

कुछ सदस्य : उन्होंने मामले में सक्रिय कार्यवाही शुरू कर दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये मामले केवल शोर मचाने से ही हल नहीं हो जायेंगे । विशेषाधिकार का मामला इस प्रकार निर्णीत नहीं किया जा सकता । जहां तक नोटिसों का जारी किया जाना कार्यवाही माना जाये या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं विधि मंत्री के विचारों से सहमत हूं । विधि मंत्री ने कहा था कि जब भी कोई मामला न्यायालय में पेश किया जाता है तो सामान्यतः सम्मन जारी कर दिये जाते हैं । इसीलिए मैंने सम्पूर्ण मामले को विचाराधीन रखा है । [**अन्तर्बाधाएं**] कृपया शान्त रहिए । अब किसी को भी कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : श्रीमान्, मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1737 की एक प्रति जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 1280/69]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष 1966-67 के लिये तेल प्रक्षालक और रंग रोगन विकास परिषद् ।

(दो) वर्ष 1967-68 के लिये मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग परिवहन गाड़ी उद्योग, ट्रैक्टर मिट्टी हटाने के उपकरण, अन्तर्दहन इंजनों की विकास परिषद्।

(तीन) वर्ष 1967-68 के लिये औषधि तथा भेषज विकास परिषद्।

(3) ऊपर (2) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1281/69]

श्री भानु प्रकाश सिंह : श्रीमान्, मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2137 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2140 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 मई 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1282/69]

(दो) अग्रिम ठेके (विनियमन) 1952 की धारा 18 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 2136 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2139 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) एस० ओ० 2138 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2141 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

[**पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी०** 1282/69]

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्रीमान्, मैं श्री प्रकाशचन्द सेठी की ओर से प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन, वित्त लेखे और लेखापरीक्षा में उसकी कतिपय सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1284/69]

PARLIAMENTARY COMMITTEE—SUMMARY OF WORK

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

सचिव : मैं 1 जून, 1968 से 31 मई, 1969 तक की अवधि से सम्बन्धित 'संसदीय समितियां—कार्य का सारांश' की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने अपनी 21 जुलाई, 1969 की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया है कि भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय राज्य सभा के 70वें सत्र के पहले दिन तक बढ़ाया जाय।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमान्, मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1969
(2) राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक, 1969
(3) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1969
(4) जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1969
(5) संघ राज्य-क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक, 1969

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

91वां और 92वां प्रतिवेदन

श्री एम० तिरुमल राव : श्रीमान्, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं :

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)—सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्स, एरणाकुलम—के बारे में प्राक्कलन समिति के 41वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 91वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)—इंडोनारवेजियन प्राजेक्ट, एरणाकुलम के बारे में प्राक्कलन समिति के 42वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 92वां प्रतिवेदन।

भिलाई इस्पात सन्यन्त्र द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 787 RE. FOREIGN EXCHANGE EARNED BY BHILAI STEEL PLANT

इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : लोक सभा में 17-12-68 को भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 787 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में राज्यमंत्री श्री प्र० चं० सेठी ने कहा था कि पूर्वी अफ्रीका के एक देश ने दो साल पूर्व निर्यात की गई कुछ रेल की पटरी को अस्वीकार कर दिया था। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने हमें बताया है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा निर्यात की गई रेल की पटरी को किसी देश ने अस्वीकार नहीं किया था। 17-12-68 को दिये गये वक्तव्य को मैं इस सीमा तक ठीक करता हूं।

लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी की सराहना

TRIBUTE TO SHRI N. SANJIVA REDDY EX-SPEAKER, LOK SABHA

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करती हूं :

"कि श्री एन० संजीव रेड्डी ने इस सभा के अध्यक्ष के रूप में इसकी कार्यवाहियों के समय जिस गरिमा एवं महान सफलता से अध्यक्षता की उसकी यह सभा अत्यन्त सराहना करती है।"

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा के सब सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि श्री रेड्डी ने यद्यपि इस सभा की अध्यक्षता केवल दो वर्ष की परन्तु इतनी सफलता से की कि उन्होंने अपने तथा पद के लिए सम्मान अर्जित किया है। सभा में कठिन से कठिन समस्या का उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि और उपहास वृत्ति से समाधान खोजा। उन्होंने निष्पक्षता से काम किया और अपने लिए गरिमा और प्रतिष्ठा अर्जित की मुझे आशा है आप उनकी सराहना करने में मेरा साथ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि सराहना का यह प्रस्ताव सभा के नेता ने रखा है इसलिए इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। यह एकमत से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

प्रस्ताव एक मत से स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted unanimously

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष का निर्वाचन कब तक किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष पद के सिद्ध होने पर उसके लिए निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हम यह आश्वासन चाहते हैं कि अगले अध्यक्ष का निर्वाचन शीघ्र किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने यह बात नोट कर ली है। और इस मामले में सभा का नेता कार्यवाही करेगा।

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय करेगी।

भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संकल्प—अस्वीकृत और भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक

RESOLUTION RE. INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE—NEGATIVED AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Mr. Deputy Speaker, yesterday an ordinance was being discussed in the House, in which there is a provision to increase penality from 50 paise to Rs. 10/– on ticketless travel. While collecting the penality fare or apprehending the ticketless travellers the T. T. E. is put to several hardships. He has to face a number of problems. Sometimes he is beaten by and he is killed too in some cases. I would like to know whether Government have considered these problems faced by T. T. Es. I would like to suggest that these railway employees should be given incentives. Every possible measure should be taken to ensure the safety of their life. In case of their murder etc. at least a sum of Rs. 20,000/– should be paid to their families as compensation.

There are different rules in the nine railways. These persons should be treated as running staff. The reasons for this were that the T.T.Es. helped the resolutionaries like Shri Khudi Ram Bose to travel from one place to another. It led the British Government to frame rules against them where in they were not included in running staff.

[**श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

It is also stated that there is a proposal to replace T.T.Es. with Attendants who will not have the power to issue Tickets. The T.T.Es. are educated and competent persons. If these T.T.Es. replace the General Managers drawing 3, 4 or even 5 thousand rupees, I believe that they would perform the work satisfactorily.

The T.T.Es. are told to collect 4 thousand rupees in a month. If they fail to find sufficient ticketless travellers they are taken to task and for these reasons their promotions are withheld. They are asked to explain the reasons for non-collection of the target amount. There is a great discontentment among T.T.Es. and the Hon. Minister should consider their case sympathetically.

You have imposed vigilance over them and rely too much on their findings. But there are instances of false cases having been instituted by the vigilance.

The khaki uniforms issued to T.T.Es. are below their dignity.

The Government should help the railwaymen regards the cases instituted against them from the very beginning, otherwise they have to face much trouble.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : It is proposed in this bill to enhance the minimum limit of fine for ticketless travel from 50 paise to Rupees ten. I support this proposal on the plea that if some penality is to be imposed it should be such as may prove effective. The nominal penality of 50 paise will positively encourage ticketless travel.

It is argued that some travellers who come to stations when the trains are about to move and have no time to purchase a ticket. There, I feel that we should adopt ourselves the habit of discipline reach before time and not to board a moving train.

There is no provision in the bill for seatless travel. This inconvenience should be removed by running more trains. Efforts should also be made to remove the difficulties of the Ticket Collectors who are often beated while performing their duty. At the time of Fairs and conferences they are to face much harrssment. I suggest that police be posted with the Ticket Collector on such occasions.

On certain sections especially in shuttle trains the people travel without tickets in large number. The position of Ticket Collectors in such cases becomes very deplorable. On such lines regular checking should be made till the habits of the travellers improve. I support the Bill.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : On the one hand it is said that the corruption is on the increase in the present Government and the mental of the people has gone lower. On the other hand when Dr. Ram Subhag Singh has courageously proposed enhancement of penality for ticketless travel he is being opposed from various quarters on the guard that he has not consider the difficulties of the poor. As the ordinance proposes to check the ticketless travel, which is in the interest of the country, it should be supported.

The travel in Air-conditioned coaches by officers should be stopped. They can travel in first class as do we.

More number of trains should be introduced to check overcrowding.

Tickets collected by Ticket Collectors are misused by sending them to office of issue. This should also be checked.

To check ticketless travel armed police should be posted for some time.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : I oppose the proposal to raise the fine. Instead it would be better to put more trains on the lines and more counters should be established, so that the people who come to stations ten minutes before the departure time of train are unable to buy tickets.

There are a few trains for villagers who have to go to cities and towns for dire necessities, they should be provided more trains, especially on the branch lines.

Provision of T.T.Es. should be made for every train and they should be suitable safeguarded. There should be some incentives for Ticket Examiners as is provided in the case of drivers, firemen, guards and breakmen. An assurance was given to T.T.Es. by our present Railway Minister, which should be implemented.

In a train going to Calcutta from Mughal Sarai the checking staff change at three places. The changed staff do not knew the compartments which were checked by the relieved staff. They have also to threats from ticketless travellers. Checking staff should be increased and they should be given incentives and also included in the running staff. The assurances given to the staff should be implemented. If it is not done, it will be a great injustice to these poor people.

Dr. Ram Subhag Singh : The Indian Railways (Second Amendment) Bill has been brought to arrest the high incidence of ticketless travelling as is evidenced by the statistical data according to which 1.10 lakh passengers were found travelling without ticket during the period March, 1968 to February 1969. This malady of ticketless travelling is not confined only to Bihar but is rampant in all the railway zones. I am at one with Shri Sharma and Shri Abdul Ghani Dar that unless more rolling stock is put on the track this problem will continue to bid defiance to solution. To this end we have introduced 29 new trains and attached more coaches to 24 trains. During the year 1968-69 57 suburban trains have been introduced. 500 special trains were run this year on different important occassions. I agree to the suggestion that checking process should be streamlined and we have already taken steps in this regard.

There is more of fiction than fact in the allegation that even since the promulgation of the ordinance the T. T. Es. are having subjected to attacks. Even prior to this fatal attacks were made on the railway personnel. It is under such parlous conditions that the Railway staff has to work.

श्री जि० मो० विस्वास (बांकुरा) : माननीय मंत्री मेरी बात को शायद समझ नहीं सके। मैंने कहा था कि टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों को पीटा जाता है आपने कहा था कि कि उद्घोषणा के जारी किये जाने के पश्चात ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैंने उदाहरण दिया था।

डा० रामसुभग सिंह : आपमें समझने की क्षमता नहीं है। मुझे आपके सारे भाषण को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले तीन महीनों में हमने यातायात की सुविधा के लिये 500 विशेष गाड़ियां चलाई। इस समय 1300 से भी अधिक तीसरी श्रेणी के शयन यान चलाये जा रहे हैं। चतुर्थ योजना में ऐसे 700 और डिब्बे चलाने का विचार है। इन डिब्बों के लगाये जाने से पूरी रात के सफर वाली सभी गाड़ियों में स्थान उपलब्ध होंगे।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Why has the Hon. Minister switched over the English ?

Dr. Ram Subhag Singh : Shri D. N. Tiwary and Shri K. N. Tiwary referred to certain difficulties. To remove these difficulties we have introduced more trains and also dieselised a number of tracks. From 1st October, we intend to run a fast Express train between Lucknow and Katihar. For the convenience of genuine passengers arrangements will be made for the issuance of certificates by the guard. Arrangements will also be made for the sale of return tickets. All requisite facilities will be given to the students. During the examination days special facilities will be made available to the students. As regards the opening of the booking window there are standing order to open the booking window an hour before the arrival of the train. I will look into the question of opening more booking windows and also of increasing their time.

As regards the security of Railway staff, it is not possible to provide Police or R. P. F. escort to every Railway employee. As regards the issuing of tickets on the Railway steamer for Mahendra Ghat from Pahleja, we have no objection to it in that the State Government has given the contract for the sale of tickets. This issue may therefore be taken up with the State Government.

Arrangements will be made to provide more facilities in the waiting rooms. As regards the damage to one wagon of mangoes out of the three wagons, I shall look into it. So far as the travelling by Air-Conditioned class is concerned, it has become very common now and all those who can afford it, do avail of this facility. It is also availed of by those who can afford it. As regards the question of augmenting the strength of T. T. Es. I shall look into it. I shall also look into their grievances if they have any.

I shall try to provide proper facilities for them. With these words I request the Hon. House to accept this Bill and reject the resolution moved by Shri Kothari.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) **:** I seek your protection.

Mr. Chairman : I am willing to give you protection but you may resume your seat. I will not allow any questions on it.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has not said anything about the running staff.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) **:** I want some clarification about the Bill.

सभापति महोदय : सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकते। खण्डवार चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों को केवल सम्बन्धित खण्ड के बारे में ही प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) **:** कठिनाई यह है कि सभा में दिये गये सुझावों को माननीय मंत्री सभा में तो स्वीकार कर लेते हैं परन्तु सभा से बाहर जाते ही इनको भूल जाते हैं।

Shri S. S. Kothari (Mandsaur) **:** The Hon. Minister has accepted several suggestions put forward by the Hon. Member but he has not replied to one thing as to why this ordinance has been issued. The ordinance should be issued only when it is absolutely essential. The Government should also keep into mind the spirit of articles 123 and 122 of the constitution.

So far as the question of increasing the limit of fine is concerned I would request the Hon. Minister that it should be two rupees and maximum penality should be one hundred rupees instead of five hundred rupees as suggested in the Bill.

The number of ticket windows should be increased on every station. Ticket windows should be opened sufficiently before the time of arriving the train so that there may be no difficulty for the passengers for purchasing the tickets.

Railway Protection Force should be entrusted with more duties. This Force should help the T. T. Es. in checking the ticketless travellers. Moreover I feel that this force is not performing its functions properly.

I feel that the guards should issue the certificates on the request of the genuine passengers. An amendment to this effect should be brought in the Bill.

The number of railway trains and their capacities should also be increased. It will help in reducing the rush in the trains and control tickectless travelling.

I welcome the assurances given by the Hon. Minister.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 3) का, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 4 जून 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ

The Resolution was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Tne Motion was adopted.

सभापति महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करेगी ।

खण्ड 2 (धारा 112 का संशोधन)

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Mahatma Gandhi once said that severe punishment should be provided for the ticketless travelling. But we cannot hold only passengers responsible for it. The Government and Railway Board are equally responsible. The tickets should be issued according to the seats available the in trains. This can be done very easily. It will help in reducing the ticketless travelling. Ticketless travelling is an indication of moral degradation in the country. So I will suggest that severe punishment should be provided for it.

Sufficient staff has not been provided on the ticket windows and as a result of which many passengers have to go without tickets inspite of the fact that they wanted to purchase them. Sometimes ticket windows are opened only few minutes before the departure of the train. Such irregularities should be removed.

Overtime should be abolished. On the other hand the persons responsible for the late arrival and departure of trains should be punished.

Many things can be done without resorting to force. So I will request the Hon. Minister to use other methods also.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : धारा 12 के अन्तर्गत बिना टिकट यात्रा के लिए चार प्रकार के दण्डों की व्यवस्था है। पहला दण्ड तो यह है कि यात्री से जहां जिस स्टेशन से रेलगाड़ी चलती है अथवा जिस स्टेशन पर गाड़ी का अन्तिम बार निरीक्षण हुआ है, वहां से किराया ले लिया जाये। दूसरा दण्ड तीन महीने का कारावास है, तीसरा 100 रुपये तक जुर्माने तथा चौथा टिकट लागत के अनुसार गिना गया अतिरिक्त भुगतान अथवा 50 पैसे जो भी अधिक हैं। अब 100 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 500 रुपये और 50 पैसे का बढ़ाकर दस रुपये किया जा रहा है।

पिछले वर्ष लगभग 3 रुपये औसतन जुर्माना वसूल किया गया है। इसके स्थान पर अब 500 रुपये की जुर्माने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय मंत्री ने बातचीत के दौरान बताया कि बिना टिकट यात्रा कम हो गई है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि ऐसा अधिक जुर्माना करने से नहीं हुआ है। इन दरों को बढ़ाकर सरकार को कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। यह भी देखा जाना चाहिए कि इन जुर्मानों को किस प्रकार वसूल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता तो उसके लिए अन्य कोई दण्ड नहीं है। इसको बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। ऐसे अपराधों में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में सर्वप्रथम कारावास की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरे इस विधेयक में अभ्यस्त अपराधियों को दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों को अन्य लोगों के समान दण्ड देना पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार से ऐसे लोगों को कारावास का दण्ड दिया जाना चाहिए। अन्यथा यदि केवल जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया तो रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा क्योंकि किसी भी यात्री को यह कहकर कि उसको पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा, वे उससे 50 रुपये वसूल कर सकते हैं जो कि उनकी अपनी जेब में जायेंगे।

सरकार को इस बात का, अध्ययन कराना चाहिए कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। क्या उस क्षेत्र में पर्याप्त रेलगाड़ियां चलती है और उनमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध होते हैं। जब यात्री समझते हैं कि उनको गाड़ी में स्थान नहीं मिलना है तो वे टिकट नहीं खरीदते। क्या बिना टिकट यात्रियों को मुख्य गेट पर रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये है ? इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वर्दी पहने प्रत्येक रेल कर्मचारी को यात्रियों से टिकट के बारे में पूछ ताछ करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए दूसरे मेरा सुझाव है कि टिकट निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

माननीय मंत्री को समूची समस्या पर दण्ड आदि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए यदि जुर्माना आदि बहुत अधिक होगा तो न्यायालय इनको लगाने में अपनी अनिच्छा प्रगट करेंगे। अतः सरकार द्वारा मेरे सुझावों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I have suggested in my amendment that maximum limit of five hundred rupees should be reduced to rupees one hundred.

I hold Government responsible for the ticketless travelling because they have developed such a society where the people have not enough money to purchase the tickets. They are forced by their poverty to travel without ticket. I agree that some punishment should be given to them but it should not be too heavy. Heavy punishment will enhance corruption amongst the railway staff as they will be able to extract some money from the passengers by telling them that they have to pay so much amount. Therefore I have suggested that minimum limit may be kept at rupees ten but maximum may be reduced from five hundred rupees to one hundred rupees.

श्री लोबो प्रभु : जो लोग अपनी टिकट वाले स्टेशन से गलती से अथवा जान-बूझकर आगे निकल जाते हैं तो पहले 50 पैसे जुर्माना लिया जाता था परन्तु अब इसको बढ़ाकर दस रुपये किया जा रहा है। दूसरे यदि कोई व्यक्ति स्वयं यह बात प्राधिकारियों को बता देता है तो उससे भी अब 5 रुपये लिया जाया करेंगे। मेरे विचार में ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं इस बात की सूचना देता है कि उसने अधिक यात्रा करली है। माननीय मंत्री को इस पर पुनः विचार करना चाहिए।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : The punishment of Rs. 10/- should be reduced to two rupees. It will be difficult for the parents to produce with certificates to show that their children are below the age of three or twelve years.

I would like to suggest that a team non-officials consisting of ten or twenty persons should be employed to check the ticketless travelling. This practide has proved useful in my own area.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को 10 रुपये जुर्माना करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए दूसरे इसके व्यवहारिक पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। मान लो यदि एक स्टेशन पर पन्द्रह व्यक्तियों को पकड़ा जाता है और उनके पास दस रुपये की राशि नहीं है तो उनको न्यायालय के समक्ष पेश करने का प्रश्न उत्पन्न होगा। यदि रात का समय है और न्यायालय वहां से काफी दूरी पर है तो उनको रात को ठहराने की समस्या भी उत्पन्न होगी। परिणामस्वरूप उन सबको छोड़ना पड़ेगा। अतः सरकार को कुछ भी वसूल नहीं होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं एक नई बात कहना चाहता हूं। मुझे एक मिनट का समय दिया जाये।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी (नवादा) : माननीय सदस्य को प्रत्येक अवसर पर बोलने के लिए समय दिया जाता है परन्तु हमें समय नहीं दिया जाता है।

श्री रणधीर सिंह : मैं अपने दल का समय लेता हूं।

सभापति महोदय : आप अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : श्री रणधीर सिंह के बाद मुझे भी एक मिनट का समय दिया जाये।

Shri Randhir Singh : The punishment provided is so severe that it is feared that the very purpose of the Bill is likely to be defeated. It may also lead to increase in corruption. The bill could be effective if the procedure of summary trial is adopted, otherwise, it is likely to aggravate the problem.

डा० राम सुभग सिंह : यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं सभी संशोधन इकट्ठे मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The Amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने'

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 140; **विपक्ष में** 88

Ayes 140 ; Noes 88

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 **विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड—3 (धारा 113 का संशोधन)

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 5 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये—

Amendment of Section 113

'3. In section 113 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in the opening paragraph, for the words "fifty naye paise", the words "ten rupees shall be substituted ;

(b) in the first proviso, for the words "nearest multiple of five naye paise, or fifteen naye paise", the words "nearest multiple of five paise, or five rupees" shall be substituted."

धारा 113 का संशोधन

["3. मूल अधिनियम की धारा 113 में उप-धारा 3 में,—

(क) आरम्भिक कंडिका में "पचास नये पैसे" के स्थान पर "दस रुपये" रखे जायें;

(ख) प्रथम परन्तुक में शब्द "पांच नये पैसे, अथवा 15 नये पैसे की निकटतम गुणा" के स्थान पर "पांच पैसे, अथवा पांच रुपये की निकटतम गुणा" शब्द रखे जायें।"]

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 9 तथा 11 "प्रस्तुत करता हूं।

Our country is very poor. The amount of fine on ticketless travelling should not be so exorbitant. Such a punishment is not likely to bring any change in the people. In the present circumstances it can lead to further corruption.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

If you want to curb ticketless travel, it is necessary to improve the economic position of the people, educate them, raise their moral level and make them feel that they should not travel without ticket. I urge that my amendment should be accepted and the amount of fine should be reduced.

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

रेल गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता

श्री हेम बरुआ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब सभा स्थगित हो।"

इन दिनों देश में कुछ बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं जिसमें जान और माल की बहुत हानि हुई है। सरकार की यह प्रवृत्ति है कि यह बताकर कि विदेशों में भी ऐसी घटनायें होती है उन दुर्घटनाओं को उचित ठहराया जाता रहा है। यह तर्क ठीक नहीं है कि अन्य देशों में भी दुर्घटनायें होती हैं। अतः हमारे देश में दुर्घटनायें होना उचित है।

हम समाजवाद की बातें करते हैं परन्तु वह इस देश में दक्षता के अभाव के लिये प्रोत्साहन बन गया है। डा० राम सुभग सिंह के रेलवे मंत्री बनने के बाद स्थिति और बिगड़ी है।

देशों की सभी रेलों की तुलना में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कुव्यवस्था सबसे अधिक है। वहां डिब्बों में प्रकाश नहीं होता है। कर्त्तव्य की ऐसी उपेक्षा करके हम अपराध कर रहे हैं।

इलाहाबाद—गोरखपुर लाइन पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी और उसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गये थे। जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो, तो उसकी एक न्यायिक आयोग द्वारा जांच कराई जानी चाहिये।

जब भी कोई दुर्घटना होती है तो यही कहा जाता है कि ऐसा तोड़-फोड़ के कारण हुआ है। दक्षता अथवा सतर्कता के अभाव को तोड़-फोड़ बताकर उसे छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

आसनसोल-पुरी यात्री गाड़ी से माल गाड़ी के टकरा जाने का क्या कारण है। वहां यात्री गाड़ी रेलवे प्लेट फार्म से जाने वाली थी कि एक माल गाड़ी आकर उससे टकरा गई। यात्री गाड़ी के जाने से पहले माल गाड़ी कैसे आ सकती है, उसकी किसी ने जांच नहीं की है।

मंत्री महोदय घटनास्थल पर देर से पहुंचे हैं। उन्होंने अस्पताल में लोगों को देखा परन्तु अपने ही विभाग के हताहत व्यक्तियों को देखना भूल गये।

इस देश में अदक्षता और लापरवाही के कारण लोग बुरी तरह मर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति गाड़ी में जाता है तो अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से अन्तिम विदायगी लेकर जाता है। यदि आप रेलों तथा विमानों की दुर्घटनाओं की तुलना करें तो आपको दोनों में भारी अन्तर का पता लगेगा। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री रेलवे की दक्षता, तकनीकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करें, रेलवे बोर्ड में सुधार करने की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड का कार्य रेलों के कार्य की दक्षतापूर्वक अधीक्षण करना है। परन्तु वह ऐसा नहीं कर रहा है। रेलवे बोर्ड के सदस्यों को त्यागपत्र देना चाहिये अथवा रेलवे के कार्य को कुशलतापूर्वक चलाना चाहिये। यदि वे स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र नहीं देते तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

जब भी कोई दुर्घटना होती है तो निचले पद पर व्यक्तियों को दण्ड दिया जाता है। जब वे देखते हैं कि ऊपर वाले अधिकारी साफ बच जाते हैं तो वे दुरुत्साहित हो जाते हैं। रेलवे सम्पत्ति की चोरी हो रही है। हमने श्रमिकों को अपने अधिकार मांगने के लिये पुरोत्साहित किया है परन्तु हमने उनके कर्त्तव्यों के बारे में उन्हें नहीं बताया है।

रेलवे के सम्बन्ध में आयोग तथा समितियां नियुक्त की जाती हैं परन्तु उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है। कुंजरू समिति ने रेलवे में सुरक्षा के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं परन्तु उनमें से अधिकांश को लागू नहीं किया गया है। अब यह देखने के लिये कि कुंजरू समिति की सिफारिशें कहां तक लागू की गई हैं। वांचू समिति नियुक्त की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अब सभा स्थगित हो।"

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं श्री हेम बरुआ के स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह प्रस्ताव राजनैतिक उद्देश्यों से लाया गया है न कि मानवीय विचारों से। इससे रेलवे की दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। परन्तु यदि प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य

रेलवे बोर्ड की कार्य प्रणाली पर पुर्नविचार करने की अविलम्बनीय आवश्यकता की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाने का है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

मैं देश में रेलवे की कार्य प्रणाली का सबसे बड़ा आलोचक हूं। परन्तु विरोधी सदस्यों का उद्देश्य लोगों की जाने बचाने का नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने का है। दुर्घटनायें तो दुर्घटनायें ही होती हैं और इस आधार पर स्थगन प्रस्ताव उचित नहीं है।

रेलवे मंत्री ने रेलवे के कार्य को एक नया रूप दिया है। अतः यदि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्री का विरोध करना है, तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। दुर्घटनायें तो सभी मन्त्रियों के अन्तर्गत होती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन कर भविष्य में दुर्घटनायें न होने देने का वचन नहीं दे सकता।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेकानाल) : रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में स्थगन प्रस्ताव लगभग सभी स्तरों में लाया जाता हैं। गत कुछ वर्षों में सम्पति की भारी हानि हुई है और सरकार को उसके लिये भारी प्रतिकर देना पड़ता है।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

1964-65 में 1293 दुर्घटनायें हुई थी और उनमें 240 व्यक्ति मरे और 71 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। 1967-68 में 1111 दुर्घटनायें हुई और 233 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 1.49 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस सन्दर्भ में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है उन्हें वापिस नहीं लाया जा सकता। उन विचारों का कोई दोष नहीं था। सरकार ने 1961 में श्री कुंजरू की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त की थी। उसने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि अधिकांश दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलतियों से होती हैं। दूसरा मुख्य कारण पटरी में दोष होने के कारण है। इसी प्रकार अन्य कारणों का उल्लेख कुजरू समिति की रिर्पोट में है।

यात्रा की सुरक्षा का अनुमान दुर्घटनाओं की संख्या और हताहतों की संख्या से लगाया जा सकता है। रेलवे यात्रा को सुरक्षित बनाना रेलवे प्रशासन का दायित्व है। इस बारे में धन के व्यय करने में संकोच नहीं होना चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पूरी-पूरी कार्यवाही की जानी चाहिये। उस समिति ने भी यही सुझाव दिया था। वान्चू समिति ने भी अपने प्रतिवेदन के भाग एक में कहा है कि कुंजरू समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये बहुत कम कार्यवाही की गई है। इस प्रकार तो ऐसी समितियों की नियुक्ति का कोई लाभ नहीं है। दुर्घटनाएं वैसे ही हो रही हैं और यात्री जनता में सुरक्षा के बारे कोई विशेष रूप से सरकार पर विश्वास नहीं रहा अतः सरकार को कार्य संचालन में सुधार करना चाहिये। रेलों में अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। यह भी एक चिन्ता का विषय है। रेलवे मंत्री को इस ओर ध्यान देकर अपराधियों को सख्त दण्ड दिलाना चाहिए।

अभी हाल में दो बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। एक वाराणसी के पास और दूसरी उड़ीसा में जाजपुर के पास। इनमें 200 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हैं। इनका एक एक कारण भीड़ का अधिक होना था। लोग एक धार्मिक मेले पर जा रहे थे। ऐसे अवसरों पर सरकार को अधिक विशेष गाड़ियां चलानी चाहिये।

यह ठीक है कि मनुष्य की गलती से भी दुर्घटनाएं होती हैं। हमें इसके कारणों का भी पता लगाना चाहिए। आज कर्मचारियों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। रेलवे बोर्ड इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। प्रशासन कार्य में वाह्य हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसमें राजनीतिज्ञों और कार्मिक संघों के नेताओं द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

अन्य देशों में आधुनिक साधन अपनाये जा रहे हैं परन्तु हम अपने यहां आधुनिकीकरण की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इससे रेलवे की कार्यकुशलता में सुधार होगा।

माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारी गाड़ियां 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। परन्तु विदेशों में तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत अधिक होती है।

मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि हम इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। दुर्घटनाओं के लिये मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में जांच करके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I oppose the motion of no-confidence. We cannot doubt the sincerity of Dr. Ram Subhag Singh. I have found him to be very sympathetic person towards the down trodden people. He has taken effective steps to check ticketless travel. No doubt accidents take place, but it is not due to any fault of the Hon. Minister. We should be realists. Nobody wants that accidents should take place. We are very sorry for that.

Our railway net work is among the largest ones of the world. Crores of persons travel daily in India. In such big railway system accidents will take place. But the main question is that we should try to minimise their number. In foreign countries, where they have smaller railway systems, accidents do take place. We know that in U.S.A., Japan and other advance country where there is great efficiency, accidents occur.

I want to say to the Hon. Members that we should not look at each thing from political point of view. We are also pained on these accidents. We have also every sympathy for these people. It is disrespect of the House to bring forward this motion. There is no valid ground for bringing this motion.

I want to give a suggestion to the Hon. Minister. Government should obtain help of the local people on each station. The students of the area should be made use of in checking

damage to the railway tracks. The recommendations of the committee should be implemented. A permanent probing board should be set up to look into the causes of accidents. It should see that unsocial elements do not play their nefarious games.

This issue should not be made the subject of adjournment motion. I oppose this adjournment motion.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): The ruling party should take into consideration the seriousness of these accidents. Shri Lal Bahadur Shastri had resigned from Railway ministership on a similar accident. The present Railway Minister should have also resigned.

The Railway employees are required to put in longer hours of work. It effects their efficiency adversely. It should not be done.

We find that most of the accidents take place in South India. If there is a language agitation or Talengana agitation, the targets are railways. The communists are behind these happenings. Government should look into this. What are the causes of all this ?.......... (**Interruptions**)

The old parts of railway equipment are not replaced. This also is one of the causes of accidents. The railway employees are not given proper training. Then the equipment like signals are changed. Now they introduced straight signals.

There is large scale pilferage on railways. This is one of cause of loss to railways. There is frustration in employees. Their salaries have not been increased.

The State Government, in whose state accidents take place should be asked to bear the cost of damages in accidents. It will have very good effect. Railways are not the property of any individual. It is the property of entire nation. This type of feeling should be inculcated in masses.

The railway employees' grievances should be removed.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : दो दुर्घटनाओं में मरने वालों के प्रति हमें श्रद्धांजली अर्पित करनी चाहिये । सरकार का यह कर्तव्य है कि दुर्घटनाओं को यथासम्भव कम करे । श्री हेमबरुआ का भी यही उद्देश्य है । रेलवे के प्रशासन में त्रुटियां बढ़ती जा रही हैं । गाड़ियों की गति बढ़ायी जा रही है परन्तु पटरी तथा उपकरण पुराने होने के कारण दुर्घटना होने की संभावनायें भी बढ़ती जा रही हैं । रेलवे मंत्रालय को और धन की आवश्यकता है परन्तु संसद इसके लिये तैयार नहीं है । हमें सभी रेल पटरियों की जांच करनी चाहिए और पुरानी लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछानी चाहिए ।

कई बार तोड़फोड़ के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं । यह अनुचित है । इसके लिये जिम्मेदार लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए । हमें विदेशों में रेलों के आधुनिकीकरण के अनुसार अपने देश में आधुनिकीकरण करना चाहिए । स्वचालित यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए । जो लोग अपनी ड्यूटी में लापरवाही करें उन्हें कड़ा दण्ड मिलना चाहिए । हमें रेलवे बोर्ड की सभी चीजों के लिये दोषी नहीं ठहराना चाहिए ।

प्रतिपक्ष वाले जांच आयोग की नियुक्ति की मांग कर सकते हैं। परन्तु इस बारे में सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कार्यवाही करनी होती है। कुंजरू समिति की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। हमें प्रत्येक दुर्घटना के समय रेलवे मंत्री को त्यागपत्र देने को नहीं कहना चाहिये। रेलवे मंत्री की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हां उनसे ब्योरा और स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। हमें रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अस्वीकार कर दिया जाये।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कुड्डलूर) : जब से डा० रामसुभग सिंह जी ने रेलवे मन्त्रालय संभाला है तब से हमें रेलवे दुर्घटनाओं के कारण बहुत चिन्ता हो गई है। हाल में दो बड़ी गम्भीर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। उनमें 200 से अधिक व्यक्ति मारे गये हैं। हमें मालूम करना होगा कि इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं। संसद पर इसका दायित्व है। यात्री जनता का रेलवे पर विश्वास उठता जा रहा है।

आज विश्व में बहुत प्रगति होती जा रही है। मानव चन्द्रमा पर उतर रहा है। इससे तकनीकी प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। यहां यह सरकार रेल गाड़ियों को भी सुरक्षित रूप से नहीं चला सकती।

सरकार को जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यह कहना कि यह तोड़फोड़ का परिणाम है, ठीक नहीं है। वाराणसी के निकट हुई दुर्घटना के बारे में अनेक प्रकार के वक्तव्य दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में संसद का यह कर्तव्य है कि एक न्यायिक जांच की मांग करे। मंत्री महोदय को प्रत्येक दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

14 जुलाई को उड़ीसा में हुई दुर्घटना भी बहुत गम्भीर है। वहां बहुत भीड़भाड़ थी। सरकार को अधिक संख्या में गाड़ियां चलानी चाहिए थीं। इसलिये हम रेलवे अधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब श्री अन्नादुरै की मृत्यु हुई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मद्रास आ रहे थे।

मदुरा से त्रिची 100 मील है और वहां से कोलरून पुल 60 मील है। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि सभी यात्री जिनकी मृत्यु हुई मदुरा से चले थे। 160 मील रेल की छत पर यात्रा करने देना, अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था न करना तथा गाड़ी की दिशा दूसरे मार्ग से परिवर्तित न करना, जिससे कि वे पुल से टकरा कर मृत्यु को प्राप्त न होते ? क्या यह मंडल-अधीक्षक तथा महा प्रबंधक का उत्तरदायित्व नहीं था ? इतने व्यक्तियों की इस हत्या का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुधार लाने के स्थान पर रेल मंत्री साम्यवादियों द्वारा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों को दोषी ठहराते हैं। क्या उनके विभागों की विफलता के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं ? मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वेंलराया नायडू (चित्तूर) : इन दो रेल दुर्घटनाओं पर सभी में क्षोभ है। विरोधी दल यदि सरकार का साथ दें और दोषी व्यक्तियों को बचाने की चेष्टा न करें तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। कुछ संसद् सदस्य रेलवे कर्मचारी संघों के अध्यक्ष हैं जो वहां से चन्दे एकत्रित करके अशोक होटल आदि बड़े-बड़े होटलों में रहते हैं। क्या सरकार इस बारे में जांच करायेगी कि कौन से श्रमिक संघों के नेता हैं जो बड़े-बड़े होटल में ठहरते हैं ? संसद सदस्यों को उन संघों के अध्यक्ष-पद त्याग देने चाहिए, जिससे कि श्रमिक अपने संघों को स्वयं चला सकें।

रेल दुर्घटनाएं दो कारणों से होतीं हैं—एक मानवीय भूलें तथा दूसरी यांत्रिक भूलें। रेल मंत्री कहते हैं कि लाइनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। विरोधी दल दूसरी बात कहते हैं। न्यायिक जांच द्वारा ही सत्य जाना जा सकता है।

क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वे दोषी कर्मचारियों को दण्ड दे रहे हैं, अथवा वे श्रमिक संगठनों के अध्यक्ष संसद् सदस्यों से डरते हैं। सरकार को शीघ्र ही ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बाहर के व्यक्ति श्रम-संगठनों के अध्यक्ष न बनाए जाएं।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): On these two rail accidents the congress members have adopted political attitude and the loss of human life has not been taken seriously.

I belong to the area where accident occurred on 21st on Allahabad-Gorakhpur line and visited the site on 23rd. The accident took place at 1 A.M. and no railway official reached there till 7 A.M. The relief work was carried on by the people of the area and also by political parties. The condition of effected persons was such that those persons who saw them could not take meals for months. The statement of Railway Minister that certain anti-social persons wanted to snatch the belongings of the passengers, is surprising, as in some cases amounts worth 40-40 thousand were found, but no amount was taken away by any one. If Hon. Minister wanted to have a real view of the happening he should have gone their without giving his identity. The Railway Minister should resign accepting his fault for these accidents, as was done by late Shri Lal Bahadur Shastri. Regarding the accident at Puri he said that the matter is being enquired into. Over 200 persons were killed and much more injured but the Minister says that it was due to politics played by opposition.

The Hon. Minister has said that accidents take place in Airways as well. But they give compensation in lakhs of rupeess whereas the railways give a few hundred rupees.

The other day, the Railway Minister has admitted that the Driver was new and did not know that a bridge was there. Whereas to newspaper-men he said that the accident was due to some sabotage. So an enquiry should be instituted.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The Hon. Minister has not mentioned about a third accident that occurred on Hathras-Kasganj line in which Driver and certain other persons were killed. Sometimes Rails struck each other and sometimes these get derailed. Various committees are appointed for the purpose but the recommendations of these committees are seldom implemented. Fabricated reasons for each accident is given.

Here we can catch hold of the Railway Minister and not the Station Master or a porter. It is for the Minister to catch hold of officers of the Railway Board. But he praises them very much.

The Minister and the officers of Railway Board should be held responsible for these accidents. They should all resign and follow the tradition of late Lal Bahadur Shastri. Adequate compensation should be paid to the sufferers in these accidents.

Shri Sheo Narain (Basti) : Pray to God that good sense may pervail upon railway department so that they may run trains in time.

The Railway Minister said that accident took place due to sabotage. Shri Sarjoo Pandey has confirmed that statement and added that bolts and nuts were opened. Accidents per million train kilometers have fallen from 6.5 in 1951-52 to 2.0 in 1968-69. I say that if a single man is killed in accidents it is the responsibility of the Government. I am very sorry for the Varanasi accident as a young neighbourer of mine, who was M.A., LL.B., was killed in that.

I request the Hon. Minister to make sincere efforts to minimise the number of accidents. I have also a complaint against the Railway Board. No train in India leaves in time but no train is shown as late in Delhi. All first class waiting rooms are reserved for officials. There is too much of crowd at every station.

I agree with the statement of Shri Naidu that the leaders are responsible for all these evils. The Unions of Railway officials may be abolished. More than ten hour work should not be taken from employees.

श्री नम्बियारं (तिरुचिरापल्लि) : हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को सही रूप में नहीं लिया गया। यदि इन दुर्घटनाओं पर न्यायिक जांच का आश्वासन दिया जाए तो हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। सरकार ऐसा करने में संकोच क्यों कर रही है।

जब भी कोई दुर्घटना होती है तब मंत्री जी जांच ही कह देते हैं कि यह तोड़-फोड़ के कारण हुई। अपनी जानकारी से मैं कह सकता हूं कि वाराणसी एक्सप्रेस की दुर्घटना ट्रैक अथवा इंजन की विफलता से हुई है। रेल तीव्र गति से चल रही थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उतनी गति आवश्यक तथा अधिकृत थी और क्या इंजन अच्छी दशा में था।

कंजरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि इंजनों की ठीक देख भाल नहीं की जाती। इन इंजनों की एवं ट्रैक की खराबी के कारण तीव्र गति से चलने पर, रेलें पटरी से उतर जाती है। इसमें तोड़फाड़ की क्या बात है इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप तोड़फोड़ की निन्दा क्यों नहीं करते ?

श्री नम्बियार : उसकी मैं हृदय से निन्दा करता हूं। मैंने दुर्घटना स्थल को स्वतः देखा है, मृत शवों को उठाया है और मुझे ज्ञात है कि वह दृश्य कितना भयावह था।

वाराणसी के डी० आई० जी० ने कहा है कि तोड़ फोड़ की शंका करने का कोई कारण नहीं है। मैं इस संदर्भ में इस मामले के सभी पक्षों की न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

कंजरू समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिए वांचू समिति नियुक्त की गई है, जिसका प्रतिवेदन अभी आना है। इस बीच में स्थिति को सुधारने के यत्न नहीं किए गये।

जयपुर की दुर्घटना में, खड़ी यात्री गाड़ी से माल गाड़ी टकरा गई। यदि ट्रैक आदि की ठीक देखभाल की जाती तो क्षति न होती। जांच द्वारा ही कारण जाने जा सकेंगे।

सरकार को न्यायिक जांच की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे तथ्यों का पता चलता है। रेलवे बोर्ड सत्य को छिपाये रखना चाहता है। मेरा यह भी सुझाव है कि जांच के पश्चात् रेलवे बोर्ड को बदल देना चाहिए।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah)): Shri Hem Barua said the Minister's resignation cannot be a remedy to check the accidents. If these could be checked by resignations, I shall also support that demand. The accident in U. P. is being enquired into. In the other accident where a train collapsed with the other the reasons cannot be other than human failure or gross negligence. In such cases the man at fault should be severely punished.

I agree with Shri Nambiar that the Engineering Department is in a worst state of affairs and I request that improvements may be brought about there. The opposition demand for the resignation of the Minister is with political motives.

The statement of Shri Sarjoo Pandey about the Hon. Minister is not justified.

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय ! यह अत्यन्त दुःख की बात है कि दो या तीन दुर्घटनाएं घटी हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अवश्य ही प्रयत्न किये जाने चाहिएं। फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जाजपुर की दुर्घटना असावधानी के कारण हुई है। इस घटना की पूरी जांच कराई जायेगी अतः इसके बारे में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता।

मगाई पुल दुर्घटना के बारे में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में कुछ आशंकाएं पैदा की गई हैं। जब मैं घटना स्थल से लौटा तो लोगों ने मुझसे दुर्घटना का कारण पूछा। उस समय मैंने 'तोड़ फोड़ के कार्य' शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया था हां इतना अवश्य है कि मैंने लगभग एक फीट रेलवे लाइन को उपयुक्त स्थान से अलग पाया था।

इस बारे में मैं रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त कमिश्नर के प्रतिवेदन के भाग I में दिये गये कुछ अंशों को पढ़कर सुनाता हूं।

"सार्थक, परिस्थितिक एवं मौखिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मैं समझता हूं कि (i) 6 डाउन इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का 21 जून, 1969 को उत्तरपूर्वीय रेलवे के जखानियन और दुलाहपुर स्टेशनों के बीच रेल की पटरी से उतर जाने का कारण जान बूझ कर पटरी की तोड़ फोड़ करना था।"

यह जांच कार्य हमने नहीं किया है वरन् यह असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अन्तर्गत कमिश्नर ने किया है। कमिश्नर ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि किन्हीं अपरिचित

व्यक्तियों ने पटरी के जोड़ों को खोला है । इसके अतिरिक्त कमिश्नर ने यह भी उल्लेख किया है कि पटरी का अलग किया जाना इतना सूक्ष्म है कि तीव्रगति से जाती हुई गाड़ी से उसका रात में या दिन में पता नहीं लग सकता । रेलगाड़ी की रफ्तार भी उचित बताई गई है और यह भी कहा गया है कि इस दुर्घटना के लिये चालक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

वास्तव में माननीय सदस्य तथ्यों को अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं और स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि बताई जाती है । यदि रेलों की दूरी की तुलना की जाय तो सिद्ध होगा कि दुर्घटनाएं घटी हैं ।

जैसा कि श्री कृष्णामूर्ति ने कहा कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में चलने वाली रेलें केवल लोगों की हत्या करती हैं मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य यह भी देखें कि उनकी सरकार के नेतृत्व में चलने वाली बसों ने कितने व्यक्तियों की हत्या की हैं । लगभग 200 व्यक्ति इस प्रकार से मार दिये गये हैं । क्या इसे उनके दल की सरकार की कार्यकुशलता कह सकते हैं ?

श्री हेम बरुआ तथा अन्य माननीय सदस्यों ने उत्तर पूर्वीय रेलवे की गाड़ियों में प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था करने का प्रश्न उठाया है । यद्यपि इससे तो दुर्घटना का भय नहीं है तथापि मैं बिजली की उपयुक्त फिटिंग के बारे में ध्यान दूंगा ।

यह सच है कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां अधिक भार ढोती हैं किन्तु उस सम्बन्ध में पटरियों को सुधार दिया गया है । उन्होंने तोड़-फोड़ के कार्यों की भी चर्चा की और मैंने इस सम्बन्ध में कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी है ।

यह कहना भी सही नहीं है कि राज्यमंत्री घटनास्थल पर देर से पहुंचे । वह दिल्ली से उसी दिन चले गये थे किन्तु वर्षा के कारण उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचना नितांत असम्भव था ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी का यह सुझाव उत्तम है कि रेलवे यात्रियों के लिये जीवन बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं इस बारे में कोई आश्वासन तो नहीं देता किन्तु मैं इस पर विचार अवश्य करूंगा कि इस व्यवस्था को कैसे प्रारम्भ किया जा सकता है ।

मैं इस बात की जांच भी करूंगा कि क्या रेलवे कर्मचारियों पर कार्य का भार अधिक हैं और क्या ये दुर्घटनाएं इसी कारण होती हैं ।

श्री रणधीर सिंह के सुझावों पर भी मैं विचार करूंगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री बेरवा का सुझाव है कि दुर्घटनाओं से जितनी हानि हुई है उतनी धनराशि राज्यों को दी जाने वाली राशि से घटा देनी चाहिए । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं किन्तु मैं एक

घटना बताना चाहता हूं। रानीगंज के निकट बाधाएं उपस्थित करके कुछ गुंडों ने एक स्पेशल फौजी गाड़ी को रोक लिया तथा उसकी तीन बोगियां तोड़ कर फौजी उपकरण लूट लिये। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है तथा उसने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है।

इसी तरह 11 जुलाई को भी एक गाड़ी मानिकताला पुल तथा बाघमरी पुल के बीच रोकी गई तथा उससे भी कुछ सैनिक सामान उतार लिया गया।

गोंडा-गोरखपुर सैक्सन में भी एक इंजीनियर ने कुछ फिश प्लेटें पटरी से निकाली हुई पाई। यह घटना 20 जुलाई की है। ये सब कार्यवाहियां अशुभ हैं।

इन सभी घटनाओं की जांच की जा रही है तथा जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होंगे सरकार उन्हें सभा-पटल पर रख देगी।

श्री समर गुह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 2 सैनिक ट्रेनें लूटी गई हैं तथा उनकी जांच होनी चाहिए। इस बारे में मेरा निवेदन है कि मुझे उसकी रिपोर्ट मिलेगी तथा मैं उसको सभा में बताऊंगा।

कुंजरू समिति की 327 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है। 1963-64 से इस कार्य में और भी प्रगति लाई जा रही है।

रेलवे दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन, भाग 1 में इस प्रगति की सराहना की गई है तथा बताया है कि पांच वर्षों की अवधि में दुर्घटनाओं की संख्या घटी है।

हम चार आवश्यकताओं को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन आवश्यकताओं का उल्लेख कुंजरू समिति की सिफारिशों में भी किया गया है। इस रेलवे में आज तक की पूरी तकनीकी जानकारी लाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि उससे भी दुर्घटना की सम्भावनाएं बनी रह सकती हैं तथापि उनकी संख्या में अवश्य ही कुछ कमी होगी। अन्य तीन आवश्यकताएं हैं प्रभावकारी निरीक्षण, इंजीनियरी सहायता तथा प्रवर्तन।

जहां तक न्यायिक जांच कराने का सम्बन्ध है बहुत से माननीय सदस्य इस बात के विरोध में है कि समितियों की संख्या इतनी अधिक न बढ़ाई जाये। अतः हमें असैनिक उड्डयन मंत्रालय की व्यवस्था पर ही आश्रित रहना चाहिए। किसी विषय पर मत भेद भी हो सकता है किन्तु मैं श्री नम्बियार के सुझाव का विरोध करता हूं तथा स्थगन प्रस्ताव का भी विरोध करता हूं।

श्री हेम बरुआ : महोदय ; स्थगन प्रस्ताव से लाभदायक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ है। स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिये उपाय होने चाहिए।

यह सच है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है। लेकिन हमारा आग्रह है कि भयंकर दुर्घटनाओं को, जिनमें सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं, रोकना चाहिए।

इस प्रस्ताव को लाने के पीछे कोई भी राजनीतिक ध्येय निहित नहीं है अपितु इसे नितांत माननीय ध्येयों को ध्यान में रख कर लाया गया है।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था इलाहाबाद-गोरखपुर लाइन पर होने वाली दुर्घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए। रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा भी की गई जांच एक विभागीय जांच है जिससे शंकाएं और भी बढ़ी हैं। घटनास्थल पर बहुत सी स्त्री, पुरुषों और बच्चों की कारुणिक चीत्कार सुनाई देती थी अतः इतने व्यक्तियों की जीवन-हानि को देखते हुये विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुझे आशा है कि सभा इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अब सभा स्थगित होती है।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नम्बियार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। प्रधान मंत्री महोदय एक मिनट में आने वाली हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं सदन को स्थगित कर देना चाहिये।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : सभा स्थगित होनी चाहिये। क्यों अब सभा के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं है।

Shri Sheo Narain (Basti) : I support the motion moved by the Hon. Railway Minister and we request the Railway Board that they should efficiently work for the betterment of the country...... (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आगामी अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकेंगे। प्रधान मंत्री महोदया !

Shri Kanwar Lal Gupta : On a point of order, Sir. The House should automatically be adjourned since there is no agenda before the House. (**Interruptions**) All of us are supposed to maintain the decorum of the House.

इस अवसर पर कुछ माननीय सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये।

At this stage, some Hon. Members left the House.

श्री बलराज मधोक : हमारा विरोध है कि सभा के समक्ष कोई कार्यसूची नहीं थी। प्रधान मंत्री महोदया के इस व्यवहार के विरुद्ध हम सभा से उठकर जाते हैं।

इस अवसर पर कुछ माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।

At this stage, some Hon. Members left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : संसद-कार्य मंत्री महोदय के द्वारा मैंने प्रधान मंत्री महोदया से 6.30 सायं को अपना वक्तव्य देने के लिये कहा था। वाद विवाद चूंकि कुछ मिनट पहले समाप्त हो गया और स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया अतः मैंने श्री नम्बियार से अपना भाषण देने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। आप प्रधान मंत्री महोदया के वक्तव्य देने का समय होने वाला है अत: मैं उनसे अपना वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यदि सभा के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं है तो अध्यक्ष महोदय अपनी इच्छा से सभा के लिये कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना न तो सभा की मर्यादा और प्रतिष्ठा के ही अनुकूल है और न ही उनके उत्तरदायित्व और अधिकारों आदि के ही अनुकूल है। ऐसा करने से उनका रवैया पक्षपात पूर्ण हो जाता है। अध्यक्ष पीठ के लिये यह उपयुक्त नहीं है (**अन्तंबाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था तथा उसके बारे में वाद विवाद भी कुछ समय पूर्व समाप्त हो गया था अत: सभा के समक्ष कार्यवाही वर्तमान थी। साथ ही निर्धारित समय से पूर्व इस स्थिति में सभा को स्थगित भी नहीं किया जा सकता था। तभी प्रधान मंत्री महोदय भी उपस्थित हो गईं अत: माननीय सदस्य की धारणा सच नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : जो माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये है सम्भवतः उन्हें जाना ही था। कितना आवश्यक है कि जब स्थगन प्रस्ताव के बारे में वाद-विवाद कुछ समय पूर्व ही समाप्त हो गया था तो प्रधान मंत्री महोदया को इस सम्बन्ध में उचित व्यक्तियों द्वारा सूचना दी जा सकती थी क्योंकि सभा किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा में बैठी नहीं रह सकती। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर होने वाला वाद-विवाद अनुमानित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। वैसे स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने पर सभा कुछ समय के लिये हमेशा से बैठती आई है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यदि मुझे इस स्थिति का ज्ञान होता तो मैं अधिक समय ले सकता था। प्रधान मंत्री महोदया को 6.30 बजे अपना वक्तव्य देना था यह ठीक ही है।

बैंकिंग कम्पनियों के अध्यादेश के बारे में उच्चतम न्यायालय का आदेश

SUPREME COURT'S ORDER ON BANKING COMPANIES ORDINANCE

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कुछ लेख और याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने आज बैंकिंग कम्पनियों (उपक्रमों

का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 के बारे में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश का प्रवर्ती भाग इस प्रकार है।

"अन्तरिम स्टे इन तीन मामलों में किया गया है, अर्थात (1) कि भारत सरकार इन याचिकाओं पर निर्णय किये जाने तक किन्हीं सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति नहीं करेगी (2) कि भारत सरकार विभिन्न बैंकों के चेयरमैनों को नहीं हटायेगी तथा (3) भारत सरकार बैंकिंग कानून अधिनियम की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल कोई निदेश नहीं देगी।"

सरकार को यह सलाह दी गई है कि इस आदेश से अध्यादेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा बैंकों पर केन्द्र सरकार स्वामित्व का अब भी बना रहता है। पहले निदेशक-बोर्ड भी समाप्त हो गये है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकों के सामान्य कार्य पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश में सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति के बारे में निदेश दिया गया है अतः इस मध्यावधि के अन्तर्गत रिजर्व बैंक इन बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की व्यवस्थों के अनुसार उचित सलाह देगा।

आदेश के दूसरे निदेश से भी अध्यादेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

जहां तक तीसरे निदेश का सम्बन्ध है रिजर्व बैंक इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि जनता तथा धन जमा कराने वालों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य न किया जाय।

मैं सदन को इस स्थिति के संसद में केवल इतना बताना चाहती हूं कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीरता से ध्यान देगी तथा जो भी उचित कार्यवाही होगी वह करेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 जुलाई, 1969/1 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 23rd July, 1969/Sravana 1, 1891 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 14-10-68—600.